राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८६वां दिवस [संख्या ५२

मंगलवार, दिनांक १२ मई, १९५९

———

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

राजकीय महिला सदन

१४८६. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासिन सु०): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में राजकीय महिला सदन चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां कहां पर ?

(ख) उक्त महिला सदनों में कुल कितनी महिलायें प्रवेश की गई हैं ? इनमें से कितनी कितनी किस किस सदन में इस समय हैं ?

(ग) इनमें प्रशासन निमित्त कितना खर्च अब तक हुआ और महिला प्रशिक्षण सामग्री में कितना ? यहां पर महिलाओं को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है ?

(घ) आज तक कुल कितनी महिलायें पूर्णतः प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं और इस समय वे क्या कर रही हैं ?

(ङ) यह रकम किस विभाग से खर्च की जा रही है ?

(च) क्या इनमें से पूर्व पेशावर महिलायें भी हैं ? यदि हां तो वे कितनी कितनी किस किस सदन में ?

(छ) क्या कुछ महिलायें सदन से भाग गई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री जयसिंह राणावत : यह आसिन्द सुरक्षित क्षेत्र कब से हो गया ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(क) जी हां, एक राजकीय महिला सदन

Page No.2

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और ७ महिला आश्रय गृह चल रहे हैं :–

१. जयपुर : महिला सदन :
२. अजमेर - आश्रय गृह :
३. जोधपुर ,,
४. धौलपुर ,,
५. कोटा ,,
६. बीकानेर ,,
७. चूरू ,,
८. गंगानगर ,,

(ख) उपरोक्त महिला सदन व आश्रय गृहों में अब तक जो महिलायें व लड़कियों प्रवेश कर चुकी हैं और अब जो मौजूद हैं उसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, टेलरिंग, सामाजिक शिक्षण, गृहस्थ तथा नैतिक शिक्षा एवं छोटे मोटे हस्तकला कार्य की शिक्षा दी जाती है और महिला सदन जयपुर में अम्बर चर्खा, निवार बनाना आदि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

(घ) अभी तक पूर्ण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। आश्रय गृहों में कुल तीन महीनों के लिये रखी जाती है। इस समय में उन्हें कुछ कार्य सिखाया जाता है। तीन महिनों के अन्दर उनके मामलों का निपटारा होने पर, न्यायालय के फैसले के अनुसार उन्हें अपने वारिसों को सौंप दी जाती हैं। जिन महिलाओं को तीन महीने से अधिक रखने की आवश्यकता होती है उन्हें जयपुर महिला सदन में भेज दिया जाता है। वहां उनकी इच्छानुसार उनकी शादी की व्यवस्था की जाती है। पूर्ण प्रशिक्षण महिला सदन में भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ङ) समाज कल्याण विभाग से।

(च) महिला सदन जयपुर में दो पेशावर महिलायें हैं।

(छ) हां, महिला सदन जयपुर से ५ महिलायें व लड़कियां भाग गई हैं। इनके भागने का कारण ऐसा है कि जो पुरानी लड़कियां होती हैं वे तो यहां के धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल हो जाती हैं। परन्तु नई लड़कियां इतनी शीघ्र ही अपने को उसके अनुकूल नहीं बना सकती क्योंकि वे ऐसे ऐसे स्थानों से आती हैं जहां उन्हें स्वतंत्र ज़िन्दगी मिली हो परन्तु यहां उन्हें थोड़ी बन्दिश हो जाती है। अतः कभी कभी उनकी इच्छा होती है कि उन्हें वही जिन्दगी वापिस मिले। अतः भागने का प्रयास करती हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयचन्द मोहिल : क्या जो धौलपुर में आश्रय गृह है उसमें एक एक महिला है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां।

श्री जयचन्द मोहिल : इस महिला सदन का प्रशासन का खर्च जितनी महिलायें रहती हैं उससे १२ गुणा ज्यादा है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां स्टाफ पर्मानेन्ट रखना पड़ता है, मकान रखना पड़ता है इसलिये खर्चा ज्यादा है।

Page No.3

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार ने यह कभी ध्यान दिया कि किन प्रकार के किन कारणों से आपके यहां आते हैं, क्या कारण हैं समाज में जिनके कारण आपको ध्यान देना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उन कारणों से सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह परिचित हैं और वे कारण इतने विस्तृत हैं कि यहां पर उनके बारे में कहना और सब बातों पर विस्तार से प्रकाश डालना मुमकिन नहीं है ।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आश्रय गृहों में और सदन में कोई डिफरेन्स है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, डिफरेन्स है । सदन में तो पर्मानेन्टली रह सकते हैं जब तक कि शादी वगैरह होकर नहीं चली जातीं और आश्रय गृहों में तीन महीने तक ही रह सकती हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इनका सुपरविजन किनके हाथों में है और किन व्यक्तियों के हाथों में है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : समाज कल्याण विभाग की तहत में है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की ओर से कोई बोर्ड बनाया हुआ है इस व्यवस्था के लिये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, बोर्ड बनाया हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष कौन हैं उसकी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि आश्रयगृहों में रिकवर्ड जो होती हैं उनको और इन्नोसेन्ट गर्ल दोनों को एक साथ ही रखा जाता है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, एक साथ ही रक्खा जाता है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि इन्नोसेन्ट गर्ल्स हैं they at times get polluted by these recovered women ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं, सदन में वातावरण और किस्म का होता है इसलिये ऐसा होने की गुंजाइश नहीं रहती ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि दो लड़कियां जो धौलपुर से लाई गई थीं, उनको उनके मां बापों को नहीं लौटाया गया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है । आप अलग से प्रश्न पूछें तो मैं जानकारी प्राप्त करके उत्तर दे सकूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की ओर से इन सदनों में प्रवेश प्राप्त करने के लिये कोई नियम आदि बने हुए हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनमें ऐसी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

महिलाएं आती हैं जिनका कोई सही हिसाब लगाना और कोई सही नियम उनके लिए बनाना सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप इन्कार कर दीजिये कि नियम बने हुए नहीं हैं या हैं। जो अधिकारी व्यवस्थापिकाएं वगैरह हैं उनका स्वेच्छा से एडमिशन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था है या नियम बने हुए हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस काम का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इस समय इसमें नियम बनाना और उनके अन्तर्गत उनको सुविधा आदि देना यह मुमकिन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस प्रकार के नियम बनाये जावें कि जिनके अनुसार ही एडमिशन हो सके ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुछ अर्से तक इस क्षेत्र में कार्य करने से प्राप्त अनुभव के आधार पर नियम बनाये जा सकेंगे। एक-दम बनाया जाना मुश्किल है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर सदन से भी एक दो महीने पहले तीन लड़कियां भाग गई थीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, मैंने लिखा है न कि लड़कियां भाग गई क्योंकि उनको वहां का वातावरण पसन्द नहीं आया। वे स्वतन्त्र और स्वच्छन्द वातावरण में रही हुई थीं, इसलिए भाग गई।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह कारण नहीं था कि सदन का वातावरण ठीक नहीं था इसलिये वे भाग गई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सही नहीं है। सदन के वातावरण में डिसिप्लिन होता है और बाहर के स्वतन्त्र वातावरण से आने वाली को वह पसन्द नहीं आता इसी लिए भाग जाती हैं। वे स्वतन्त्रता पसन्द करती हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : इस बारे में गजट में नियम प्रकाशित किये गये, क्या यह सच है ?

श्री जयचन्द मोहिल : गंगानगर आश्रय गृह में एक भी महिला नहीं है, क्या यह सही है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जो लड़कियां भाग कर गई हैं उनमें व्यवस्थापकों का भी हाथ था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के चौधरी।

सामोद के निवासियों को बजरी की सप्लाई

१४८७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Industries Minister be pleased to state :--

(1) Is it correct that upto the year 1957 the residents of village Samod in Amber Tehsil used to get 'Bajri' for house construction from

Page No.5

(श्री पी० के० चौधरी)

quartz (bajri) quarries at Samod after obtaining lease from the Government at a rate of -/4/- per sq. ft. of the quarry land and nearby 100 families used to get their livilihood out of this ?

(2) Is it correct that last year these quarries have been leased out to one Shri Hanuman Sahai Chowdhri, a dealer in major minerals for extracting silica sands from these quarries ?

(3) Is it correct that Shri Hanuman Sahai instead of extracting Silica sands, is extracting 'bajri' from the quarries and selling it to the villagers at a very high price ? If not, it may be stated how many tons or truck load or wagon loads of 'silica' sands have so far been extracted and exported and to which glass factory ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई, उद्योग मंत्री की ओर से) : (1) Annual mining leases were granted for Bajri in Samod for the period upto 31-3-58 only. Bajri and quartz are different minerals. This office is not aware regarding the number of families in Samod who got their livilihood out of the Bajri business.

(2) Yes. It is correct, with the change that the name of the party is Hanuman Prasad Choudhary and not Hanuman Sahai Choudhary.

(3) No. It is not correct. The party's royalty accounts have not yet fallen due for verification and the information regarding actual quantity exported and the names of the consignees cannot be readily supplied.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that this quarry has no Silica sands but simply to give lease to Mr. Hanuman Prasad, it has been classified under Silica sand. People used to take Bajri from there for house construction, but this year Mr. Hanuman Prasad applied for leaese for extracting silica sand which is a major mineral and on that basis the lease was granted to him and not to the local people and now there is no silica sand and he is selling Bajri to local people at higher rates.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Shri Hanuman Prasad has been given lease for silica sand and not for Bajri. The departmental report says that lease could be given for one of the two minerals. If we give for silica sand then it is not open to extract Bajri because if in the beginning the portion of Bajri is such that if it is extracted, then silica sand cannot be extracted. For this reason the lease has been given for silica sand and it is not correct that he is extracting Bajri and making profit out of it.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that he has not supplied a single wagon of silica outside that locality?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : He has com-

Page No.6

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

menced working on these quarries only on 15th of January and as such we are not in a position to say how he is working. May be that he is making preparations and in this 2½ months might have expired.

श्री पी० के० चौधरी : When the lease was given ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : In August, 1958.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that he started work of extracting Silica only after this question was tabled ?

पूनमचन्द बिश्नोई : He started in January.

श्री. पी. के. चौधरी : This question was tabled before January.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : May be.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : आज ट्रेजरी बैंचेज पर कोई फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १४८८ ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस संबंध में कुछ निर्णय होना चाहिए कि सदन में मन्त्री महोदय आते नहीं और इस तरह से सदन के प्रति डिसकर्टसी शो करते हैं । प्रश्नों का मामला है और डिप्टी मिनिस्टर सेटिसफेक्टरी आन्सर दे नहीं सकते हैं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य को पूरा टाइम दे दिया जावे । जितनी क्वेरीज वे चाहेंगे मैं उनका जवाब दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब दे सकते हैं, मैं इसके लिये नहीं कहता कि आप जवाब नहीं दे सकते । मैं आपकी तारीफ नहीं करता, उन अधिकारियों की तारीफ करता हूं कि जिन्होंने आपको अच्छी तरह से ट्यूटर करके भेजा है । मैं मान लेता हूं आप सेटिसफेक्टरी जवाब दे देंगे । पर यह सदन के प्रति डिसकर्टसी शो करने का सवाल है । माननीय अध्यक्ष ने पहले भी माननीय मन्त्री महोदयों को चेतावनी दी है कि जिस समय प्रश्नों का समय हो मन्त्री लोग सदन में उपस्थित रहें । अगर इस चेतावनी के बावजूद वे अनुपस्थित रहते हैं तो हमें भी फिर अध्यक्ष महोदय, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसके कारण अध्यक्ष महोदय के हाथ मजबूत होकर उन्हें और सख्त चेतावनी दी जा सके ।

एक माननीय सदस्य : शादी का मौका है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक बार यह कहा था कि मिनिस्टर लोग प्रश्नों के समय उपस्थित रहें और उनको या उनमें से किसी एक को तो कम से कम यहां उपस्थित रहना चाहिये इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । अगर दूसरे मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, वह जिस पृष्ठ भूमि में उत्तर देना चाहिये, वैसा हो नहीं सकता । फिर भी यह बात कई बार ट्रेजरी बैंचों के नोटिस में लाई गई है । ऐसा कई बार हुआ है कि केवल दो डिप्टी मिनिस्टर

(श्री अध्यक्ष)

सारी केबिनेट का भार लिये चल रहे हैं ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखूंगा कि क्वेश्चन आवर आज का पोस्टपोन कर दिया जावे ताकि वे आगे से फिर इस तरह से अनुपस्थित न रह सकें और मिनिस्टर को चेतावनी मिल जावे कि आइन्दा प्रश्नों के समय में वे उपस्थित रहें और जवाब सही मिल सके ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि जवाब सही नहीं दिया गया है । अगर कोई रिप्लाई के बारे में ऐतराज है, तो ठीक है । अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो उस चीज़ के बारे में कहना चाहिये और जहां तक मिनिस्टरों की उपस्थिति का सवाल है उनके लिये कई विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें वे आज उपस्थित न रह सके हों और फिर कोई भी मन्त्री यहां होना चाहिये जो जवाब दे सके । जो इससे सम्बन्धित मन्त्री हैं वे यहां हैं और फिर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यहां दूसरे मिनिस्टर लोग नहीं आ सके हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने अभी जैसा फरमाया मैं उसमें सहमत नहीं हो सकता कि विशेष परिस्थितियों की वज़ह से डिसकर्टसी शो की जावे ।

श्री हरिदेव जोशी : डिसकर्टसी का सवाल नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसा अगर है तो हाउस को एडजोर्न कर दिया जावे । नहीं तो उनको यहां तैयार रहना चाहिये ताकि रेस्पोन्सिबल जवाब वे दे सकें । किसी प्रश्न पर जरूरत हो तो एश्योरेन्स दे सकें । डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट के बिहाफ पर एश्योरेन्स नहीं दे सकते । इस सेंस में उनका जो जवाब होगा अनसेटिसफेक्टरी होगा । You will excuse me that the Hon'ble Deputy Ministers are not of Cabinet rank and they cannot assure the House and take certain decisions before the House because Cabinet is not bound by their decision. तो मैं यह निवेदन करूंगा कि विशेष परिस्थितियों की वज़ह से मिनिस्टर महोदयों ने हाउस में अनुपस्थित रह कर जो डिसकर्टसी शो की है उसके लिये उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जावे । जहां तक जवाब देने का सवाल है डिप्टी मिनिस्टर हाउस को एश्योर नहीं कर सकता और मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि कैसी भी परिस्थिति हो हाउस में क्वेश्चन आवर में कम से कम एक न एक को तो प्रजेन्ट रहना चाहिये । हाउस की सोवरेन्टी को चैलेंज करने का इससे बड़ा सुबूत हो नहीं सकता ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई कारण पैदा नहीं हुआ कि जवाब ठीक नहीं दिया गया । आप तब कह सकते हैं जब यह मालूम हो कि जवाब ठीक नहीं दिया गया । जब तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाती कि ठीक से जवाब नहीं दिया गया है या दिया गया है वह ठीक नहीं है तब तक यह कहना अनुचित होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं जो व्हिप साहब ने कहा उस अनुचित शब्द को रिजेन्ट करता हूं । जवाब गलत दिया, यह मैंने कब कहा । मैंने यह कहा है कि प्रेजेन्ट इसलिये रहना

(श्री श्रीभानसिंह)

चाहिये कि हाउस के लिये यह कर्टसी है। जवाब सही दें या न दें यह डिसाइड करने का काम हाउस का है कि कहां तक जवाब ठीक आता है पर प्रेजेन्स जो है वह हाउस के लिये कर्टसी है और इसको शो करना चाहिये मिनिस्टर को। यह मेरा प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके जवाब में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो फरमाया है वह बहुत स्पष्ट है। इसके बाद में बहस का प्रश्न नहीं रह जाता।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये रह जाता है कि अध्यक्ष महोदय की ओर से चेतावनी दे दी जाती है पर मिनिस्टरों की तरफ से उनका कम्प्लायेन्स नहीं होता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि अध्यक्ष महोदय के हाथ इतने मजबूत किये जा सकें कि उनके मुंह से जो भी चेतावनी दी जावे उसका तुरन्त और अक्षरशः पालन किया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिये तो अध्यक्ष महोदय ने फरमा दिया। इसके लिये कहने की बात क्या है?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) आपका इस तरह से कहना ठीक नहीं है। वे (अध्यक्ष महोदय) तो इतना ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से उत्तर पर उत्तर दिया जावे। आपने जो उत्तर दिया वह ठीक नहीं है और प्रतिवाद किया जा रहा है। ठीक बात है, गलती है, परम्परा यह ठीक नहीं है, हम उनका कहना मान्य करते हैं यह कहना तो दूर रहा उल्टे आप प्रतिवाद करते हैं तो इससे स्पष्ट लगता है कि जो प्रश्न उठाया गया इसका आप ठीक ढंग से जवाब नहीं देते। यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन यह किया था कि जवाब गलत नहीं दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक अध्यक्ष महोदय, जवाब का सवाल है उसका यह हाल है कि डिप्टी मिनिस्टर साहब की गरदन पीछे थी और ऑफिसियल गैलरी में से इशारे हो रहे थे दो मिनिट पहले। न प्रीपेअर होकर आते हैं न कुछ करते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : We would like to know whether all the Ministers of the Cabinet rank are out of Jaipur and if not what are the special circumstances in which none of them could come to the House.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): I want to say one thing Sir. One of the Hon'ble Members took it upon his own shoulders to make a reply on behalf of the Cabinet though I think he is not entitled. I would like to know from him what are the special circumstances which necessitated the absence of all the members of the Cabinet today.

श्री अध्यक्ष : कभी कभी ऐसी विशेष स्थिति हो सकती है कि सारे मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर न रह सके उपस्थित। पर खेद तो तब होता है जब विशेष परिस्थिति सामान्य परिस्थिति का रूप धारण करले।

Page No.9

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक इस तरह की स्थिति है और परम्परा सी बनती जा रही है वहां मैं यहां तक भी उचित समझता हूँ कि इस परम्परा को मिटाने के लिये विरोधी पक्ष को वाक आउट करना चाहिये और इस तरह विरोधी पक्ष को यह बता देना चाहिये कि यह परम्परा गलत है। अगर स्पीकर महोदय कहते हैं कि उनके पास कोई सूचना है तो ठीक है। नहीं तो, नहीं है तो मैं तो यह समझता हूं कि ऐसे मुद्दे पर हमें स्पीकर महोदय के हाथ मजबूत करने चाहिये कि सदन की परम्परा अच्छी होनी चाहिये। इस दृष्टि से मैं समस्त विरोधी पक्ष के सदस्यों से प्रस्ताव करता हूं कि इस परम्परा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये एक बार वाक आउट कर दिया जावे और यह बता दिया जावे कि इस मुद्दे पर उनका जो रवैया है उसे हम बिलकुल ठीक नहीं समझते और मैं समस्त सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह से हमें अध्यक्ष महोदय के भी हाथ मजबूत करने चाहिये। हमें वाक आउट कर जाना चाहिये इस मुद्दे पर। एक बार वाक आउट करके बता दिया जावे कि यह उनकी गलत परम्परा है और मैं इस मुद्दे को लेकर वाक आउट करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : विरोधी दल का फर्ज होगा कि अध्यक्ष महोदय की चेतावनी का बार बार मिनिस्टर महोदयों द्वारा उल्लंघन किया गया है उस उल्लंघन के प्रतिरोध स्वरूप विरोधी दल के समस्त सदस्य और मैं तो कहूंगा विरोधी दल के ही नहीं, कांग्रेसी दल के सदस्य भी, उनको भी जो इस तरह का बार बार उल्लंघन किया गया है और जो जवाब और इस प्रकार की बात कही गई है, उनके विरोध स्वरूप वे भी यदि सदन का त्याग कर दें तो इस तरीके से मन्त्रियों को नसीहत मिलेगी और आगे से प्रश्नों के अवसर पर कम से कम पूरे कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर सदन में उपस्थित रहेगा यह कह कर मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सदन का त्याग कर जावें और सरकार को इस तरह से नसीहत दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(आठ बज कर तीस मिनिट पर विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

प्रश्न संख्या १४८८

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४८६

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

रिखबदेव जी मन्दिर के सामान की जांच

१४६०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) श्री रिखबदेव के मन्दिर का सन् १६५४ में सामान का मिलान करते समय किस वस्तु के गबन का पता लगा ?

(२) क्या जो माल गबन हुआ, वह

Page No.10

(श्री मूलचन्द डागा)

वापिस उसी रूप में प्राप्त हुआ या उसकी कीमत के रूप में रुपया मिला ?

क्या उस गबन शुदा रकम के कुछ हिस्से के लिए पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो कब से और उसका क्या परिणाम हुआ ?

उप मन्त्री देवस्थान विभाग (श्री संपराम) : (१) मिलान करते समय सोने के जेवरात की कमी मिली।

(२) न असल जेवरात और न अभी तक रुपया ही प्राप्त हुआ है।

(३) पी. डी. आर. के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही १६५५ से ज़ारी है लेकिन अब तक रकम वसूल नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : सन् १६५५ के बाद आज चार साल हो चुके हैं क्या क्या कार्यवाही हुई। कुछ रिकवरीज़ की, भी या कुछ भी नहीं की ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ बाकायदा केस बनाया गया और ५२ की जो रकम मिलती थी श्री नवलचन्द्र भण्डारी के पास उसको रोका गया और उनके करीब ६००० रुपये होते हैं उनको रोका और कोर्ट में चालान भी किया जिसमें जुडिशियल कोर्ट से इनको दण्ड मिला और उसके बाद में सेशन्स कोर्ट से छूटे उसके बाद में गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में अपील की। अब उसके खिलाफ पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। लेकिन ऐसे अमाउन्ट की रिकवरी करने के लिए पी. डी. आर. थोड़ा सा डिफेक्टिव मालूम होता था। लेकिन उसके बाद में पी. डी. आर. में अमेंडमेंन्ट किया गया और जितने पोसिबल उपाय हो सकते थे वह किये जा रहे हैं। इसलिए अपील करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कह रहा हूं कि आज चार साल हो गये हैं, इन चार सालों में आपने रिकवरी कराई ? आप तो कह रहे हैं कि इस तरह से केस चला। मैं तो यह पूछता हूं कि चार साल में आपने कौनसी प्रोपर्टी का अटैचमेंट कराया, नोटिस दिया। आपको सफलता क्यों नहीं मिली ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि पी.डी. आर. के तहत कार्यवाही ज़ारी है।

श्री मूलचन्द डागा : चार साल में आपने कौनसी प्रोपर्टी अटैच कर ली या आपने क्या कराया ? क्या हुआ चार साल में रिकवरी नहीं हो रही है या माल नहीं मिल रहा है, क्या बात है ?

श्री सम्पतराम : इसमें लीगल डिफिकल्टी थी कि इस तरह के अमाउन्ट की जो लैंड रेवेन्यू का है उसकी वसूली पी. डी. आर. के तहत कर सकते हैं क्या ? इसका थोड़ा सा डिफेक्ट होने के बाद एक्ट में संशोधन किया गया, इसलिए शायद प्रोग्रेस नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि अब रिकवरी की प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

Page No.11

लूणकरणसर में तहसील भवन

१४६१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर श्री गिरधारी लाल द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लूणकरणसर में तहसील भवन, पुलिस स्टेशन बिल्डिंग तथा कर्मचारियों के निवास स्थान का अभाव है? अगर हां, तो उक्त स्थान पर इस कमी की पूर्ति तब तक करने का सरकार विचार रखती है?

उप मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां, लूणकरणसर में तहसील भवन व कर्मचारियों के निवास स्थान का अभाव है इस कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने निम्न लिखित भवन इस साल व आगामी साल में बनवाने के लिए स्वीकृत किये है:-

(१) तहसील भवन लूणकरणसर।

(२) ६ जी टाइप क्वार्टर्स।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): इसका काम प्रारम्भ कर दिया गया है क्या?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस साल इसका काम शुरू होगा।

श्री गिरधारीलाल : अन्य जो भवन हैं उनकी कमी के लिए सरकार आगे के लिए क्या सोच रही है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष, अगर आप थोड़ा सा साफ और जोर से बोलें तो मैं जवाब दे सकूं।

श्री गिरधारीलाल : तहसील लूणकरणसर में आपने कहा कि तहसील भवन बना रहे हैं जब कि पुलिस स्टेशन और दूसरी बिल्डिंगस की कमी है क्या उनकी कमी पूरी करने के लिए इस साल या अगले साल सरकार विचार रखती है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: पुलिस स्टेशन के लिए पर्याप्त भवन है। वह पुरानी बिल्डिंग है उसमें चलता है।

श्री गिरधारीलाल : कर्मचारियों के लिए?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसी में प्रबंध है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

तहसील शेरगढ़ व फलौदी के काश्तकारों को पर्चे गिरदावरी न बांटे जाने के संबंध में

१४६२. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि शेरगढ़ और फलौदी तहसील के काश्तकारों की सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने पर भी पर्चा गिरदावरी पटवारीगण काश्तकारों को समय पर नहीं बांटते हैं?

(ख) क्या यह भी सच है कि सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने के बाद स्थानीय

Page No.12

(श्री सूरजमल)

तहसीलदार व सब डिविज़नल ऑफिसर सब ग्रामों की गिरदावरी की पड़ताल करते हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सही कि पिछली तीन वर्षों में बहुत से गांवों के काश्तकारों को सालाना पर्चा गिरदावरी नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : जी नहीं।

(ख) जी नहीं, लैंड रिकॉर्ड रूल्स में जिस प्रकार रूल्स चैकिंग मुकर्रर हैं उसके मुताबिक एस. डी. ओ. तहसीलदार व इन्स्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स ग्रामों में गिरदावरी व पड़ताल करते हैं। हर एक ऑफिसर सब ग्रामों की हड़ताल नहीं कर सकता।

(ग) तहसील शेरगढ़ में पर्चा गिरदावरी सब गांव वालों को मिल चुके हैं। तहसील फलौदी के सिवाय अन्सैटल्ड गांव के बाकी ग्रामों में पर्चा गिरदावरी मिल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या स्थानीय काश्तकारों की ओर से जिलाधीश को इस आशय की कोई दर्ख्वास्त दी गई है ?

श्री सम्पतराम : कुछ समझ नहीं आया।

श्री गिरधारीलाल : क्या इन दोनों तहसील के गांवों की ओर से ज़िलाधीश महोदय को इस आशय की दर्ख्वास्त दी गई थी कि उनके यहां गिरदावरी की पर्चा नहीं मिली ?

श्री सम्पतराम : दर्ख्वास्त वगैरह के बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है लेकिन फलौदी तहसील के अन्सेटल्ड गांव हैं करीब ३७ उन गांवों में हो सकता है नहीं मिली हो और करीब करीब नहीं ही मिली है लेकिन बाकी के गांवों में ऐसी शिकायत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : उन गांवों की क्या हालत होगी जिन गांवों में गिरदावरी की पर्ची नहीं बंटी और जो ३७ गांव आपने अभी फलौदी तहसील के अनसेटल्ड एरिया के बताये उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य जब बोलते हैं मैं उसको पिक-अप नहीं कर सकता।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : इन गांवों में जो अभी तक गिरदावरी पर्चा नहीं दी गई इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि वह अनसेल्ड थे और जब यह सेटल्ड होकर रेवेन्यू रेकॉर्ड बनेगा उसके आधार पर यह गिरदावरी पर्ची दी जायेंगी।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि दूसरी तहसीलों में गश्त गिरदावरी की गिरदावरी पर्चियां नहीं दी जा रही हैं ?

श्री सम्पतराम : यह सही नहीं है।

श्री मोहरसिंह : क्या सरकार इसमें स्पष्ट नीति रखती है कि इतने दिनों में गिरदावरी स्लिप मिल जानी चाहिए ?

श्री सम्पतराम : गिरदावरी पूरे होने के बाद में ही गश्त गिरदावरी पर्ची दी जानी चाहिए।

श्री मोहरसिंह : गिरदावरी होने के कितने दिनों बाद गिरदावरी पर्ची बंट जानी चाहिए ?

श्री सम्पतराम : यह तो गश्त गिरदावरी पीरियड होता है। जहां जहां गांवों में गिरदावरी कम्पलीट हो जाये, वहां साथ साथ ही पर्ची इश्यू कर देनी चाहिए, लेकिन कोई खास बात हो जाये तो भी हर हालत में १५ दिन में दे दी जानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत अनूसेटल्ड एरिया में गिरदावरी स्लिप नहीं दी जावे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री सम्पतराम : व्यवस्था का सवाल नहीं है। जब तक रिकॉर्ड पूरा नहीं हो जाता तब तक गिरदावरी स्लिप कैसे बन सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या नियमों में ऐसा प्रावधान है कि अनूसेटल्ड एरिया में गश्त गिरदावरी की पर्चियां नहीं दी जायें ?

श्री सम्पतराम : मैंने यह नहीं कहा है कि अनूसेटल्ड एरिया में पर्ची नहीं दी जायें। मैंने तो यह कहा है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में यह प्रोविज़न है कि इतना इतना चैकिंग हर एक ऑफ़िसर को करना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि अनसेटल्ड एरिया होने के कारण पर्चियां नहीं दी जा रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर सरकार ने किस आधार पर यह उत्तर दिया कि अनूसैटल्ड एरिया होने के कारण पर्चियां नहीं दी जाती हैं ?

श्री सम्पत राम : यह तो वस्तु स्थिति है उसके आधार पर जवाब दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत गश्त गिरदावरी की पर्चियां देने का प्रावधान है ?

श्री सम्पत राम : गिरदावरी स्लिप देने का प्रावधान लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं है। यह तो इसलिए दी जाती हैं कि काश्तकारों को सिक्योरिटी मिले और उनको परेशानी न हो और यह सहूलियत उनको रहे कि गिरदावरी होने के बाद में मालूम हो जाय और किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो और झगड़े न हों इसलिए इसका प्रावधान किया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस व्यवस्था में इस प्रकार का एग्ज़म्पशन है कि अनूसेटल्ड एरिया में गिरदावरी की पर्चियां नहीं दी जायें ?

श्री सम्पत राम : यह तो कानून की बात है।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा (किशनगढ़) : जब कानून बना हुआ है ? तो फिर नहीं क्यों दी जाती जब कि इसके लिए नियम भी बने हुए हैं ?

श्री सम्पत राम : नियम बनना अलग बात है और लॉ का होना अलग बात है।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : नियम तो लॉ के तहत ही बने होंगे या बिना लॉ बने ही नियम बन गए ?

श्री सम्पत राम : नियम तो कानून के तहत ही बनाये जाते हैं।

Page No.14

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : जब नियमों का पालन नहीं होता तो उसके अगेन्स्ट आप कोई कार्यवाही करते हैं ?

श्री सम्पत राम : अगर अवहेलना होती है तो माननीय सदस्य बतायें कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : हर एक गांव में ऐसा होता है ।

श्री सम्पत राम : यह बात नहीं है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : गश्त गिरदावरी नहीं होने से काश्तकार का राइट नहीं रहता है और कई बार काफी झगड़े हो जाते हैं ।

श्री सम्पतराम : गश्त गिरदावरी होती हैं उसके आधार पर ही स्लिप मिलती है । स्लिप तो इसलिए दी जाती है कि हर काश्तकार को यह पता हो जाये कि किस किस व्यक्ति के नाम गिरदावरी हुई ।

श्री मदनसिंह : अगर उसके पास स्लिप नहीं होगी तो उसके पास क्या प्रूफ है ?

श्री सम्पत राम : किसी भी व्यक्ति को गिरदावरी स्लिप नहीं मिलती तो यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी गिरदावरी गलत की गई है । हो सकता है कि किसी गांव में किसी व्यक्ति को गिरदावरी स्लिप उसके आधार पर नहीं मिली हो ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इससे यह मालूम होता है कि पटवारी लोग क्या करते हैं कि काश्तकार का नाम उटपटांग लिख देते हैं इससे गांवों में लिटिगेशन होता है । आप ऐसे इन्स्ट्रक्शन्श नोर्मिली दे दीजिए कि पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर गिरदावरी स्लिप मिल जाये जिससे यह डिफिकल्टी गांवों में पैदा न हो ।

श्री सम्पतराम : इसके बारे में गवर्नमेंट को जो इत्मिनान बरतना चाहिए उतना बरता है । माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक बात कहते हैं तो उसकी एन्क्वायरी कराई जा सकती है और जिस किसी ने अवहेलना की है उसको दंड देने की व्यवस्था की जा सकती है । इस प्रकार पहले से हैं अब पुन: आदेश दिये जायेंगे कि यदि किसी प्रकार की ढिलाई की गई हो तो आयन्दा न की जाय ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): यह जनरल डिफिकल्टी है गिरदावरी स्लिप नहीं देने की तो क्यों नहीं इन्स्ट्रक्शन जारी कर दें ?

श्री मोहरसिंह : उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं दी गई, तो कहते हैं कि छप कर नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : अन्सेटल्ड एरिया के अन्दर गश्त गिरदावरी के पर्चे नहीं दिये जायेंगे इस प्रकार की व्यवस्था क्या सारे राजस्थान में लागू है ?

श्री सम्पतराम : जब तक कि रेकॉर्ड पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक गश्त गिरदावरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री भैरोंसिंह : अन्सेटल्ड एरिया में गश्त गिरदावरी के पर्चे नहीं दिये जायं, क्या इस प्रकार की आज्ञा का पालन पूरे राजस्थान में किया जाता है ?

श्री सम्पतराम : न इस प्रकार की आज्ञा दी गई है और न आज्ञा के पालन की उम्मीद की जा सकती है। जहां सैटिलमेंट नहीं हुआ है, मेजरमेंट नहीं हुआ है इसलिये गश्त गिरदावरी नहीं देने की बात नहीं होती है। प्रयत्न तो यही किया जाता है कि दे दिये जायं, परन्तु कोई परिस्थिति ऐसी हो कि गश्त गिरदावरी के पर्चे देना संभव नहीं हो तो बात दूसरी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि गश्त गिरदावरी के पर्चे नहीं दिये जायं इस प्रकार की सरकारी आज्ञा नहीं है, बल्कि पर्चे देने की बात ऑफिसर्स के डिस्क्रीशन पर है कि रेकॉर्ड तैयार नहीं हों तो पर्चे दिये जायं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जवाब दे चुका हूं। आप इन्फरेन्स कुछ भी निकालें।

श्री मदनसिंह : जवाब तो आप यह दे चुके थे कि काश्तकारों को इसलिए पर्चे नहीं दिये गये क्योंकि वह अनसेटल्ड एरिया है। यह बिल्कुल गलत जवाब है। अनसेटल्ड एरिया में पर्ची दी जाती है। इसीलिए तो हम पूछना चाहते थे और इसीलिए तो एन्क्वायरी करी थी। इसका मतलब यह है कि आप पूरी एन्क्वायरी नहीं करते हैं।

श्री सम्पतराम : एन्क्वायरी करने की बात माननीय सदस्य नोटिस में लायेंगे तो एन्क्वायरी की जायगी। आपने बतलाया कि राजस्थान के फलां ज़िले में या गांव में या तहसील में नहीं बंटे है तो उसके लिए सख्ती के साथ इन्स्ट्रक्शन्स जारी करेंगे। अन्सेटल्ड एरिया के लिए इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू नहीं किये गये हैं कि गश्त गिरदावरी नहीं दी जाय। रेकॉर्ड तैयार नहीं होते हैं तो दिक्कत होती है। अगर सैटिलमेंट पूरा नहीं होता है तो किस के नाम होती है और किस के नहीं है। ऑब्जेक्शन्स चलते रहते हैं। तो डिफिकल्टी के आधार पर यह रहता है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उप मंत्री को मिसअन्डरस्टेडिंग हो रही है। पर्चे की बात नहीं है गश्त गिरदावरी के लिए है। मैं समझता हूं कि कोई ऑर्डर हो जाय राजस्थान वाइज़। सैटिलमेंट होने पर गश्त गिरदावरी का राइट हो जाता है और पर्चे मिलते हैं। स्पेसिफिकली एक गांव के काश्तकारों को कठिनाई हुई है। उसके लिए गश्त गिरदावरी मिल जानी चाहिए, अन्यथा गांव में लड़ाई होती है।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने समस्या रखी है उसके बारे में विचार रखा है तो अन्सेटल्ड विलेजेज़ में गश्त गिरदावरी देने का प्रोसीज़र हो सकता है क्या, उसके बारे में विचार करेंगे।

सरकार के मोटर ड्राइवर्स का ग्रेड

१४६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) राजस्थान सरकार के कुल कितने मोटर ड्राइवर्स हैं ?

(ख) इनके ग्रेड्स एक से हैं या अलग अलग तथा वे ग्रेड्स क्या हैं ?

उपमंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, मुख्य मंत्री की ओर से) : (क) इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

Page No.16

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(ख) इनके दो ग्रेड्स हैं, एक जनरल ग्रेड और दूसरा सिलेक्शन ग्रेड :

(१) जनरल ग्रेड ६०,४,८० ई० बी. ४, १०० है ।

(२) सिलेक्शन ग्रेड ८०,४,१०० ई० बी०. ५, १२५ है। और यह स्टेट मोटरगेरेज के ३३ प्रतिशत ड्राइवरों के लिए है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो ग्रेड सरकार ने निर्धारित की है, वह सब लोगों को दी जाती है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

समाज कल्याण विभाग, भरतपुर द्वारा नियुक्तियां

१४६४. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना—डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) समाज कल्याण विभाग, भरतपुर ने गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति के थे ?

(२) उक्त विभाग के अधिकारी गत दो वर्षों में किन किन ग्रामों में दौरे पर गये ? सूची सदन में प्रस्तुत करें।

उपमंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) सहायक संचालक, समाज कल्याण के ऑफिस में गत दो वर्षों से १६ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। उनमें से १० व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १४६५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

राजकीय हाई स्कूल, चाकसू

१४६६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजकीय हाई स्कूल, चाकसू को इस वर्ष आदर्श स्कूलों में ले लिया गया है ?

(ख) इस वर्ष स्कूल के लिये कितनी धनराशि सामान की खरीद के लिये स्वीकृत की गई है ? जो रकम स्वीकृत की गई है उसका नियमानुसार उपभोग किया गया है अथवा नहीं ?

(ग) इस वर्ष पाठशाला में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी गई हैं ? मय मूल्य के तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(घ) समान खरीद के लिए प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल, चाकसू इस वर्ष कितने दिनों जयपुर में ही रहे ?

उपमंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां ।

(ख) ७६३५) रुपया । जी हां ।

(ग) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली): राजस्थान में कुछ जगह आदर्श स्कूल खोलने की क्यों व्यवस्था की गई है । सारे स्कूल ही आदर्श क्यों नहीं रखे जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह धीरे धीरे एक स्कीम बन रही है । शिक्षा का विस्तार तेजी से हो रहा है और सप्लाई इक्विपमेंट की बराबर नहीं दी जा सकती है इसलिए पायलाट स्कीम के द्वारा हर ज़िले में एक दो जगहों को लेकर हर साल करना चाहते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो सामान स्कूल में दिया गया है उसको हैडमास्टर ने वेरीफाई किया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दुबारा अगर प्रश्न पूछें तो बता सकता हूं ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो सामान स्कूल में भेजा गया है उसका वेरीफिकेशन हैडमास्टर ने किया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): आदर्श स्कूलों में और साधारण स्कूलों में क्या विशेष भेद रखा गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया है कि सब स्कूलें बराबर इक्विप्ड नहीं हैं उसके लिए यह तरीका बनाया है कि जिससे हर ज़िले में एक एक, दो दो, स्कूलों को लेकर सब स्कूलों को इस स्कीम के तहत कवर कर लिया जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कोई विशेष अलग परीक्षा होती है जो इस प्रकार की अलग व्यवस्था होती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं :

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पढ़ाई के मामले में इस प्रकार से आदर्श स्कूल और इस तरह से राजस्थान कॉलेज़ इस प्रकार की बात करते हैं । सारे स्कूलों को आदर्श बनाया जाय । आखिर उनको इससे क्यों वंचित रखा जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया है कि आखिर किसी काम को करने का कोई तरीका होता है । पायलाट स्कीम हमने इसलिए बनाई है कि सब स्कूलों को अच्छी तरह से इक्विप्ड कर सकें । सब को एक साथ करने की हम पोजीशन में नहीं हैं । इसलिए हर साल करते हुए हम ५, ४ साल के अर्से में उनको अच्छा कर देंगे ।

एक माननीय सदस्य : यह स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं या मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हायर सेकिन्डरी स्कूल ।

प्रश्न संख्या १४६७

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल ।

(अनुपस्थित)

दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर की जमीन की खरीद

१४६८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़, श्री भगत, ने अजमेर में दरगाह ख्वाजा साहब की कुछ ज़मीन खरीदी थी और उसको अब वापिस कर दिया ?

(२) यदि हां, तो यह ज़मीन कहां २ से, कब और कितनी २ कीमत में खरीदी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि श्री भगत ने इस ज़मीन के खरीदने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं दी थी? यदि हां, तो सरकार ने फिर इसे नियमों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के लिये श्री भगत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या यह सही है कि आई. ए. एस. का जो जनवरी में सिलेक्शन हुआ उसके पहले ही इस खरीद का ज्ञान सरकार को हो गया था ? परन्तु सरकार ने इसकी सूचना सिलेक्शन कमेटी को नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई मुख्य मंत्री की ओर से) : (१) जी हां ।

(२) एडमिनिस्ट्रेटर, दरगाह ख्वाजा साहब ने ५–४–५८ को दो बीघा ज़मीन का आवंटन दो सौ रुपया नज़राना अदा करने पर श्री भगत के हक में किया । इसमें से एक बीघा जमीन लोहागल गेट व एक बीघा ज़मीन एजूकेशन बोर्ड रोड पर थी ।

(३) जी हां । मामला विचाराधीन है ।

(४) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : विचाराधीन क्या है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाय, इसके बारे में ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रश्न के चौथे भाग में यह कहा है कि क्या यह सही है कि आई. ए. एस. का जो जनवरी में सिलेक्शन हुआ उसके पहले ही इस खरीद का ज्ञान सरकार को हो गया था, परन्तु सरकार ने इसकी सूचना सिलेक्शन कमेटी को नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने उत्तर दिया था नहीं । नहीं हुई थी उस वक्त ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब इनका सिलेक्शन हो रहा था तो सिलेक्शन होने से पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री से शिकायत की थी ?

Page No.19

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शिकायत की थी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। डिपार्टमेंट से इसकी सूचना २३ जनवरी को आई है और सिलेक्शन १२, १३ जनवरी को हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शिकायत, अजमेर के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अजमेर के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी को की थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, यह सही हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : जब सही शिकायत हो सकती है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक्शन क्यों नहीं लिया इस कारण से उनके सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ सकता था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस तरह की अगर कोई शिकायत हो तो उसके सम्बन्ध में एक्शन लेने में समय लगेगा। ऐसा तो नहीं हैं कि एक दिन के अन्दर एक्शन लेंले। किसी ने वहां पर अगर उनके लिए कहा था तो उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए। उसमें मुमकिन हो कि उस पर कोई चीज नहीं बनती हो। ५ आदमी एक की शिकायत कर दें तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको सिलेक्शन से वंचित रख दिया जाय। अगर यह सही है तो उसको सज़ा देदेगें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि शिकायत करने के बाद श्री भगत का एक्स्प्लेनेशन कॉल किया गया था और श्री भगत ने लिखकर दे दिया था कि जमीन मैंने खरीद ली है और मैंने गलती की है। उसको वापिस कर दूँगा ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : वापिस करने का है यह उन्होंने वापिस कर दी है या एक्स्प्लेनेशन कॉल करने की बात और लिखकर देने की बात का मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो वापिस करने के लिए कहा है वह सिलेक्शन होने से पहले लिखा या बाद में ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह उसके बाद में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ज़मीन सिलेक्शन होने के पहले वापिस कर दी गई थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं, उसके बाद में।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जमीन को वापिस करने की सूचना सरकार को सिलेक्शन से पहले ही दे दी थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री भैरोसिंह : क्या यह सह कि सरकार ने अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और न चार्ज शीट ही दिया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : किस प्रकार से लिया जा रहा है ?

Page No.20

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनका जवाब मांगा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में जमीन ली। उन्होंने जवाब दिया कि उनको रूल्स का ज्ञान नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : उनका जवाब आ चुका है कि उनको रूल्स का ज्ञान नहीं था, उसके बाद में सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विचाराधीन है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपने बताया कि नजराना दिया गया Is it not a fact that the land was sold at Rs. 200/- and there was no question of Nazrana.

श्री पूनमचंद विश्नोई : No proprietory rights were given.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि १ बीघा ज़मीन जो अजमेर शहर में मोटर पंप के पास खरीदी है उसे भी नजराने पर खरीदी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो के अलावा कौनसी जमीन खरीदी है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने दो के बारे में निवेदन किया था कि एक तो लोहागढ़ रोड पर और दूसरी सैकिन्डरी एज्यूकेशन बोर्ड के पास खरीदी है उनको वापिस करदी है।

श्री भैरोंसिंह : उनसे अलग अलग कितना नजराना लिया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो बीघा शामिल ली थी और २०० रु० नजराने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि एक जगह नहीं ली है दो अलग अलग जगह पर ली है एक शहर के बाहर और एक शहर के अन्दर ली है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि दो अलग अलग रोड्स पर ली है लेकिन बेचान एक साथ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि दोनों का एक साथ नज़राना लिया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की है कि जांच क अजमेर शहर में २०० रु.के नज़राने पर दो बीघा पक्की ज़मीन मिलना उचित है और उस अधिकारी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस बात की ही इन्क्वायरी हो रही है। वे सरेन्डर कर चुके है। रूल्स से अनभिज्ञ थे, इसके बावजूद भी इन्क्वायरी हो रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह जमीन सरकार की है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं। दरगाह से ला गई है।

प्रश्न संख्या १४६६

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

(अनुपस्थित)

Page No.21

बीमा विभाग के कर्मचारियों द्वारा खेले गये नाटक

१५००. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बीमा विभाग के कर्मचारियों द्वारा साल भर में कितने नाटक खेले जाते है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कारण कार्यालय के प्रमुख लिपिकों को अधिक समय तक बाहर रहना पड़ता है तथा शेष लोगों को अधिक समय कार्य करना पड़ता है।

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : बीमा विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहीं बल्कि बीमा विभाग रिक्रीयेशन क्लब द्वारा नाटक खेले जाते हैं। इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है।

(ख) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : रिक्रीएशन क्लब जो है क्या उसके अलग मेम्बर्स है और अलग स्टाफ है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह एक प्राइवेट क्लब है और विभाग के कर्मचारियों ने बना रखा है। किसी को क्लब बनाने के लिये रोक नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह माना जाय कि सरकारी स्तर पर नहीं खेलते बल्कि प्राइवेट तौर पर नाटक आदि खेलते है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां।

एमरी स्टोन मैन्युफेक्चरिंग कंपनी कुचमन रोड को लोन

१५०१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि एमरी स्टोन मैन्युफेक्चरिंग कं० कुचामन रोड ने इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट अथवा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से लोन लिया हुआ है ? यदि हां, तो कब कब और कितना।

(ख) उक्त लोन किस किस अधिकारी ने कब कब स्वीकार किया था ?

(ग) क्या यह सही है कि यह फर्म लोन की शर्तों के अनुसार काम नहीं कर रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस फर्म द्वारा चक्कियां एमरी स्टोन की न बनाई जाकर नकली पत्थर की बनाई जाती है ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) हां, उद्योग विभाग द्वारा एमरी स्टोन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी, कुचामन रोड को १०,००० रु० दिये गये उसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

७,५०० रु० दिनांक २१. ३. ५५

२,५०० रु० दिनांक १७. ३. ५६

(ख) उक्त उपरोक्त धन राशि लोन कमेटी द्वारा दिनांक २. ३. ५५ व १३. १०. ५५ को स्वीकृत की गई।

Page No.22

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस विभाग की जानकारी में नहीं है। मालूम हुआ है कि इसकी जांच खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जा रही है?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय लोन ग्रान्ट किया गया उस समय उक्त फर्म की ओर से आश्वासन दिया था कि जो चक्कियां बनेगी वह एमरी स्टोन की बनेंगी।

श्री पूनमचंद विश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एमरी स्टोन की चक्कियें नहीं बनाई जाती है और भारत सरकार के एक्सपर्ट्स ने ओपीनियन दी है कि एमरी स्टोन की नहीं बनाई जाकर और कई प्रकार के पत्थरों की बनाई जाती हैं?

श्री पूनमचंद विश्नोई : हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही हैं कि जिस समय उसको लोन दिया जा रहा था उस समय वहां के श्री हनुमानप्रसाद धूत ने इस बात का रिप्रजेन्टेशन दिया था कि यह एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनाता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से जो उनको सब्सिडी दी जाती थी, वह भी इसी कारण से रोक दी गई है इसलिए इसको लोन नहीं दिया?

श्री पूनमचंद विश्नोई : इसकी मुझे जानकारी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही उत्तर चाहता था। यदि मन्त्री महोदय, जिन्होंने यह लोन ग्रान्ट कराया है वे होते तो सही उत्तर दे सकते थे। वहां पर चक्कियां एमरी स्टोन की नहीं बनती है और इसी कारण से भारत सरकारकी ओर से जो सहायता दी जाती थी वह बंद कर गई है। राजस्थान सरकार से उसको १० हजार रुपये दिये गये है, मंत्री जी को इस बात की जानकारी हैं कि वह एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनाता है। वे अगर यहां मौजूद होते तो उत्तर देते। इस समय मेरा सप्लीमेन्ट्री करना फिजूल है। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय मौजूद हों उस समय मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : पहले भी इस बारे से प्रश्न किया जा चुका है। यह बात बतलाई थी इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट द्वारा लोन दिया गया है। इस बात की इन्क्वायरी करनी चाहिये कि एमरी स्टोन की चक्कियें वहां पर बनती है या नहीं। फेक्ट्स हमारे सामने हैं लेकिन आगे सरकार क्या कार्यवाही कर रहीं है इसकी जानकारी दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : लोन कमेटी और डिप्टी मिनिस्टर साहब दोनों को जानकारी थी कि जिस बात के लिये लोन दिया जा रहा है, वहां पर एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनती हैं। ऐसी इन्फोर्मेशन होते हुए और लिखित शिकायत के बाद भी लोन क्यों ग्रान्ट किया गया। यह लोन इन्सटॉलमेंट्स में दिया गया है और इन्सटॉलमेन्ट देने से पहले इसबात का सार्टिफिकेट दिया जाता है कि पहले लोन का सदुपयोग हुआ है या नहीं और निश्चि-

(श्री भैरोंसिंह)

तरूप से सर्टिफिकेट दिया हुआ होगा कि एमरी स्टोन की चक्कियां बनाई जाती हैं। शिकायत आने के बाद भी क्या सरकार ने वेरिफिकेशन करया था या नहीं कि उसी स्टोन की चक्कियां बनती है या नहीं। पिछली बार मैंने भाषण में इस बात का संकेत किया था लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है। इस बार भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है इसलिए दुबारा उत्तर दिया जाय।

श्री पूनमचंद विश्नोई : मेरा उत्तर विभाग की तरफ से बिल्कुल साफ है। एमरी स्टोन के लिये लोन दिया गया था। इसमें अगर आपको शिकायत है तो वापिस जांच करवा लेंगे। हमारे पास कोई शिकायत नहीं है कि इस तरह की नहीं बनाई जा रही है। अलबत्ता खादी बोर्ड जांच करवा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार को भारत सरकार ने सूचना नहीं दी है कि एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनती हैं और दूसरे स्टोन की बनाती हैं जो ह्यूमन हैल्थ के लिए इन्जूरियस है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : इसका उत्तर पहले भी मैंने दिया था, जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पहला लोन दिया गया उसे उसी काम के लिए खर्च किया या नहीं इसकी जांच करवा कर दूसरा दिया गया या नहीं ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : ऐसी ही कार्यवाही करके दूसरा दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि दूसरी इन्सटॉलमेन्ट दी गई उस वख्त सरकार ने वेरिफिकेशन करवाया था कि जो चक्कियां वहां बनती है वे एमरी स्टोन की बनती हैं ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : अब तक तो यही विश्वास है कि एमरी स्टोन की बनती हैं। आपकी यह धारणा है कि उस स्टोन की नहीं बनतीं तो फिर इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आज से तीन महीने पहले इसके बारे में कहा गया था और भारत सरकार की-चिटिठ्यें पढ़कर सुनाई थी, अब तक एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनती आ रही हैं। क्या यह माना जाय कि सदन में सूचना दी थी कि एमरी स्टोन की नहीं बनाई जा रही है खादी कमीशन और भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया, उसके बाद भी सरकार ने ३ महीनों तक जांच नहीं कराई कि उसने धोखा दिया या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पार्लियामेन्ट में इस प्रकार का प्रश्न उठा था और उसकी बिना पर भारत सरकार से जो सब्सिडी मिलती थी उसे बंद करदी थी। अगर मंत्री जी यह कहते हैं कि एमरी पत्थर की ही बनती है तो यह माना जाय कि भारत सरकार की जांच गलत है क्योंकि मंत्री जी अब भी कहते हैं कि ठीक तरह से बनती हैं। अब भी इसकी जांच करानी चाहिये नहीं तो जो लोन दिया गया है, वह गलत दिया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने साफ उत्तर दिया है। विभाग की तरफ से जो उत्तर

Page No.24

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

आया है वह गलत हो सकता है, तहकीकात नहीं हुई हो और गलत हो, वह अलग चीज़ है। यह बात सही नहीं है कि भारत सरकार ने लिख दिया कि नकली पत्थर की बनती है और हम बावजूद इसके भी दे रहे हों ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि सरकार ने अभी तक जांच नहीं की है कि वे चक्कियां एमरी स्टोन से बनती हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार की तरफ से अभी जांच नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसका कारण बता सकती है कि जब विधान सभा में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया था कि चक्कियां एमरी स्टोन से नहीं बनती हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जवाब में यह कहा गया है कि खादी बोर्ड इन्क्वायरी कर रहा है और खादी बोर्ड गवर्नमेंट की ओर से एक बोडी बनी हुई है और उसमें गवर्नमेंट के दूसरे इन्चार्ज हो सकते हैं इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट........

श्री अध्यक्ष : लोन उद्योग विभाग द्वारा दिया गया है तो उद्योग विभाग से पूछ लें कि इतनी देरी हुई या नहीं। यह कह देना कि अमुक बोर्ड कर रहा है, इससे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हटती नहीं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्क्वायरी जल्दी करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री गिरधारी लाल : १५०२।

लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील करने में असुविधा

१५०२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर श्री गिरधारी लाल द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार डाइरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड अर्थात् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि मामूली केसेज में काश्तकारों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाने से परेशानी व अधिक खर्चा होता है ?

(३) क्या सरकार अपील के अधिकार कमिश्नर को डेलीगेट करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) जी हां।

(२) मुकदमें में खर्चा या परेशानी होती है कि बोर्ड में अपील करने से।

(३) अभी ऐसा मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गिरधारी लाल : अपील के अधि-

(श्री गिरधारीलाल)

कार कमिश्नर को डेलीगेट करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। अभी तक हमारे पास स्पेसिफिक प्रपोज़ल्स नहीं है जिस पर विचार किया जा सके लेकिन जब राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, १९५९ पास हो जायगा तो उसके अन्दर गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं कि किसी भी ऐसे मामले में किसी को पॉवर्स डेलीगेट कर दें। उस समय विचार किया जायगा, उस समय उचित समझा गया तो कमिश्नर को पॉवर्स दे दी जायगी ताकि लोगों को दिक्कत मालूम न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपा राम ।

श्री गिरधारीलाल : १५०३ ।

कोलायत में खड़िया मिट्टी की फैक्ट्री

१५०३. श्री रूपाराम (नोखा सु०—श्री गिरधारी लाल द्वारा पूछा गया): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोलायत में खड़िया सफेद मिट्टी का ठेका कब व कितने सालों के लिए दिया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त ठेके में यह शर्त थी कि इसकी फैक्ट्री कोलायत में ही खोली जायगी अगर हां, तो क्या वह खुल चुकी है और उसमें कितने मज़दूर काम करते हैं ?

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) तारीख २७. ४. ५६ से २० साल के लिए।

(२) जी हां, परन्तु फैक्ट्री अभी तक नहीं बनाई गई है।

श्री गिरधारीलाल : ठेका किस व्यक्ति को दिया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): जब इस प्रकार एग्रीमेंट था, उस आधार पर ठेका दिया गया तो फिर सरकार ने इस बात जांच क्यों नहीं की कि यह फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : भारत सरकार की राय आ गई कि इस प्रकार का प्लान्ट इकोनॉमिकल नहीं होगा।

श्री गिरधारी लाल : किस व्यक्ति को ठेका दिया गया, उनका नाम क्या है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : ठेउला राम एन्ड कम्पनी को।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह ठीक है कि शर्त पूरी न करने का हालत में ठेका समाप्त किया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनकी ओर से नहीं है। भारत की ओर से आया है कि प्लान्ट इकोनॉमिकल नहीं हो सकता इसलिये प्लान्ट नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : क्या आप रिवाइज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को । जिस शर्त पर कन्सेशन दिया गया, वह कन्डीशन पूरी नहीं हो रही है और सरकार को नुकसान हो रहा है तो क्या फैक्ट्री लगाने की शर्त में कन्सेशन दिया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह लीगल प्रश्न है । एग्रीमेंट दो पार्टीज़ में हुआ हमारी तरफ से जो शर्त रखी, उन्होंने मंजूर कर लिया । उसके बाद यूनीलेटरली कन्डीशन्स चेन्ज़ हो गई, तो हम तोड़ सकते हैं और हम नई शर्त लगा सकते हैं । इसके बारे में लॉ विभाग ही कह सकता है । हम नहीं कह सकते ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अगर प्लान्ट इकोनॉमिक होगा, तभी लगाया जा सकेगा और अगर इकोनॉमिकल नहीं होगा तो नहीं लगाया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी ऐसा नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं था तो सरकार के ऊपर दायित्व था कि किसी प्रकार अमुक व्यक्ति प्लान्ट न लगाये और जो कन्सेशन मिलता था, वह नहीं ले ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भारत सरकार ने हमको लिखा है कि यह प्लान्ट लगाना ठीक नहीं होगा । हमारी तरफ से नहीं किया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने हम को लिखा तो भारत सरकार लिखती रहे, यह एग्रीमेंट पर किस प्रकार असर करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माइनिंग में उनकी व्यूज की रेस्पेक्ट करते हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या ठेकेदार ने प्लान्ट लगाने से इन्कार किया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) कौनसे कारण बताये कि जिनके कारण से यह आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा ? कौन सा बुनियादी कारण है ? मैं समझता हूं कि भारत सरकार की ऐसी कौनसी रिपोर्ट है, जिसके आधार पर कहते हैं कि भारत सरकार ने ऐसा कह दिया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भारत सरकार की ओर से आया है । उस व्यक्ति की ओर से ऐसा तो नहीं आया ।

श्री गिरधारीलाल : भारत सरकार....

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : राजस्थान सरकार ने ठेकेदार को कह दिया कि प्लान्ट न लगायें, क्या यह सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि एक आदमी आता है, वह कहता है कि फैक्ट्री लगाना है मुझे कन्सेशन दे दीजिये माइन्स के लिये । जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वह अन्-इकोनॉमिकल साबित होता है । तो वह पहले देखना चाहिए था कि यह इकोनोमिक है या

(श्री अध्यक्ष)

अनइकोनोमिक है why should the Government lose on that account ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इकरारनामे में नई शर्त डालने के लिए विचार हो रहा है। नई परिस्थिति पैदा हो गई कि यह इकोनोमिक नहीं होगा, इस आधार पर इकरारनामा दुबारा रिवाइज़ किया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : सरकार ने नोटिस दिया है कि इकरारनामा रिवाइज़ किया जायगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इकरारनामे में शर्त दी जायगी।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : ठेका लेने वाला इकरारनामा मंजूर करले, ऐसी अवस्था में सरकार को क्या आवश्यकता हुई कि वह ठेके को रिवाइज़ कर रही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भारत सरकार की राय में प्लान्ट इकोनोमिकल नहीं हो सकता, इसलिए कर रही है।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : भारत सरकार के पास से राय कौनसी तारीख को आई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस तरह पूछ रहे हैं कि कौनसी तारीख को आई, कब क्या हुआ...

श्री गिरधारी लाल : तारीख जरूरी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि यह प्लान्ट न लगाया जाय, यह भारत सरकार के पास से राय आई। इसके अलावा फोरिन एक्सचेंज का सवाल पड़ता है और पूरे देश की व्यवस्था देखनी पड़ती है कि कहां कहां पर किस तरह के प्लान्ट लगाये जायं। उनकी राय है कि प्लान्ट न लगाया जाय। इस आधार पर ठेके की शर्त को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठेका रिवाइज़ करना है तो दूसरा आदमी चाहेगा कि ज्यादा एडवान्टेज़ियस टर्म दी जायं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा कि यूनीलैटरली इकरारनामा चेंज नहीं कर सकते। दोनों पार्टी की राय से होगा, सहमति से होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष : But they have broken a condition of the contract.

श्री भैरोंसिंह : Exactly.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They have not broken. It is the Government of India which has recommended...

श्री अध्यक्ष : The Government of India does not come in the picture at all. It may be un-economic, but it is for him to see when he agrees to the thing.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार के पास राय आई है वह राय उस पार्टी ने मांगी है, न कि राजस्थान सरकार ने।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार की राय राजस्थान सरकार के पास किस प्रसंग में आई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या यह माना जाय कि राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार से जानकारी चाही है, न राज्य सरकार के कहने के ऊपर टैक्निकल एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है कि यह प्लान्ट इकोनोमिक नहीं हो सकता।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें फर्क नहीं है कि भारत सरकार ने, उस पार्टी के कहने पर राय दी या हमारे कहने पर राय दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पार्टी राय मांगती है तो उनकी तरफ राय दे देते हैं और अगर हम चाहेंगे तो हमारी तरफ राय दे देते हैं। परिस्थिति यह नहीं है भारत सरकार ने जो राय दी है, वह पूरी जानकारी करके जांच करके दी है। यह नहीं कह सकते कि उस पार्टी के कहने पर राय दी है।

श्री भैरोंसिंह : फिर किसके कहने पर भारत सरकार को राय देने की तकलीफ करनी पड़ी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह इण्डस्ट्रीज का मामला है, भारत सरकार निरीक्षण रखती है कि कौनसा प्लान्ट, किस तरह की इण्डस्ट्री कहां लगे, यह देखने की बात है। इसके साथ फॉरिन एक्सचैंज और दूसरे राज्यों में किस तरह की फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, इस पर विचार करके तय करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उद्योग विभाग ने जांच की थी कि जो प्लान्ट लगाया जाना है, वह अनइकोनोमिक होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें फॉरिन एक्सचैंज का सवाल नहीं है। मिट्टी हैदराबाद भेजी गई थी, उसका एनेलेसिस किया गया, वह एनेलेसिस से क्या तय हुआ? इसमें भारत सरकार की राय का सवाल नहीं है क्योंकि स्वयं मालिक, वह ठेकेदार बनाना चाहता है। यह बुनियादी बात है, अब मंत्री महोदय के न होने की वज़ह से उत्तर नहीं मिलता है, भारत सरकार ने क्या कहा, वह कागज़ नहीं मिलता है, तारीख नहीं मिलती है, पूरी जानकारी नहीं मिलती है।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : ठेकेदार ने ठेका नियमित शर्तों के आधार पर मांगा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो सप्लीमेन्ट्री पूछे जायं, वे क्वेश्चन को देख कर, उसके अनुसार पूछे जायं। क्वेश्चन इस ढंग का पूछा गया है और दुनियां भर की बात पूछ ली गई है, उन सब का जवाब देना मुश्किल है (हंसी) जो क्वेश्चन हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछते तो उसका जवाब दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह मालूम है कि राज्य करना मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास : उप शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर सम्बन्धित मंत्री होते तो उत्तर दे देते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सप्लीमेन्ट्रीज की आखिर लिमिट होनी चाहिए। सप्लीमेन्ट्री के लिए कायदा यह है....

श्री भैरोंसिंह : स्पीकर महोदय को सरमन्स देने की जरूरत नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कोलायत में खड़िया सफेद मिट्टी का ठेका कब व कितने सालों के दिया गया....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) On a point of Order, Sir...

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने क्वेश्चन को अलाऊ किया है। इसलिए यह एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order Sir, when the Hon'ble Speaker has allowed a supplementary, it is considered to be a valid supplementary and the Hon'ble Minister has no right to criticise it.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have got a right to submit before the Hon'ble Speaker that supplementary should be confined to the question and to its relevancy and not...

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir. He should have made that submission before he gave reply to the question, Now he is coming with an explanation...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : जवाब में कहा गया कि जानकारी नहीं है तो फिर सप्लीमेंटरी करने की जरूरत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

प्रताप कोलोनी, उदयपुर

१५०४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुर से सात मील दूर शरणार्थियों को बसाने के लिये प्रताप कोलोनी का निर्माण किया गया था ?

(ख) इसमें कितना खर्च लगा था ?

(ग) इस समय इस कोलोनी में कुल कितने परिवार रहते हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि जो मकान बनाये गये इसमें अधिकांश टूट गये हैं ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) शरणार्थियों को बसाने के लिये उदयपुर से ३ मील की दूरी पर प्रतापनगर कोलोनी का निर्माण किया गया था।

(ख) इस कोलोनी का निर्माण श्री भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया

Page No.30

(श्री सम्पतराम)

गया । ३०-६-५५ तक इस पर कुल व्यय करीब २८,२७,५१० रु० हुआ । तत्पश्चात् यह सोसाइटी लिक्विडेशन में लाई गई और इसके पश्चात् इस पर करीब १,४२,००० रु० और खर्च किया गया है ।

(ग) इस समय कोलोनी में करीब २५८ परिवार रहते हैं । इसकी कुछ इमारतें कई सरकारी विभागों, जैसे शिक्षा, खनिज, समाज कल्याण सहकारी, पुलिस, पोस्ट ऑफिस आदि को जो प्रतापनगर में स्थित हैं, किराये पर दी हुई हैं ।

(घ) कुल ३४४ मकानों में से 'इ' श्रेणी के ६ और सी० श्रेणी के ४ है । कुल मकानों की छतें सन् १९५७ में भयंकर तूफ़ान के कारण टूटी गई थीं। सी० श्रेणी के ३ मकान की छतें दुरुस्त करवा दी गई हैं। शेष ७ मकानों की छतें वैसी ही पड़ी हैं । इसका कारण यह है कि सोसाइटी भारी क्षति में है और उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि उन मकानों की छतें दुरुस्त करवाई जा सकें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो २८, तीस लाख रुपया लगा वह कितने परिवारों के रहने के लिये लगाया गया ?

श्री सम्पतराम : यह डेफिनेटली ख्याल नहीं है कि कितने मकान बनाने हैं पर ६४ लाख की कुल योजना थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि आपने कहा २०० परिवार इसमें बस रहे है तो इस तरह कुल कितने परिवारों को बसाने के लिये यह रुपया लगाया गया ?

श्री सम्पतराम : कितनी फैमिलीज़ को आबाद करने का सवाल था यह तो डेफि-नेटली मालूम नहीं, २५८ परिवार तो इनमें रहते हैं और कुछ दूसरों को दिये हुए हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : २८ लाख लोन का रुपया दिया उसमें से कितना रुपया वापिस वसूल हुआ है ? Out of 2 lakh rupees loan, how much money you have recovered uptil now ? How many instalments ?

श्री सम्पतराम : I have not got that figure now.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : उनके पास फिगर्स नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : लिक्विडेशन में जाने के बाद कितना रुपया इसका सरकार के पास है ?

श्री सम्पतराम : ३३५६८ रुपया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : अब तो सरकारी कर्मचारी वहां लगाये हैं, मैं देख कर आया हूं वहां पर पूरे परिवारों की संख्या १०-२० हैं, इनके अलावा कोई वहां रहता नहीं, इसकी जांच कराई जाय ।

श्री सम्पतराम : यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां १०,२० परिवार ही रहते हैं । प्रताप नगर कोलोनी को मैंने देखा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें २००० परिवारों के लिये प्रबन्ध किया गया था ?

Page No.31

श्री सम्पतराम : हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम ।

राजस्थान कॉलेज में शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों के सुरक्षित स्थान

१५०५. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान कॉलेज़ में प्रवेश पाने हेतु शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उपमंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) विशेष रूप से तो कोई स्थान सुरक्षित नहीं है परन्तु प्रवेश के लिये योग्यता में अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत'।

श्री जयसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, अपना प्रश्न करने से पहले प्रेस विभाग की लापर्वाही की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पहले तो छपाई में गलतियां ही होती थीं अब तो कॉन्स्टिट्युएन्सी तक बदल दी हैं, मैंने इसकी ओर सरकार का ध्यान....

श्री अध्यक्ष : आप एक छोटी सी गलती को खामोखाम बढ़ा रहे हैं, आप मुझको लिख कर दे देते। अब आप प्रश्न पूछिये ।

तहसील आसिंद और उप तहसील बदनोर के कर्मचारी

१५०६. **श्री जयसिंह राणावत** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) तहसील आसिन्द और उप तहसील बदनोर ज़िला भीलवाड़ा में कितने राज्य कर्मचारी किस किस ओहदे के इसी तहसील में कब से तैनात हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) ढ़ाई सौ रु० माहवार से कम वेतन भोगी कर्मचारी को उसी तहसील में रखे जाने के आदेश हैं कि उस ज़िले की किसी भी तहसील में ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) पहली सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) उस डिस्ट्रिक्ट की किसी तहसील में।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जयसिंह राणावत: मुझे कोई सूची नहीं मिली है और प्रश्न पूछने के लिये उसकी प्रति होनी चाहिये। इस बारे में कई बार सदन में निवेदन कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप कापी दे दीजिये, श्री मुरलीधर व्यास ।

ग्राम भादसौड़ा का स्कूल भवन

१५०७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे : (क) क्या ज़िला चित्तौड़ तहसील भदेसर के ग्राम भादसौड़ा के स्कूल भवन के

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिये सरकार ने कोई धन राशि सहायतार्थ दी है ?

(ख) यदि हां, तो कितना धन अनुदान में दिया गया है व क्या उक्त धन राशि से स्कूल भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है ?

(ग) क्या भादसोड़ा मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उपमंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : ४००० रुपया ग्रान्ट हुआ था भवन निर्माण होने लगा तो मोहिनी नगर बसाने को भी कहा था और आप कहते हैं कि बसाई ही नहीं गई। मैं कहता हूं इसका शिलान्यास किया गया था।

श्री अध्यक्ष : वे तो कहते हैं कि सरकार की ओर से कुछ नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की तरफ से ४००० लोन दिया है पर वापिस बन्द कर दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : या तो स्कूल हम खुद बना कर देते हैं या दूसरी बात यह है कि गांव वाले बनायें उसमें सहायता देते हैं। ४००० हमने दिये हों और हमारे खाते में नहीं हों, यह बात तो नहीं हो सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : ४००० की सहायता डवेलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्रान्ट इन एड उन लोगों को देते हैं जो ग्राम वाले भवन बनाते है।

प्रश्न संख्या १५०८

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में हिन्दी विषय के छात्रों तथा प्राध्यापकों की संख्या

१५०९. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) गत जनवरी १९५९ से डूंगर कॉलेज़ बीकानेर में हिन्दी विषय में प्रथम वर्ष से अष्ठम वर्ष तक कितने छात्र तथा कितने प्राध्यापक हैं एवं राजस्थान कॉलेज जयपुर में हिन्दी तथा संस्कृत विषय में कितने छात्र हैं तथा कितने प्राध्यापक हैं ?

(ख) कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री शिक्षा विभाग (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) : (क) डूंगर कॉलेज, बीकानेर में हिन्दी के २०५ छात्र तथा ३ प्राध्यापक थे। राजस्थान कॉलेज, जयपुर में हिन्दी के ५३ छात्र तथा ३ प्राध्यापक हैं तथा संस्कृत के २५ छात्र व २ प्राध्यापक हैं।

Page No.33

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) तालिका रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : डूंगर कॉलेज में अब कितने हैं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : अब तो छुट्टियां हो गई हैं, एक भी नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : क्या यह सही है कि चन्द्रदेव प्रोफेसर थे उनके देहान्त के बाद कोई प्रोफेसर अपॉइन्ट नहीं किया गया ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी हां अपॉइन्ट नहीं किया। पी. ए. सी. ने एग्री नहीं किया था कि वह अभी सिलेक्ट करने को तैयार है।

श्री मुरलीधर व्यास : दर्ख्वास्तें आई थीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दर्ख्वास्तें आई थी, पी. ए. सी. को भेजीं, पर इम्तिहानों में थोड़ा समय रह गया था, इस लिए पी. ए. सी ने मना कर दिया कि समय बहुत थोड़ा रह गया है। कोई ज्यादा नुकसान हुआ हो ऐसी बात नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): छुट्टियां कब से हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा व देवली तहसील में तकावी वितरण

१५१०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उनियारा और देवली तहसीलों में सन् ५६=५७ व ५८=५९ में कितनी कितनी धन राशि तकावी वितरण के लिये स्वीकृत हुई थी ?

(ख) उपरोक्त सालों में दोनों तहसीलों में ग्राम वाइज़ कितनी कितनी तकावी वितरण हुई और कितनी लैप्स हुई ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) और (ख) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : लैप्स होने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : साफ है कि रुपया खर्च नहीं हुआ। हो सकता है कि राज कर्मचारियों की गलती हो या तकावी लेने के लिए लोगों की दर्ख्वास्तें ही नहीं आई हों।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राज कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों का नुकसान हुआ है, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने को सरकार तैयार है।

श्री सम्पतराम : जांच करने पर उनकी लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

अकलेरा तहसील के सामने का सार्वजनिक चौक।

१५११. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अकलेरा जिला झालावाड़ में तहसील के सामने का चौक सार्वजनिक होते हुए तथा जनता द्वारा विरोध करते हुए भी किस तहसीलदार ने किस तारीख को स्थानीय जैन समाज को दे दिया ?

(२) इस प्लाट को देने के कितने दिन बाद इस तहसीलदार का तबादला हुआ ?

(३) क्या इसी चौक में दुकानें बनने के लिये कुछ शरणार्थियों ने भी मांग की थी और उनकी दर्ख्वास्तों पर यह हुक्म दिया गया कि यह चौक सार्वजनिक है और गांधी चौक के नाम से पुकारा जाता है, इस लिए इसको नहीं दिया जावेगा ?

(४) पंचायत क्षेत्र के अन्दर ज़मीन देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होते हुए भी उक्त पंचायत अधिनियम के विरूद्ध काम करने पर तहसीलदार को क्या दण्ड दिया गया ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) श्री गौरीशंकर तहसीलदार ने दिनांक २७. ८. ५५ को जैन समाज को जमीन तहसील के सामने की गंदगी दूर होने के कारण सार्वजनिक कार्य के लिये दी। जमीन की स्वीकृति के समय जनता द्वारा विरोध होना नहीं पाया।

(२) १४ दिन बाद दिनांक १०. ९. ५५ को तबादले पर रवाना हुए।

(३) जी नहीं।

(४) इस प्रकार से जमीन देना तहसीलदार के अधिकार के बाहर की बात थी। इस अनियमितता की जांच की जावेगी तत्पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो दण्ड दिया जावेगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, यह सारा जवाब गलत है, रेवेन्यू बोर्ड ने सार्वजनिक हित में फैसला दिया है....

श्री अध्यक्ष : मंजूर करते हैं कि तहसीलदार ने गलत काम किया, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल, : कब कार्यवाही करेंगे ?

श्री सम्पतराम : यह जांच हो जाने के बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह करेंगे।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या इस जमीन पर जैन समाज की ओर से कोई इमारत भी बनाली गई है ?

श्री सम्पतराम : जैन समाज की ओर से इमारत बनाने की सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन पंचायत ने चबूतरा बनाया है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : पंचायत ने ही बनाया है या इस पर चबूतरा जैन समाज ने बनाया है ?

श्री सम्पतराम : जैन समाज ने कोई चबूतरा नहीं बनाया है जहां तक मेरी सूचना है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : तहसीलदार ने जिसने गैर कानूनी कार्य किया उसके खिलाफ कब से कार्यवाही शुरू हुई है ?

श्री सम्पतराम : प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न किया उसके बाद से ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अगर यह प्रश्न नहीं पूछा जाता तो तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

श्री सम्पतराम : ईमानदारी से यह बात मानली जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि माननीय सदस्य यहां कोई प्रश्न पूछें तभी कार्यवाही की जाये अगर कोई गलती होती है और सरकार के नोटिस में लाई जाती है तो उसके लिए कार्यवाही की जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्थानीय कांग्रेस ने भी सरकार को इसके लिये सूचना दी है ?

प्रश्न संख्या १५१२

श्री अध्यक्ष : श्री मोडूलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

ग्राम च्यावदा के किसानों को तकावी

१५१३. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम च्यावदा तहसील पीपल्दा के कुछ किसानों ने सन् ५८ में तकावी की मांग की थी ?

(२) यदि हां, तो उक्त ग्राम के कौनकौन किसानों ने कितनी कितनी धनराशि के लिये किस किस तारीख को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए थे ?

(३) प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्त्ता कृषकों को तकावी की रकम किन तारीखों में तथा कितनी कितनी दी गई ?

(४) प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने तथा तकावी की धनराशि प्राप्त करने में कितना समय लगा ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री संपतराम) :

(१) जी हां ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) तकावी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् केवल २ माह १५ योम के भीतर रकम कृषकों को वितरण कर दी गई थी । इस दरमियान में कृषकों को केवल अधिक से अधिक ३ बार तहसील में आना पड़ा :

प्रथम बार प्रार्थनापत्र देने,
द्वितीय बार मालूम करने और
तृतीय बार रकम लेने के लिये ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

Page No.36

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्नोत्तर

(२७-४-५६)

अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन

१२१६. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):** क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट अन्तिम बार विभिन्न निरीक्षक कार्यालयों से कब कब प्रकाशित की गई है ? कृपया दिनांक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनचन्द बिश्नोई) : राजस्थान में विभिन्न निरीक्षक कार्यालयों द्वारा अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट के प्रकाशन की तारीख की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय सूची मुझे नहीं मिली है। मैंने सूची के लिए पूछा भी था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय मुझे सप्लीमेंट्री पूछना है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास सूची है। आप तारीख बता दीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई :

Inspectorate,	Bikaner	14.3.58
,,	Churu	July, 1958
,,	Ganganagar	20.2.59
,,	Sikar	25.2.58
,,	Jhunjhunu	26.3.58
,,	Jodhpur	31.12.57
,,	Barmer	6.2.59
,,	Nagaur	20.10.57
,,	Pali	Not published
,,	Sirohi	23.1.57
,,	Jalore	1.4.59
,,	Jaisalmer	2.6.58
,,	Jaiput East	31.3.58

श्री अध्यक्ष : बाकी लिस्ट देख लेंगे।

(शेष के लिये परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह लिस्ट जो सीनियोरिटी के लिए कानून बने हैं उसी के अनुसार बनी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसी के अन्तर्गत बनती है। अगर किसी को किसी प्रकार का ऐतराज होता है तो वह पेश कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बी० ए० पास अध्यापकों के ग्रेड

१२२८. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर)** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ऐसे कितने बी० ए० पास अध्यापक हैं जो बी० ए० की ग्रेड नहीं पा रहे हैं ?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(२) सन् ५७ से पूर्व के कितने अध्यापक अब भी बी० ए० की ग्रेड में नहीं हैं ?

(३) सन् ५७ एवं ५८ में कितने नये अध्यापकों को बी० ए० की ग्रेड पर नियुक्त किया गया है ?

उपमंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) ११५५

(२) ६६३

(३) २७३

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब आप के पास ५७ : ५८ के हज़ार से ऊपर अध्यापक हैं तो फिर आपने नये क्यों लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह वे अध्यापक हैं जो इस सब्जेक्ट के नहीं थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उन हजार में से एक भी उन विषयों का नहीं था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उन विषयों के नहीं थे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : मैं कहता हूं कि इन विषयों के बहुत से पुराने अध्यापक हैं परन्तु जवाब दिया है कि नहीं है। मैं समझता हूं कि यह गलत जवाब है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कैसे कौन सब्जेक्ट्स हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : साइन्स, मैथेमेटिक और डोमेस्टिक साइन्स।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके अलावा तो किसी का अपॉइन्टमेंट नहीं किया है या किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोमर्स के बहुत से अध्यापकों को लिया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो आधार है उसके विरुद्ध हो गई है, तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(२८–४–५९)

ज़िला भरतपुर व धौलपुर में लोहे का लघु उद्योग।

१२४७. श्री सूबेदार सिंह (बाड़ी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बाड़ी, ज़िला भरतपुर में लघु उद्योग द्वारा सबसे अधिक लोहे का सामान बनाया जाता है ?

(ख) भरतपुर ज़िले को कितना लोहा व कोयला मिलता है तथा बाड़ी को कितना लोहा व कोयला दिया जाता है ?

(ग) क्या धौलपुर सब डिवीज़न में भी नियन्त्रण का लोहा आता है ? यदि हां, तो किसको मिलता है और कहां बेचा जाता है, नामवार बतावें ?

Page No.38

उप मन्त्री उद्योग विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) बाड़ी एक प्रमुख लघु उद्योग केन्द्र हैं।

(२) भरतपुर ज़िले को लघु उद्योगों के लिये २२७ टन वार्षिक लोहा व १५ वैगन कोयला प्रति छमाई मिलता है और कस्बा बाड़ी को १०० मन लोहा व ३,००० मन कोयला सालाना मिलता है।

इसके अतिरिक्त सन् १६५८–५६ में कृषि कोटे का लोहा व कोयला निम्न प्रकार आयाः–

चद्दरें ३५६ टन।

गार्डर ४० टन।

कोयला २३४१ मन।

(ग) जी हां परफेक्ट लोहे का कोटा मेसर्स मदार वर्क्स बजीरउद्दीन को मिलता है व स्क्रेप का कोटा मेसर्स धौलपुर स्टील प्रोडेक्टस को मिलता है। यह कोटा धौलपुर में बेचा जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मेसर्स धौलपुर स्टील प्रोडेक्टस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्लेकलिस्ट में आया हुआ है ?

श्री पुनमचन्द बिश्नोई : यह हमारी जानकारी में नहीं है ?

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने पिछले गत वर्ष में उनको दंड भी दिया।

श्री पुनमचन्द बिश्नोई : आपने जनरल बात पूछी है और बाद में यह कहते हैं अगर इसका प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन के नाम आँलटेड सरकारी ज़मीन

१२४८. **श्री भीमसेन** : (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(२) डारेक्टर, कोलोनाइजेशन, हनुमानगढ़ ने अपने तथा अपने लड़कों के नाम से कितनी कितनी सरकारी ज़मीन माखरा नहर द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्र में अलॉट करवा रखी है ?

(१) क्या यह सही है कि उन्हों चक नं० २ एस० एन० एम० से किसी दूसरे चक में ज़मीन का तबादला करवाया है ? अगर हां, तो क्यों।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त चक नं० २ एस०एन०एम० जागीरदारों के लिये ही रिजर्व हैं ? अगर हां, तो उनको उपरोक्त चक के अलावा दूसरे चक में तबादला करने की आज्ञा कैसे दी गई ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) :

(१) खुदकाश्त कमिश्नर, राजस्थान द्वारा निम्नलिखित सरकारी भूमि डाइरेक्टर ऑफ कोलोनाइजेशन, हनुमानगढ़ व उनके लड़कों

(श्री सम्पतराम)

को खुद काश्त के लिये अलॉट की गई थी:—

नाम	क्षेत्रफल
(१) श्री बनेसिंह धाभाई	२५ बीघा
(२) श्री वीरेन्द्रकुमारसिंह धाभाई (पुत्र)	२५ बीघा
(३) श्री रामसिंह धाभाई (पुत्र)	२५ बीघा

(२) जी हां। चक नं० २ एस०एन० एम० से किसी दूसरे चक में ज़मीन का तबादला भूमि एकत्रीकरण और खेती की सुविधा को ध्यान में रख कर करवाया गया था। यह तबादला सरकारी आज्ञा द्वारा किया गया है।

चक नं० २ एस० एन०एम० का कुल क्षेत्रफल १२६३ बीघा है जिसमें से केवल ६१६ बीघा भूमि जागीरदारों के लिए रिजर्व की थी। बाकी भूमि मोसमी आदि काश्तकारों के पास है। भूमि तबादला करने की आज्ञा सरकार द्वारा दी गई थी।

(३) जी नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों में इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही कि ये दोनों लड़के नाबालिग थे ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आप कहिये । उत्तर दीजिये।

श्री सम्पतराम : नाबालिग तो वे नहीं है। मेरे ख्याल से नाबालिग नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा सा है कि आया वे बालिग हैं या नाबालिग ? अगर वे नाबालिग नहीं हैं तो माननी मन्त्री क्या उनकी उम्र बता सकते हैं।

श्री सम्पतराम : मैंने कभी यह ख्याल भी नहीं किया था कि उम्र बताने का प्रश्न भी आवेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : वे क्या स्वयं खेती का काम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो खुद काश्त कमिश्नर द्वारा मिली है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह ज़मीन उनको उस समय अलॉट की गई जिस समय उनके पिता वहां कोलोनाइजेशन ऑफिसर थे ?

श्री सम्पतराम : वे तो अब भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि खुदकाश्त कमिश्नर ज़मीन का अलॉटमेंट कोलोनाइजेशन ऑफिसर की रिकमन्डेशन पर करता है ?

श्री सम्पतराम : इसकी जितनी भी फोरमेलिटीज़ होती हैं वे तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उक्त मामले में कलेक्टर ने यह जानकारी दी है कि उक्त लड़के बालिग है और लैन्ड लैस टिनेन्ट हैं।

Page No.40

श्री सम्पतराम : कलेक्टर के पास एप्लीकेशन गई थी।

श्री भैरोंसिंह : कोलोनाइजेशन ऑफिसर....

श्री अध्यक्ष : इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यह कि उनको और उनके लड़कों के खुद काश्त पर ज़मीन दी गई। क्या आपका यह कहना है कि खुदकाश्त के अन्तर्गत नाबालिग को ज़मीन नहीं दी जा सकती? दूसरी बात यह कि रिज़म्प्शन के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती।

श्री भैरोंसिंह : इस ज़मीन में जो ज़मीन का अलॉटमेंट किया जावे दोनों लड़कों को अलॉट नहीं की जा सकती। दोनों लड़के जागीर रिजम्प्शन के अन्तर्गत नहीं आते।

श्री अध्यक्ष : तो यह माना जाना चाहिये कि यह ज़मीन जा० रि० के अनुसार अलॉट नहीं की जा सकती।

श्री सम्पतराम : इसकी तो जानकारी करने की कोशिश की है....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट टर्न पर रखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट पूरी इन्फोमेंशन के साथ आये कि खुदकाश्त होल्डर्स कैसे बने, कोलोनाइजेशन ऑफिसर ने क्या जानकारी दी है और खुदकाश्त कमिश्नर ने क्या रिकमन्डेशन की हैं।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : टू एन एस में तीन मुरब्बा गज ज़मीन है। ट्रान्सफर की गई है उसमें भी तीन बीघा ज़मीन दी गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

९. ३० म० पू०

विधायी कार्य

पुनः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर भेज दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : स्थगन प्रस्ताव का उत्तर नहीं आया है। वह दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी यहां इस समय। यदि वे स्टेटमेंट देते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो दूसरी तरह से इस पर विचार किया जावेगा।

राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ़ जागीरर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक ५६ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री राजस्व मन्त्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "राज-

(श्री अध्यक्ष)

स्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित किया जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(विराम)

राजस्थान सरकारी विद्युत उपक्रम बाकी राशियों की वसूली) विधेयक, ५६ (पुरः स्थापन)

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता गृह मन्त्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1959 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

६. ३२ म० पू०

राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट बिल, १६५७

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that in clause 2, sub-clause (1), part (ic) delete the words 'and other operations ...building.' अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग ओपरेशन की डेफिनेशन में यह दिया गया है कि बिल्डिंग ओपरेशन "'Building operations' includes rebuilding operations, structural alterations of or additions to buildings उसके बाद and other operations normally undertaken in connection with the construction of buildings;" मैं समझता हूँ कि इन शब्दों का जो यह फ्रेज़ है वह रहना कोई जरूरी नहीं है। बिल्डिंग ओपरेशन से नोर्मली जो चीज़ समझते हैं उससे वह सैंस कन्वे हो जाता है। इसको डिलीट करने के बाद भी and other operations normally undertaken during the construction of buildings. उसको लेते हैं तो उसका वाइड इन्टरप्रिटेशन होता है और जो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का अधिकारी हो तो मनमाने तरीकों से लोगों का हैरेसमेन्ट होता है और ऐसी वेग और वाइड डेफिनेशन रखने से, मुझे मिसाल भी कुछ दिन पहले मिली थी कि एक पंचायत ने, जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वाइटवाश करने के लिए २५) जुर्माना कर दिया। अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग ओपरेशन कर दिया। उस आदमी ने अपील किया है। other operations which are undertaken in connection with the construction of buildings उसमें आ जाता है और उसमें जो विन्डिक्टिव

Page No.42

(श्री पी. के. चौधरी)

हो, इम्प्रूवमेन्ट का अधिकारी है तो जाकर वाइटवाशिंग करना पड़ता है या बल्टरिंग करने के लिए पर्मीशन की जरूरत पड़ेगी।

मैंने अमेन्डमेन्ट दिया है कि जितनी " 'building operations' includes rebuilding operations, structural alterations of or additions to buildings..." यह सारा उसमें आ जाता है। उसके बाद "and other operations normally undertaken in connection with the construction of buildings;"
यह रहना कोई ज़रूरी नहीं है इसलिए अमेन्डमेन्ट रखा है इन शब्दों को डिलीट करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : दूसरा भी मूव कर दीजिये!

श्री पी० के० चौधरी : Clause 2A, sub-clause (1) reads:-"(1) The State Government by order notified in the official Gazette direct that in respect of and for any urban area in the State specified in the notification, a civic survey shall be carried out, and a master plan shall be prepared, by such officer or authority as the State Government may appoint for the purpose." मेरा अमेन्डमेंट यह है कि यह एन्ड में एड करना चाहता हूं कि "in consultation with the Chairman of the Municipal Board concerned,"

अध्यक्ष महोदय, जो मास्टर प्लान बनाया जावेगा वह किसी म्युनिसिपल एरिया या आस पास के एरिया के लिए बनाया जावेगा और मैं समझता हूँ, उस मास्टर प्लान बनाने में "the Chairman of the Municipal Board should be consulted. गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं कि एक कमेटी बना दे और वह कमेटी मास्टर प्लान बनादे। मैं समझता हूं कि उसके बनाने से पहले म्युनिसिपल चेयरमैन को उसके बारे में कन्सल्ट करना चाहिये कि किस ढंग से मास्टर प्लान बनाना चाहिये और बना रहे हैं, किस ढंग की चीज़ हो। यह चीज़ एड किया है कि मास्टर प्लान बनावेंगे : At the time of preparation of master plan, they should prepare in consultation with the Chairman of the Municipal Board. ताकि उसकी राय है जिससे कम से कम लोकल फीलिंग्स का, लोकल रिक्वायरमेन्ट्स का उसमें रिफलेक्शन रहेगा। मास्टर प्लान बनाने से यह जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपल एरिया से किसी को रखेंगे। उसमें सरकार के एक्सपर्ट को रखा जावेगा, जिनको टाउन प्लानिंग में तजुर्बा हो या उस विषय में वे क्वालिफाइड हो उनको रखेंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि लोकल लोगों के जो एस्पिरेशन हैं उनको उनका इतना ख्याल हो। वे तो एक मोडल टाउन का ख्याल रख कर ही प्लान बना सकते हैं। लोकल लोगों का ख्याल क्या है? वे क्या चाहते हैं उस ओर उनका ध्यान नहीं रहता है जब कि चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, जो एक रेस्पोन्सिबल पर्सन हैं और जो लोकल रिक्वायरमेन्ट्स से अच्छी तरह से परिचित हैं इसलिए कोई प्लान बनाने से पहले उनसे कन्सल्टेशन होना चाहिये और मैंने इसी ख्याल से यह अमेंडमेंट रखा है।

दूसरा अमेन्डमेंट है : In sub-clause (2) between the words 'members' and 'as' insert the words 'one of whom

Page No.43

(श्री पी. के. चौधरी)

shall be the Chairman of the Municipal Board concerned.' अध्यक्ष महोदय, यह जो सब-क्लॉज़ २ है "(2) For the purpose of advising the officer or authority appointed under sub-section (1) on the preparation of master plan the State Government may constitute an advisory council consisting of a Chairman and such number of other members as the State Government may deem fit." इसका मतलब यह है अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान टेक्निकल ऑथोरिटी अपने व्यू पॉइन्ट से बना देते हैं लेकिन उसको एडवाइज़ करने के लिए सब क्लॉज़ २ में प्रोवाइड किया गया है कि एक एडवाइज़री कमेटी सरकार बना देगी। उसके मेम्बर्स को सरकार अपॉइन्ट करेगी और उस कमेटी में चेयरमैन भी रहेंगे। मेरा सुझाव यह है कि उस कमेटी का one of the members should be a chairman of the Municipal Board. रहना चाहिये। वाइड डिस्कशन रखते हैं सरकार के सामने। सरकार की मर्ज़ी हो तो म्युनिसिपल चेयरमैन को रख सकती है और यदि उससे नाराज हो तो किसी आदमी को रख सकती है जो म्युनिसिपल कौंसिलर न हो और मेम्बर भी न हो। मैं समझता हूं वह ब्रिफिटिंग होगा। मास्टर प्लान के लिए ऑथोरिटी है एक्सपर्ट्स है उनको एडवाइज़ करने के लिए लोकल प्रोब्लम्स, लोकल एस्पिरेशन्स के सम्बन्ध में, इसीलिए मैं समझता हूं यह मेरा बहुत अच्छा अमेन्डमेंट है कि कम से कम उस कमेटी में सदस्य के नाते भी चेयरमैन ऑफ दी म्युनिसिपल बोर्ड का रहना जरूरी है। दूसरा अमेन्डमेंट है मेरा क्लाज़ टू के भाग डी में

In sub-clause 2 D sub-clause (3) delete the words-'without modifications or with such modifications as it may consider necessary.

अध्यक्ष महोदय, इसमें मास्टर प्लान के सबमिशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट के एप्रवल के बाद उस प्लान को गवर्नमेंट को सब्मिट करने के बाद प्रोसेस क्या होगा जैसा ओरीजनल क्लॉज़ में है The State Government may either approve the master plan without modification or with such modifications as it may consider necessary or reject it with directions for the preparation of a fresh master plan.'

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है उसमें the words without modifications or with such modification as it may consider necessary.' इसको डिलीट कर दिया जाय इसके बाद क्लॉज़ इस प्रकार से रहेगा The State Government may either approve the master plan or reject it with directions for the preparation of a fresh master plan. मेरे अमेन्डमेंट का मकसद यह है कि इस क्लॉज़ में स्टेट गवर्नमेंट को उस प्लान को मोडीफाई करने की ऑथोरिटी रहेगी। मैं इस बात को मानता हूं कि मास्टर प्लान जो है वह एक्सपर्ट कमेटी बनायगी और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान बनाया और उसको मोडीफाई करने की ऑथोरिटी देते हैं सरकार को। यह उचित नहीं है जिस चीज़ की इन्टीमेंटनोलेज जिसको नहीं होती उसको हम मोडिफिकेशन का अधिकार देते हैं इसको मैं उपयुक्त नहीं समझता। अगर उसमें किसी प्रकार के

Page No.44

(श्री पी. के. चौधरी)

मोडिफिकेशन को आवश्यकता है तो वह एडवाइज़री कमेटी को कह सकते हैं लेकिन सरकार को इस प्रकार के अधिकार देना मैं उचित नहीं समझता यह रहना नहीं चाहिये then they send it back to the authority concerned to re-cast it.

मैं चाहता हूं कि उसमें अगर किसी प्रकार का मोडिफिकेशन करना ही है तो They may reject it and with directions they may send it to the master plan authority again that these provisions may be included and these may be excluded and then they may do that... लोकल कन्डीशन को सूट करते हुए मास्टर प्लान बनाकर दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो प्लाँन एक्सपर्ट बनाकर देते हैं उसमें से कुछ आइटम आप रख कर देते हैं तो वह मास्टर प्लान नहीं रहेगा It will loose its harmoney. सरकार उटपटांग चेन्जेज कर देती है विदाउट लोकल नोलेज, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को केवल असेन्ट करने का या रिजक्ट करने का ही अधिकार रहना चाहिये।

They may recast it in the light of the instructions.

These are the only amendments in clause 2.

इसलिये मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह मैंने इसलिये रखा है कि मास्टर प्लान को मोडीफाई करने का अधिकार हम सरकार को देना नहीं चाहते। इसीलिये यह संशोधन रखा है आशा है मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ दो में है। जो यह बिल सिलेक्ट कमेटी से प्रतिवेदित होकर आया है उसमें जगह जगह पर जहां पहले इम्प्रूवमेन्ट स्कीम्स लिखा हुआ था वहां केवल स्कीम शब्द को प्रयुक्त किया गया है और इस स्कीम शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। वैसी हालत में इम्प्रूवमेन्टः याकरण की दृष्टि से इस प्रकार का अर्थ होता है। जिस स्कीम को केवल वर्ड स्कीम रखना चाहते हैं आखिर वह स्कीम क्या मतलब रखती है। हरजगह से इम्प्रूवमेन्ट शब्द हटा दिया गया है स्कीम के क्या अर्थ लेंगे डेस्टकटिव स्कीम है। या कन्ट्रक्टिव स्कीमें हैं। स्कीम यह एक ऐसा जनरल शब्द है जबतक हम इसको पर्टीकुलरली डिफाइन नहीं करेंगे तब तक इसका इम्प्रूवमेन्ट से संबन्ध नहीं हो सकता। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इम्प्रूवमेन्ट शब्द को हटाया क्यों गया है इसके पीछे क्या भावना रही है या तो इम्प्रूवमेन्ट और स्कीम ये दोनों शब्द एक साथ आप प्रयोग करना कहीं चाहते और चाहते हैं कि स्कीम शब्द से यह सारी भावना इंगित होजाय। वैसी हालत में नया सब क्लाज या इम्प्रूवनेन्ट की डेफिनिशन की आवश्यकता हो सकती है इसलिये यह जो स्कीम शब्द यहां प्रयुक्त किया गया है वह कहीं न कहीं डिफाइन अवश्य होना चाहिये। स्कीम शब्द जो प्रयोग किया गया क्लॉज़ ४ के अन्दर Framing of Scheme has been done in place of framing of improvement. स्कीम शब्द का प्रयोग है मैं समझता हूं सर्व साधारण के लिये सुलभ होजाय इसकी डेफीनिशन होनी चाहिये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सब-क्लॉज़ जोड़ा है A scheme means the improvement

(श्री दयाकृष्ण विजय)

scheme for any urban area.

ताकि मालूम पड़ जाय जहां जहां स्कीम वर्ड प्रयोग किया गया है वह सुधार की दृष्टि से बात कही गई है और उसी के लिये प्रयोग किया गया है ।

मैं अपने इस संशोन के साथ साथ जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है क्लाज दो के ए में उसके अनुसार मास्टर प्लान बनाने की जो ऑथोरिटी नियुक्त की जाय और उसके द्वारा जो मास्टर प्लान बनाया जाता है वहां म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को कन्सल्ट किया जाय चेयरमैन की राय ली जाय तो वह ज्यादा उपयोगी हो सकती है । चेयरमैन नगरपालिका उसका एक प्रतिनिधि है और वह उस नगर का पहला नागरिक है उसका कर्तव्य होजाता है वह अपने सजेशन्स मास्टर प्लान कमेटी के सामने रक्खे इसलिये बहुत ज़रूरी होजाता है कि नगर का जो प्रतिष्ठित और पहला नागरिक है उसकी सलाह उसमें अवश्य ली जाय । जो रिप्रेजेन्टेटिव नगरपालिका के गये होंगे उनकी भावनाओं का भी प्रगटीकरण होगा इसलिये जो इसके अन्दर अमेन्डमेन्ट रखा है मैं इस भावना के साथ उसका समर्थन करता हूं ।

इसके साथ साथ Clause 2 D Sub-clause (3) को हटा दिया जाय Without modifications or with such modifications as it may consider necessary. इसको हटा देना चाहिये । पहले मास्टर प्लान तैयार किया जायगा फिर उसको गवर्नमेन्ट के पास भेजा जायगा । गवर्नमेन्ट देखेगी और उस पर विचार करने के बाद चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकती है और चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है लेकिन यहां पर रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना दोनों को एक साथ मान लिया गया है । यहां तक तो ठीक है लेकिन बाद में जो यह लिखा है कि मोडिफिकेशन का जो रखा है वह नहीं होना चाहिये । मोडिफिकेशन करती है तो वह जनता कि राय के अनुकुल होता है या नहीं यह देखने की बात है । अगर गवर्नमेन्ट उसको स्वीकार कर लेती है तो उसको नोटिफाई करेगी उसके बाद ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये जायगे लेकिन उसके बाद दुबारा उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा इसलिये आवश्यक होजाता है गवर्नमेन्ट हाथ में तभी पॉवर्स देने चाहिये जब कि जनता की राय आजाय । और उन्हीं की राय के अनुसार उसका अमेन्डमेन्ट होगा । अगर इस प्रकार की बात नहीं होती है और जनता की राय का सम्मान नहीं करते हैं और गवर्नमेन्ट के हाथ में इसप्रकार के पॉवर्स देगें जिससे उस प्रकार की प्लान को चेन्ज कर सकते हैं । जनता कुछ कहती रहेगी गवर्नमेन्ट चाहेगी जैसा करेगी । इस तरह से गवर्नमेन्ट के हाथ में निरंकुश सत्ता आजायगी उससे जनता को तकलीफ हो सकती है । जनता की राय जानी जाय, उसकी आपत्ति सुनने का भी प्रोविजन रक्खा है । यह सब ठीक है । पर मोडिफिकेशन का पॉवर मत रखिये । या तो रिजेक्ट कर दें या पूरा स्वीकार कर लें । अगर मोडिफिकेशन करना है तो फिर उसको जनता के पास भेजें अपने मोडिफिकेशन के साथ और फिर अगर वे मोडिफिकेशन जनता मंजूर कर ले तो उनको स्वीकार किया जावे नहीं तो नहीं । इसके विपरीत आप करेंगे तो यह जनतान्त्रिक तरीका नहीं होगा और शहर बहबूदी के लिये भी ठीक नहीं होगा । इसलिये इन दोनों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

संशोधनों को और मेरे संशोधन को सबको स्वीकार किया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें मेरा एक संशोधन है वह इस प्रकार है :

1. Omit the word 'Immediately'.

2. Substitute 'Official Gazette' or news papers" for 'prescribed manner'.

3. Substitute "during office hours" for at all reasonable hours.

माननीय अध्यक्ष, विधि की विडम्बना न हो, इस कारण यह रक्खा कि जिस वक्त मास्टर प्लान तैयार हो उसको उसके बाद ही लागू कर दिया जावे। इसलिये यह शब्द हटाने का अनुरोध किया था।

दूसरा प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल शब्द हरएक क्लॉज़ में जगह जगह लगा दिये जाने से बड़ी झंझट हो जावेगी। इसलिये स्पष्टीकरण के लिये जो मास्टर प्लान हो उसको गजट में निकाल दिया जावे ताकि सबको मालूम हो जावे। इसका पब्लिकेशन आवश्यक है। और दूसरी बात उसको लोकल पेपर्स में भी दे देना चाहिये। क्योंकि जो लोग गजट नहीं देख पावें वे लोकल पेपर्स से मालूम कर लेंगे।

रीज़नेबल पॉवर्स की बात कही। इसमें रीज़नेबल पॉवर्स आपके कुछ भी हों पर आप उसकी वाइड पब्लिसिटी नहीं कर सकते। कौनसा टाइम है, ड्यूरिंग ऑफिस ऑवर्स होगा। इसमें ऐसा है कि हरएक नागरिक जानता है कि इसका ऑफिस ऑवर्स यह होगा और उस टाइम में देखा जा सकता है। इन शब्दों के साथ अपना संशोधन पेश करते हुए जो माननीय फुलेरा से आने वाले सदस्य हैं उनका क्लॉज़ डी के बारे में 'Delete the words without modifications or with such modifications as it may consider necessary." यह एक ऐसी विचित्र बात है। इस प्रकार के अधिकार रखने से मैं समझता हूँ कि जो मंशा है प्लान की वह खतम हो जावेगी। यह हो सकता है कि यदि सरकार के ध्यान में यह आवे कि इस प्लान से यह नुकसान है या यह दिक्कत आ सकती है या आने वाली है इम्प्लीमेन्टेशन में तो उसे रिकन्सीडरेशन के लिये फिर भेज दें। इसलिये यह समझता हूं कि यह आप या तो मोडीफाई कर लें लैंगवेज को या फुलेरा से आने वालों का सुझाव मान लें। आपकी बात एक प्रकार अप्रजातान्त्रिक तरीके की है। एक कमेटी बना दी। आप सुप्रीम ऑथोरिटी हैं। जब वह कमेटी जो प्लान बनावे उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं यहां तक तो ठीक है। आपकी सुप्रिम ऑथोरिटी से कोई खतरा नहीं है। अब या तो आप उसे मन्जूर कर लें या रिजेक्ट ही कर दें यहां तक तो ठीक है। पर इनके अलावा आप उसमें बाला बाला ही मोडिफिकेशन करके स्वीकार कर लें तो यह ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा यही था कि आपने फिर कमेटी बनाई ही क्यों। आप स्वयं ही मास्टर प्लान बना लेते और काम चलाते। तो इसमें आप वापिस उस कमेटी को ही कहें कि इसमें ये मोडिफिकेशन करना सरकार ठीक समझती है उसे और देख कर अपनी राय दुबारा दें यहां यह कर देना ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): फुलेरा से आने वालों के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। क्लॉज़ ४ में, सिलेक्ट कमेटी में जाने से पूर्व जो विधेयक था कि चेयरमैन को बोर्ड का सदस्य बनाया जावेगा। पर सिलेक्ट कमेटी में जाने पर इसे हटा दिया गया। पर जब चेयरमैन ट्रस्ट का सदस्य नहीं रहता है और इसके बाद मास्टर प्लान बनता है तो इसका मतलब यह है कि एक समूह रूप से किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से रास्ता होगा, किस प्रकार की सड़क बनेगी, कितनी चौड़ी होगी किस प्रकार का नया इम्प्रूवमेन्ट होगा इस प्रकार की सारी योजना बनाई जावेगी। इसके सम्बन्ध में (१) का सब-क्लॉज़ (२) है कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी की सलाह देने के लिये राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी जिसमें एक सभापति और इतने सदस्य जितने राज्य सरकार रखना उचित समझे, होंगे। यह इस प्रकार से है तो इसमें जरूरी नहीं है कि चैयरमैन न हो। माननीय मन्त्रीजी भी कह सकेंगे इसमें विचार नहीं किया है। पर यह हमने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि वह किन व्यक्तियों को ले। मुख्य रूप से जो क्वालिफाइड होंगे, इन्जीनियर वगैरह टैक्निशियन होंगे उनके सम्बन्ध में होगा। पर मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में इस स्थान से सम्बन्धित व्यक्ति की राय है या नहीं यह देखना जरूरी है। इसलिये (२) 'ए' में जो रक्खा है कि add at the end the words in consultation with the Chairman of the Municipal Board concerned'. इस आधार पर २ (डी) में यह लें लें कि परिषद् में चैयरमैन है, तो २ बी में ले लेते हैं इससे सारा पर्पज इससे सर्व हो जाता है। चैयरमैन को स्पेशली नोमीनेट कर दें कि वह पदेन सदस्य होगा तो फिर इसका सारा जो अर्थ है वह ठीक हो जावेगा। अगर सारा मास्टर प्लान उसकी नजर में आ जाता है उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो सारे नगर की स्वीकृति मानी जा सकती है क्योंकि वह चुनी हुई बोडी के बहुमत से चुना हुआ होता है और वह जब अपना मत दे देता है तो बहुमत का मत हो जाता है और इससे बाद में झगड़ा होने का डर नहीं रहेगा। वैसे यह नहीं होगा तो मास्टर प्लान ठीक भी हो पर स्वाभाविक रूप से नागरिकों के दिल में शंका होगी कि सरकार के इस काम से नुकसान हो सकता है। उस शंका का निवारण भी इससे हो जावेगा और जनता को इससे सान्त्वना मिलेगी। तो इसके लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के मास्टर प्लान बनानेवाली जो सलाहकार परिषद् आप बनावें तो उसमें नगर के बोर्ड के चेयरमैन को लिया जावे। इसलिये फुलेरा से आने वालों ने जो संशोधन रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और सदन से अनुरोध करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें।

१० म० पू०

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : माननीय अध्यक्ष, इसमें पहला अमेन्डमेंट माननीय फुलेरा से आने वाले सदस्य ने पेश किया है। उन्होंने लिखा है : Building operations 'includes rebuilding operations, structural, alterations of or additions to buildings and other operations normally undertaken in connection with the construction of buildings;" उन्होंने कहा है कि

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

'एण्ड अदर ऑपरेशन्स' से लेकर 'बिल्डिंग' तक डिलीट कर दिया जाये। अगर इस क्लॉज़ को हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें स्पष्ट है कि इसमें चार बातें कही गई हैं। rebuilding operations, structural का मतलब जो नोर्मली बिल्डिंग alterations of or additions से लिया जाता है और इस डेफीनेशन के अनुसार इन्क्लूड करेगा alterations of or additions to buildings and other operations normally under taken in connection with the construction of buildings: यह दूसरी चीज है जिसमें आॅलट्रेशन्स और एडीशन्स हैं और तीसरी बात है other operations normally undertaken in connection with the construction of buildings. इसमें मैटीरियल रखना है उसमें चूने का सामान बनाना है इस तरह के बहुत से मामले हो सकते हैं वह इस डेफिनेशन से कवर नहीं होते हैं। लेकिन वह जुड़े हुए हैं और उनको इस डेफिनेशन में नहीं लेने से बहुत सी गड़बड़ियां होने की गुंजाइश रहती है इसलिए यह जोड़ा गया है। यह बिल्डिंग के साथ में रहना हितकर है और अच्छा रहेगा।

उनका दूसरा अमेंडमेंट है २ए में जिसमें यह है कि २ए के सब-क्लॉज़ (१) के आगे 'इन कन्सलटेशन विद दी चेयरमैन ऑफ दी म्युनिसिपल बोर्ड कन्सर्न्ड' यह जोड़ा जाये। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मास्टर प्लान तैयार होगा उसमें चेयरमैन की सलाह और ली जाये। मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह शब्द चेयरमैन जोड़ते हैं तो बहुत सी दफा ऐसा होता है कि म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन होता ही नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है और मास्टर प्लान के लिए म्युनिसिपैलिटी के करीब का ही एरिया होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसके अन्दर बहुत सा एरिया गांवों का ऐसा आ सकता है जिसको किसी कारण से डवेलप करना हो, तो यह कैसे होगा। इसलिए वहां पर यह होगा कि म्युनिसिपैलिटी ही न हो और जब म्युनिसिपैलिटी नहीं होगी तो फिर चेयरमैन का सवाल ही नहीं होता। फिर मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह मास्टर प्लान बने जहां म्युनिसिपैलिटी हो पर वहां म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन न हो और वहां एडमिनिस्ट्रेटर हो तो फिर क्या होगा और दूसरे यह भी हो सकता है कि वहां म्युनिसिपैलिटी न हो और तीसरे मास्टर प्लान के ऑपरेशन में लोकल आॅथोरिटी शब्द यूज़ किया गया है जैसे २सी के क्लॉज (२) को पढ़ें तो मालूम होगा : "Such officer or authority shall also give reasonable opportunity to every local authority within whose local limits any land outched by the master plan is situated to make any representation with respect to the master plan." याने जो यह म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को जोड़ा है और जो यह कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को कॉन्फीडेन्स में नहीं लेंगे वह बात नहीं है क्योंकि ज्यों ही यह मास्टर प्लान बनेगा यह लाजमी होगा कि लोकल आॅथोरिटी चाहे पंचायत हो या म्युनिसिपैलिटी हो उसको भी एतराज पेश करने का अधिकार होगा और दूसरे सलाहकार समिति भी बनाई जायेगी और उस सलाहकार समिति में यह नहीं होगा कि म्युनिसिपैलिटी के किसी चेयरमैन को या किसी भी सदस्य को उसमें नहीं लेंगे। इसमें स्पष्ट है कि सलाहकार समिति बनेगी और यह हो सकता है कि यह म्युनिसिपल एरिया के बाहर की हो तो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसमें यह गुंजाइश रखी है कि कोई भी दूसरा मेम्बर हो सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि मैं समझता हूं जो अमेन्डमेंट रखा है, यह जरूरी नहीं है। अगर यह जोड़ भी दिया जाये तो ऐसी मुश्किल हो सकती है कि म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन न हो तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जा सकेगा और जहां पंचायतें होंगी उनको इसके मुताबिक रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा। इसलिए यह कहना कि सलाहकार समिति है उसमें चेयरमैन भी आ सकता है, दूसरे भी आ सकते हैं। इसलिए इसमें जो मौजूदा प्रोविज़न है वह ज्यादा उपयुक्त है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या पंचायतों के एरिया के लिए बनेगा? या म्युनिसिपल एरिया के लिए बनेगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अर्बन एरिया के लिए है और ऐसी इमरजेन्सी हो सकती है युनिसिपल एरियां न हो वहां मास्टर प्लान बनाया जा सकता है। जैसे जयपुर शहर से २० मील के दूर का एरिया है तो वहां म्युनिसिपैलिटी कहां है। अगर वहां म्युनिसिपैलिटी नहीं है और उस क्षेत्र के आसपास कोई पंचायत है तो उसको अपने एतराज पेश करने का अधिकार है। इसके अलावा बहुत सी जगह राजस्थान में मण्डियां बनेंगी उनमें इस समय म्युनिसिपैलिटी नहीं है और हम वहां पर मास्टर प्लान तैयार करायें तो इसमें लोकल ऑथोरिटी वर्ड यूज किया है और वह सलाहकार समिति के सदस्य हो सकते हैं। उनकी राय लेना लाजमी रखा है उस कमेटी में चेयरमैन भी आ सकता है अगर वहां पर म्युनिसिपैलिटी है तो और अगर पंचायत है तो पंचायत का पंच या सरपंच आ सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, आप कहते हैं कि इस क्लॉज़ के अन्दर नगरपालिका के दो मेम्बर रखेंगे यदि नगरपालिका का एरिया नहीं हुआ तो नगरपालिका के आदमी लेने की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष : किस में मेम्बर रखेंगे?

श्री पी० के० चौधरी : इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में।

श्री अध्यक्ष : ट्रस्ट और चीज़ है और मास्टर प्लान का मतलब यह है कि किसी पर्टिक्यूलर एरिया को दस साल में पन्द्रह साल में या बीस साल में कितना डवेलप करेंगे उनका प्लान बनाना, जिनके मुताबिक आगे बढ़ते जायेंगे और धीरे धीरे वह एरिया शहर के साथ जुड़ सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : After all the Improvement Trust will prepare the plane and look to the extension of Jaipur.........

श्री अध्यक्ष : For that there is a provision, that in consultation with all the local bodies......

श्री पी० के० चौधरी : My suggestion is that they are competent to appoint an advisory committee. They can include a Sarpanch. Chairman Municipal Borard should be there in the Advisory body.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह आवश्यक नहीं है। मास्टर प्लान और ट्रस्ट में माननीय सदस्य कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मास्टर प्लान चालीस पचास साल के लिए, किसी शहर, कस्बे या किसी एरिया के डवेलपमेन्ट को ख्याल में रखकर बनाया जाता है। उसमें म्युनिसिपल एरिया है या नहीं यह आवश्यक नहीं है और ज्यादा गुंजाइश यह रहेगी कि क्या पता कोई एरिया म्युनिसिपिल एरिया हो या नहीं हो इसलिए अपने लोकल ऑथोरिटी शब्द यूज़ किया। अब जो कमेटी बना दी है उसमें अगर म्युनिसिपलेटी आती है तो उसके आ जायेंगे और उसके साथ ही साथ यह लाज़मी रख दिया गया है कि उनके एतराज भी सुने जायेंगे। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि चेयरमैन की जगह एडमिनिस्ट्रेटर हुआ तो अमेन्डमेंट का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे दीजिए। बहस का प्रश्न नहीं है। You continue giving your reply.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसी तरह से अध्यक्ष महोदय इसमें तीसरा अमेन्डमेन्ट है क्लॉज़ २ ए के सब-क्लॉज़ (२) में which reads as follows :-

"For the purpose of advising the officer or authority appointed under sub-section (1) on the preparation of the master plan, the State Government may constitute an advisory council consisting of a Chairman and such number of other members as the State Government may deem fit."

उसमें आप यह चाहते हैं कि चेयरमैन एक होगा तो इसका जवाब तो मैंने दो में दे दिया है उसके अनुसार चेयरमैन का होना आवश्यक नहीं है।

चौथा अमेंडमेंन्ट है कि क्लॉज़ २ डी के सब-क्लॉज़ (३) में से without modifications or with such modifications as it may consider. इसको डिलीट कर दिया जाये। यानि स्टेट गवर्नमेंट के सामने जब मास्टर प्लान पेश होगा तो या तो वह उसको मंजूर करे या फिर एकदम रिजेक्ट करके डाइरेक्शन्स दे। मैं निवेदन करूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा पर्पज़ सर्व नहीं होगा। अव्वल तो थोड़ी सी भी गलती रही तो वहां बैठ कर एग्री करने के बजाय यह नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम वालों से अलग बैठ कर कोई चीज़ तय करेगी। यानि बगैर राय लिए कार्यवाही की जायेगी। हो सकता है थोड़ी सी गलती रह गई हो। उसको सामने बैठ कर रूबरू करके निकाल देंगे। इसलिए यह for the preparation of fresh master plan... यानि इसकी तीन स्टेज़ मानी हैं। अगर सही है तो मान लेंगे, अगर मामूली सी गलती है तो उसका मोडिफिकेशन कर देंगे और अगर ज्यादा गलती है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए केवल दो ही ऑल्टरनेटिव रखना कि या तो मंजूर कर लिया जाये या फिर रिजेक्ट कर दिया जाये इसमें ज्यादा समय लग सकता है। मान लीजिए कि हम यानि सरकार किसी एरिया को इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिए रखना चाहती है उसमें किसी तरह की अड़चन डाली जाये तो ऐसे बहुत से मामले हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो पॉलिसी मैटर्स से संबंधित है। उनका ध्यान एक तरफ रहता है इसलिए छोटे मोटे सजेशन्स जो इसमें स्वीकार करें वह इसमें आ जाने चाहिए।

Page No.51

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसके बाद में कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक अमेन्डमेन्ट रखा है .... उन्होंने चाहा कि स्कीम की डेफिनिशन और नई जोड़ दी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि चेप्टर ४ है उसमें यह बात साफ कर दी गई है। हैड की बात थी framing of improvement schemes उसका अब रह गया है framing of schemes. क्लॉज २२ में ...

श्री दयाकृष्ण विजय : अगर कोष्टक में रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप डिलीट करना चाहते है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्लॉज २२ में स्कीम्स को इम्प्रूवमेंट स्कीम्स नहीं रखा है "Schemes: Matters to be provided therein. The Trust shall, on the orders of the State Government or on its own initiative on a representation made by the Municipal Board and subject to availability of financial resources (prepare improvement) frame schemes for the improvement of the Urban area for which the trust is constructed.' यानि स्कीम का मतलब इम्प्रूवमेंट स्कीम से है इसलिए इम्प्रूवमेंट और स्कीम को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पर्पज़ से स्कीम को डिफाइन नहीं किया गया है, और इसीलिये 'इम्प्रूवमेंट' को किया है। स्कीम को जनरल मीनिंग होगा। और ध के अनुसार स्कीम को अलग हेडिंग दे दिया है for the improvement of the Urban area... .. इसलिए वह कतई आवश्यक नहीं है।

इसके बाद में एमेंडमेंट है ....

श्री अध्यक्ष : २ (ई) में है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि इसको ओमिट कर दिया जाय 'इमीजियेटली' को। दूसरा रखा है Substituie " Official Gazette' or news paper for prescribed manner.'' तीसरा यह है कि Substitute "during office hours" for "at all reasonable hours."

इसमें अध्यक्ष महोदय, 'प्रेस्क्राइब्ड मेनर है वह उसमें ठीक रखा गया है। आप यह चाहते हैं कि जो हम प्रेस्क्राइब कर दें या लिख दें वही गज़ट या न्यूजपेपर्स में रखा जाय। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यह है prescribed according to rules क्योंकि इसका किस तरह से पब्लिकेशन हो, किस एरिया के कौन सा सूटेबल है, यह बात हम पहले से नहीं कह सकते। इसलिए प्रेस्क्राइब्ड मेनर का कर दिया गया है। प्रेस्क्राइब्ड Prescribed means prescribed according to Act. इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हम यहां पर नोट दें। लोकल ऑथोरिटी को छूट देदें। जो कुछ इम्प्रूवमेंट हो उसको करने के लिए अपने रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड कर दे।

दूसरा यह है कि substitute during office hours for "at all reasonable hours". यह ठीक है। इसको हम मान लेते हैं। ' ड्यूरिंग आफिस अवर्स के बजाय 'एट आल रीजनेबल अवर्स कर दिये जायं तो ' रीज़नेबल अवर्स मीन्स जो आफिस का टाइम है और वह खुला हुआ है उसमें इन्सपेक्शन करने का अधिकार होगा।

तीसरी बात 'इमीजियेटली' इसको ओमिट

Page No.52

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कर दिया जाय। हम तो चाहते हैं कि ज्योंहि एक स्कीम निकले वह इमीजियेटली स्कीम बाहर आ जाय, छप जाय। तो मेरे ख्याल से यह बेजा नहीं है। Immediately after the master plan has been approved by the State Government.

माननीय सदस्यों की हमेशा शिकायत यह रहती है कि सरकार के काम में ढिलाई रहती है इसलिए कानून अन्दर प्रावधान रखा है कि ज्योंहि मास्टर प्लान बने वह पब्लिश हो जाय। इसमें भी आपको कोई एतराज हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरे ख्याल से 'इमीजियेटली' रहना चाहिए। इसकी जरूरत है। इसलिए सोच समझकर सिलेक्ट कमेटी ने रखा था।

बाकी जितने भी एमेंडमेन्ट्स हैं उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने जितने भी एमेंडमेन्ट्स हो उनको वापिस लेलें।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कौन कौन सा आप स्वीकार करते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 'रीज़नेबल अवर्स आफिस अवर्स वाला स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : रीज़नेबल अवर्स का मतलब है कि ऑफिस अवर्स के बाद में दिन में आप को भी दे सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखे है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है उसके अलावा जो रह गये हैं उन्हें वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरे संशोधन को वापिस लेने का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें ज़रूर यह कर दिया है। लेकिन जगह जगह ' स्कीम' वर्ड यूज़ किया गया है तो वह ज़रूर डेफिनिशन में होना चाहिए था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 'स्कीम' का डेफिनेशन होना ज़रूरी था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चैपटर ४ में है। चैपटर ४ में मैंने बता दिया है कि 'स्कीम' का क्या मतलब है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : Schemes for all matters provided therein. में स्कीम दिया गया है। जगह जगह इसका यूज़ किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत शासन मंत्री): पहले जो बोर्ड था उसके अन्दर 'इम्प्र-

Page No.53

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वमेंट स्कीम' लिखा हुआ नहीं था मैंने क्लॉज़ में इम्प्रूवमेंट स्कीम लिख दिया और वहां से हटा दिया। मेरे ख्याल से यह ज़रूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ (ई) में substitute "during office hours" for "at all reasonable hours" उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है डॉ० बहादुरसिंह को अपने शेष संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने शेष संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि संशोधित क्लॉज़ २ ए, बी, सी, डी, और संशोधन २ (ई) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ ए २ बी, २ सी और २ डी विधेयक का अंग बने।

क्लॉज़ ३ :

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, I move my amendment that in clause 3 Sub-clause (1), delete the words 'or has not' and replace the word 'whether' by the word 'after' and delete the words 'or has not.'

अध्यक्ष महोदय, Clause 3 provides for the establishment and incorporation of Trusts--(1) the State Government may, by notification in the official gazette, establish, for the purpose of carrying out improvement of any urban area in the state, whether a master plan in the respct thereof has or has not been prepared, a board of tsustees to be called the improvement trust of the place where its principal office is situated, hereinafter called 'the trust.'

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो एमेंडमेंट है वह 'वेदर' और 'हैज़ नाट' शब्दों को डिलीट करने के लिए है। 'वेदर' की जगह 'आफ्टर' करने का है। मेरे एमेंडमेंट को स्वीकार करने के बाद में जो क्लॉज़ रहेगी वह इस प्रकार से रहेगी :

The State Government may, by notification in the Official Gazette, establish, for the purpose of carrying out improvement of any urban area in the State, after a master plan in respect thereof has been prepared a

(श्री पी. के. चौधरी)

board of trustees to be called the Improvement Trust of the place where its principal office is situated, hereinafter called 'the trust.'

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल की ओरीजिनल क्लाज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने की ऑथोरिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। मास्टर प्लान तैयार होने के पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गवर्नमेंट एपॉइन्ट कर सकती है, तो, अध्यक्ष महोदय, आप आगे जाकर देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जब क्रियेट होता है तो उसको किसी स्कीम को लेकर, किसी काम को लेकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क को लेकर चलने का है। आज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना देते हैं और कोई मास्टर प्लान नहीं हो तो इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बनाकर उनके किसी ऑफिशियल को ऑनरेरिया देना, मीटिंग के लिए खर्चा देना, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। इसलिए जब कि मास्टर प्लान बनाने का प्रोविज़न इसमें रखा है, उसका तरीका रखा है कि गवर्नमेंट के मास्टर प्लान बनाने के लिए ऑथोरिटी एपॉइन्ट करने के लिए तरीका रखा है, उस ऑथोरिटी को एडवाइज़ करने के लिए एडवाइज़री बोडी रखना चाहते हैं, तो जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं हो तब तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्या हो सकती है? आज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हम बनाते हैं वह इसलिए बनाते हैं कि वे लोग एक प्लान्ड वे में टाउन का डवेलपमेंट करें। जो अन्डवेलप्ड एरिया है या जो कन्जेस्टेड एरिया है उसके प्लान्ड डवेलपमेंट के लिए, स्लम्प्स को क्लियर करने के लिए, इन सब कामों के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाते हैं जो कि अर्बन एरिया का डवेलपमेंट करते हैं। और इस बात को माना जाता है कि आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाकर डवेलपमेंट करना चाहते हैं It should be done in a planned manner. उसका प्लान होना चाहिए प्लान के मुताबिक करना चाहिए। यह एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल है कि जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करता है तो वर्क शुरू करने से पहले उस एरिया का प्लान उसके दिमाग में रहता है। वह नक्शा उनके सामने रहता है जिसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट करता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि फर्स्ट चीज़ जो है मास्टर प्लान होना चाहिये, उसके बाद में जाकर आपका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाना चाहिये यदि हम पहले ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाते हैं और उसके बाद ऑथोराइज़ करते हैं मास्टर प्लान बनाने के लिये, तो उसमें साल भर लगेगा और इस साल भर के दरमियान में बोर्ड के पास कोई काम नहीं रहेगा। आप उनके सदस्यों को अलाउन्सेज देना शुरू कर देंगे और ऑफिस में नौकर चाकर रख लेंगे लेकिन इसका इफेक्टिव पर्पज सर्व नहीं होता है। इसलिये मैंने अमेंटमेन्ट रखा है। इसका मकसद इतना ही है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तब बनावें जब कि मास्टर प्लान तैयार हो जाय। यह एक इफेक्टिव अमेन्डमेंट है। मैं आशा करता हूँ मंत्रीजी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप-मन्त्री स्वायत शासन विभाग) : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का जो अमेन्डमेंट है उसमें यह कहा गया है कि शुरू में जब मास्टर प्लान बनाया जाय तभी ट्रस्ट बनना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि मास्टर प्लान का बनना इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आप सोचते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में टाउन प्लानर्स की कमी है और

Page No.55

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जितना अर्बन एरिया है उस सब के लिये मास्टर प्लान बनालें यह आसान चीज़ नहीं है। पहले जब बिल बना था उस समय मास्टर प्लान का प्रावधान इसमें नहीं था, लेकिन बाद में रखा गया। लेकिन ट्रस्ट बनाना उस समय तक पोस्टपोन कर दिया जाय जब तक कि मास्टर प्लान नहीं बनालें, यह मुमकिन नहीं होगा। मास्टर प्लान बनाने में ७, ८ साल का समय लगता है एक शहर के लिये। सारे राजस्थान के लिये बनायेंगे तो बहुत बड़ा डिपार्टमेन्ट टाउन प्लानिंग का चाहिये। जितने टाउन प्लानर्स चाहिये उतने आज उपलब्ध नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of clarification, Sir मास्टर प्लान की बात कर रहे है, It will be a master plan for each specific area सारे राजस्थान के लिये एक ही नक्शा बना देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हर एक शहर के लिये अलग अलग मास्टर प्लान बनाने के लिये, टाउन प्लानिंग का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट चाहिये। अकेले राजस्थान के लिये हमें इतने इन्जीनियर्स चाहिये जितने पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे पास इन्जीनियर्स होते और परिस्थित ऐसी होती तो कोई बात नहीं थी लेकिन इस वक्त यदि ऐसा करेंगे तो ट्रस्ट के जरिये जो थोड़ा बहुत काम होने वाला है वह भी नहीं होगा। इसलिये मैं इस अमेन्डमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे विड्रा करलें।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३ में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ४

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : In clause 4 I move that 'in sub-clause (1) part (a)after the word 'Chairman' add the words 'having three years administrative experience or experience in the exeution of eivil ingeniaring works.'

(ii) sub-clause (1) Part (c) Replace the word 'two' by the word 'three'.

(iii) Sub-clause (4) Substitute the word 'three in place of the word' two wherever it occurs in the sub-clause, and also add the following proviso

(श्री पी. के. चौधरी)

"Provided that the State Government shall before making any such appointment, obtain in writing from the Municipal Board concerned its refusal or inability to do so".

अध्यक्ष महोदय क्लॉज ४ जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दि ट्रस्ट के लिये है। Trust shall consist of a chairman मैं चाहता हूं कि इस ट्रस्ट का जो चेयरमैन हो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिये। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बन गया और जैसे आपके पास ऑल पर्पज़ आदमी रहते हैं उनमें से किसी को चेयरमैन बनादें तो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए मैंने रखा है कि ट्रस्ट के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वह टैक्निकल आदमी होनी चाहिए। यह न हो कि आप पोलिटिशियन को चेयरमैन बनादें तो जिस पर्पज के लिए आप ट्रस्ट बनाते हैं वह पर्पज सर्व नहीं होगा, इसलिए मैंने रखा है कि उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन मैंने प्रेस्क्राइब की हैं :

Either he must have three years administrative experience or experience in the execution of civil engineering works.

३ साल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स का आदमी हो या ३ साल तक वर्क को एग्ज़ीक्यूट करने का उसको एक्सपीरियेन्स हो। चेयरमैन इम्पोर्टेन्ट पर्सनेलिटी है और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर है उसके लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट है :

Replace the word 'two' by the word 'three'.

अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोविजन है कि ट्रस्ट का एक चेयरमैन रहेगा और २ मेम्बर्स ऑफ दि म्युनिसिपल बोर्ड रहेंगे :

"Two members of the Board having authority in the urban areas and other persons not less then two and not exceeding four in number."

इस तरह से हर ट्रस्ट में एक चेयरमैन होगा, २ मेम्बर्स ऑफ दि म्युनिसिपल बोर्ड और चार और आदमी होंगे इस तरह से आदमियों का बोर्ड रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सुझाव यह है कि म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव हैं उनको मोर वेटेज़ मिलना चाहिये और मोर वेटेज इसलिये मिलना चाहिये कि ट्रस्ट में और जो जिन लोगों को रखेंगे हो सकता है कि उनमें से आप टेक्निकली क्वालिफाइड आदमियों को ही रखेंगे, जिनको टाउन प्लानिंग का एक्सपीरियेन्स हो। इसमें कहीं नहीं कहा है कि लोकल आदमियों को रखेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ दो रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ७ आदमियों के बोर्ड में कम से कम ३ इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज़ हों। मेरा अमेन्डमेन्ट है उसका मतलब यह नहीं है कि मैं मेजोरिटी इलेक्टेड आदमियों की चाहता है। आप मेजोरिटी टैक्निकली क्वालिफाइड और टैक्निकली एक्सपीरियेन्स के आदमियों की हो। संख्या की कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम देअर शुड बी एटलीस्ट थ्री इलैक्टेड मेम्बर्स। इलैक्टेड मेम्बर्स होने का मतलब यह होता है अध्यक्ष महोदय, कि एक्सपर्टस लोग हैं उनका जनता से ज्यादा सम्पर्क नहीं रहता

Page No.57

(श्री पी. के. चौधरी)

है इसलिये उनकी रिक्वायरमेन्टस को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सकते। लेकिन जो इलेक्टैड लोग होते हैं वे लोग लोगों के सेन्टिमेन्टस और ओपीनियन को ख्याल में रखते हुए चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्टैड लोग जिस एरिया से आते हैं वहां के लोग जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं उनकी जानकारी काफी अच्छी इनको होती है। दे केन रिफ्लैक्ट दि सेन्टिमेन्टस एण्ड नीडस एण्ड डिजायर्स ऑफ दि लोकल पीपल। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो ट्रस्ट उस एरिया के डवेलपमेन्ट के लिये बनाते हैं उसमें कम से कम उनके जो व्यूज हैं या जो लोग उनकी व्यूज को अच्छी तरह से रख सकते हैं इन देअर ऑन वे, उनके दो रिप्रजेन्टेटिव लेने का प्रोविजन रखा उससे ज्यादा का प्रोविजन रखना चाहिये। देअर शुड बी मोर वेटेज टू दि लोकल ओपिनियन एण्ड लोकल वोटर्स। इसलिये मेरा सुझाव है कि दो की जगह कम से कम ३ इलैक्टेड मेम्बर्स रहने चाहिये और बाकी चार आपके अपॉइन्टेड मेम्बर्स रहेंगे।

इसके सब-क्लॉज (४) में कांसिक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है दो की जगह पर तीन दूसरी बात सब-क्लॉज (३) में दिया है :

"The members of the Municipal Board referred to in clause (c) of sub sec. (1) shall be elected by the said board."

उसमें मैंने प्रोविज़ो रखा है :

"Provided that the State Government shall before making any such appointment, obtain in writing from the Municipal Board concerned its refusal or inability to do so."

यानी इसमें रख दिया है कि म्युनिसिपल बोर्ड जो अपने इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव, जो टाइम सरकार प्रेसक्राइब करेगी, उस टाइम के अन्दर अन्दर इलेक्ट नहीं करेगी तो सरकार को ऑथोरिटी होगी कि उस म्युनिसिपल बोर्ड में से किन्हीं दो सदस्यों को उसमें अपॉइन्ट कर सकती है They will be considered to have been elected. मैं समझता हूं कि जो म्युनिसिपल बोर्ड खुद इलेक्ट नहीं कर सकती या इलेक्ट करने से रिफ्यूज करे तो उसका कम से कम राइटिंग में सरकार के पास प्रूफ होना चाहिए They must obtain permission in writing before appointing. अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल बोर्ड, लोकल बोडीज़ के फंक्शनिंग में हमको कई दफा ऐसा तजुर्बा हुआ है और हम देखते हैं कि एग्ज़ीक्यूटिव जो है, वह कई दफा डिलेइंग टेक्टिक्स करती है। कई दफा हमने नोमीनेशन के सम्बन्ध में देखा है कि नोमीनेशन एग्ज़ीक्यूटिव अपने मनमाने ढंग से करती है जब कि उसका एक तरीका होता है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड होता है, उसमें नोमीनेटेड आदमी हो, उनके लिए कलेक्टर सिफारिश करता है, लोगों के सेन्टीमेन्टस का ख्याल करके यह करना चाहिए। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि कई दफा कलेक्टर की रिकमन्डेशन होते हुए भी मनमाने ढग से नोमीनेशन कर दिया

१०.३१ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जाता है। अब वह इसलिए कर दिया जाता

Page No.58

(श्री पी. के. चौधरी)

है कि कलेक्टर जिन आदमियों की सिफारिश करता है, वे आदमी they may be persons non-grata with the Government. गवर्नमेंट को वे आदमी पसन्द नहीं होते हैं, इसलिए गवर्नमेन्ट आउट ऑफ वे जाकर अपॉइन्ट करती है। इसलिए मैंने रखा है, मुझे इस बात का एप्रिहेन्सन है, शक है कि गवर्नमेन्ट को ऐसा मालूम होता है कि फलाना म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्टेड आदमी आयेंगे, वे अगर मर्ज़ी के माफिक हैं नहीं, उनकी पसंद के नहीं हैं, क्योंकि दूसरा कोई रीजन नहीं है, पालिटिकल या दूसरे रीजन से नहीं लेना चाहिए They will contrive ऐसी परिस्थिति में आप करेंगे, आउट आफ वे जाकर अपॉइन्ट कर देंगे। उसके लिए टाइम ऐसा रखेंगे कि वे इत्तला देर से भेजेंगे, राय देर से आवेगी क्योंकि जो प्रेसक्राइब्ड डेट है, उसके पहले म्युनिसिपल बोर्ड को नोटिस देंगे, लेकिन मीटिंग नहीं बुला सकेंगे। ऐसी हालत आप पैदा कर सकते हैं, ऐसा करने के बाद इस प्रोविजन के ज़रिये स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोरिटी हो जायगी, उसको मौका मिल जायगा कि जिसको वह चाहती है, उन लोगों को अपॉइन्ट कर देगी, भले ही वे लोग म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स में से ही होंगे। लेकिन यह पासिबिलिटी है, इसे आप राइज न करें। इसलिये मैंने अमेंडमेंट रखा है कि अपाइन्ट करने से पहले कम से कम म्युनिसिपल बोर्ड से रिफ्यूज़ल ले लीजिये कि वह किसी वज़ह से मीटिंग इलेक्ट नहीं कर सकी। उसकी सफिसियेन्ट नोटिस नहीं मिला, या ऐसी कोई वज़ह हुई कि उसको नोटिस मिला लेकिन मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए विदिन दी स्पेसिफाइड टाइम इलेक्टेड मेम्बर्स इसके लिए मेम्बर्स को इलेक्ट नहीं कर पाये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो अमेंडमेंट रखा है, उसको मैं काफी उचित समझता हूँ। अगर यह अमेंडमेंट नहीं रखा जायगा, मंत्री महोदय इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आगे जाकर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी कि म्युनिसिपल बोर्ड को नोटिस देंगे और उसकी मीटिंग बुलाने से पहले सरकार की तरफ से सदस्य नोमीनेट हो जायेंगे। ऐसी जो पोसिबिलिटीज़ हैं, इन्हें अराइज़ न करें। इसलिए मैंने प्रावीजन रखा है कि अपॉइन्टमेंट से पहले राइटिंग में रिफ्यूज़ल या इनअबेलिटी ले ली जानी चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज ४ के अन्दर कुछ संशोधन रखे हैं। [संशोधन इस प्रकार हैं:—

Shri Daya Krishan Vijai to move:-

(1) Substitute the following for part (c) of sub-clause (1) :—

'All those members of the Municipal Board (having authority in the urban areas) elected from the area which has been declared as a City Improvement area by the State Government, by notification in the Official Gazette.'

(2) Substitute part (d) of sub-clause (1) by the following :—

'(d) two other persons, having experience as a medical and health officer and as an Executive Engineer, B & R, respectively.'

Page No.59

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(3) Delete sub clauses (3) and (4).

(4) (i) Insert 'or dissloved' after 'superseded' in sub-clause (5).

(ii) Add 'or dissolution' after 'supersession' in sub-clause (5).

(5) Delete sub clause (6).

(6) Delete 'or elected' in sub-clause (7).

CLAUSE 4.

Shri Daya Krishan Vijai to move:-

Add a new part (e) :—

"(e) All the members of the Rajasthan Legislative Assembly elected from the urban area for which a trust has been established under sub section (1) of section (3).

Add a proviso to sub clause 2 :

"Provided that the chairman shall be a person from R.A.S. cadre having previous experience of any improvment operation."

मैं अपने संशोधनों के ऊपर कुछ विचार प्रकट करूं, उससे पहले किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट स्कीम बनती है, उस इम्प्रूवमेंट स्कीम से प्रभावित कौन कौन लोग होते हैं और उस इम्प्रूवमेंट स्कीम के लिए हमको किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, यदि इन बातों का विचार कर लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। आज सब नगरों में सुधार की चर्चा चल रही है और जगह जगह नगर सुधार विधेयक है, इससे पहले के सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चल रहे हैं, जैसे जयपुर में चल रहा है, कोटा में चल रहा है और कई नगरों में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चल रहे हैं। जिस नगर में सुधार का कार्य चल रहा है, वहां इस बात को ध्यान में रखना है कि जहां सिटी इम्प्रूवमेंट एरिया है, वह सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एरिया है या नगरपालिका का एरिया है। वह नगरपालिका का एरिया जरूर है लेकिन वह सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हर तरीके से दे दिया है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरिया में इस एरिया को घोषित करदिया गया है और वह पर वह सुधारका कार्य करता है अब यहप्रश्न खड़ा होता है कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऐसे एरिया में बनाया जा सकता है जो नगरपालिका एरिया में न हो। जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि इस प्रकार की जहां परिस्थिति पैदा होती है वहां पर नगरपालिका की सीमायें बढ़ाई जा सकती है. जिस सीमा पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करता है और सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की दृष्टि से काम का अनुभव किया गया है। इस प्रकार सीमायें बढ़नी चाहिए और वहां पर विकास का कार्य, सुधार का कार्य कर सकेंगी। इस प्रकार से सुधार का कार्य चालू किया जाय। उसके लिए मास्टर प्लान बनाया जाय। अब मास्टर प्लान यद्यपि बना नहीं है और कोटा की सीमायें पांच पांच मील तक बढ़ा दी गई है। और एक विस्तृत सीमा में मास्टर प्लान की योजना चल रही है। अब जो नगर पालिका की सीमा बना दी हैं, उसमें पंचायतें आती हैं, अब वे पंचायतें खतम सो करके नगर पालिका में उस पंचायत एरिया के सदस्य आयेंगे। मैं कह सकता हूं कि यद्यपि नगर पालिका की सीमा होगी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लेकिन जो इम्प्रूवमेंट एरिया कहलाया जायेगा वह इस नगर पालिका का एरिया कहलाया जायेगा और उसमें सीमित किया जायगा। अब कल हम यह कह सकते हैं कि हमें अरबन इम्प्रूवमेंट की योजना हाथ में लेनी है। अगर इस प्रकार अलग से सीमा निश्चित कर लेंगे तो कहा जायगा कि रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अलग से। इस बात में जो विवेद है, उसको अलग नहीं समझा उसको डिफाइन नहीं किया। हम समझते हैं कि हम थोड़ी सी यहां पर गलती कर देते हैं कानून बनाते वक्त एक सीमा में अर्बन इम्प्रूवमेंटएरिया में हम सुधार करने जा रहे हैं, जो एरिया है उसके अन्दर नगरपालिका है, वहीं पर पंचायत रहेगी, खैर पंचायत तो थोड़े दिनों में खत्म होकर नगरपालिका में मिक्स होंगी और उसके चुने हुए प्रतिनिधि नगरपालिका में पहुंच जायेंगे। इस बात को ध्यान में रख कर जो संशोधन दिया हैं, वह मैं पेश करना चाहता हूं। अब एक कॉंस्टिट्यूएन्सी के अन्दर ट्रस्ट कैसे बनेगा, उसमें एक चेयरमैन रहेगा दो मेम्बर नगरपालिका के चुने हुए रहेंगे और दो से चार के बीच में गवर्नमेंट नोमीनेट कर सकेगी। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख होता है कि जो मेम्बर सिलेक्ट कमेटी में रहे, उन्होंने वास्तव में इस बात का अनुभव नहीं किया कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम किस तरह चलता हैं। मैं कोटा सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में रहा हूं, तीन साल तक मैंने काम किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि वहां किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती हैं। अभी कोटा सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चल रहा है, उसमें इस समय पांच मेम्बर हैं। एक चेयरमैन हैं, एक डी. एम. ओ. है और एक एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर है और दो मेम्बर नगर पालिका के चुने हुए हैं। मैं नगरपालिका का चुना हुआ मेम्बर हूं। एक उस एरिया से है जो कि इम्प्रूवमेंट एरिया है और एक मेम्बर नगरपालिका एरिया से है। मुझे कठिनाई अनुभव होती है उसके कारण मैं कह सकता हूं कि मैं उस एरिया से चुनाव हुआ होता तो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एरिया है तो मैं ज्यादा रिप्रजेन्टेशन कर सकता था। जो कि दूसरे प्रतिनिधि हैं वे वहां की बातों को ज्यादा समझते हैं, वे वहां कठिनाई आदि समझते है, वे यह जानते हैं कि वहां पर कौनसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वहां इम्प्रूवमेंट करने में क्या क्या कमियां रह गई हैं, जनता का किस प्रकार का सहयोग है, जनता का क्या ट्रेन्ड है। जब तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से चुन कर मेम्बर नहीं आयेगा, वह यह बातें नहीं जान सकता। अब बाहर के लोग को नोमिनेट कर दिया, तो उसको उतना अनुभव नहीं होगा, वह अपने एरिया के लिए कहेगा, अपने एरिया के, नगर पालिका एरिया के सुधार की व्यवस्था करेगा और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में क्या हो रहा है, उसकी चिन्ता नहीं करेगा। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसलिए मैंने इस क्लॉज़ के अन्दर इस बात को रखा है कि नगरपालिका से दो मेम्बर चुन कर आयेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आप किसी आदमी को ले लें, जिसका इम्प्रूवमेंट एरिया से सम्बन्ध नहीं है तो उस व्यक्ति की रुचि कम रहेगी और उसका पूरी तरह ध्यान नहीं रहेगा, इसके बाद जिस तरह का रिप्रजेन्टेशन होना चहिए, वह रिप्रजेन्टेशन नहीं होगा। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि जो इम्प्रूवमेंट एरिया आपका है, उस इम्प्रूवमेंट एरिया से जो लोग नगर पालिका

Page No.61

(श्री दयाकृष्ण विजय)

में चुन कर जाते हैं, उन नगर पालिका में चुने हुए मेम्बर्स को लिया जाय, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एरिया से आते हैं उनको लिया जाय तो उनकी रुचि ज्यादा होगी; अनुभव ज़्यादा होगा और रिप्रजेन्टेशन का अधिकार उन्हें ज्यादा रहेगा....

और इस लिये मैंने संशोधन रखा है कि नगरपालिका एरिया में जितना सिटी इम्प्रूव- एरिया है, उनमें से जो सदस्य आते हैं उनको ट्रस्ट में लिया जाय ।

दूसरा मेरा संशोधन है कि चैयरमैन जो रखे जायं वे इतने अनुभवी हों कि और आर. ए. एस. के केडर के व्यक्ति हों और उनको भी प्रीवियस इम्प्रूवमेंट का अनुभव होना चाहिये । फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा कि इन्जीनियरिंग स्किल का आदमी रखा जाय, मै इससे सहमत हूं पर अगर एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर रख दिया तो पहले प्लान्स आयेंगी, फिर नक्शों का कार्य चलेगा, उसमें इन्जीनियरिंग का कार्य चलेगा, वे लोग हर काम में अपनी नाक अड़ायेंगे और हमेशा झगड़ा रहेगा, बीच में खाने की प्रथा इन्जीनियरों में चलती रहती है वही यहां सिटी इम्प्रूवमेंट में चलेगी । मैंने आगे एक संशोधन रखा है उसमें इन्जीनियर का रखा है पर चेयरमैन के लिए रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चेयरमैन होना चाहिये । इस लिए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करते हुए बताना चाहता हूं कि इन्जीनियर को चेयरमैन रखा तो करप्शन बढ़ेगा । चैयरमैन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रखा जाय जिसने कि पहले इम्प्रूवमेंट का काम किया है ।

दूसरा संशोधन है दो, चार को बीच में अपॉइन्ट करने का रखा है । इसके पर्टिक्यूलर को मेन्शन कर दूं, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर रहेगा, पी. एम. ओ रहेगा, इसका कारण यह है कि इम्प्रूवमेंट कार्य चलेगा, रोड्स बनायेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, सेनिटेशन का प्रबन्ध होगा तो इसके लिये सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो व्यक्ति हो वह इन सब बातो का अनुभव रखने वाला इन्जीनियर होना चाहिये । इन्जीनियर नहीं रखा तो गलती करने वाले लोग आपको गलत सलाह देंगे अपनी गलतियों को गलत तरीके से समझा देंगे । इस लिये जो ओवरसियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर मुकर्रर किये जाये, उनकी बातों को समझने वाला एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर रखना ज़रूरी हो जाता है । पर वह चैयरमैन नहीं होना चाहिये चैयरमैन तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो वही रखा जाना चाहिये । पी. एम. ओ. को रखने की आवश्यकता इसलिए हैं कि मास्टर प्लान देर से बनेगा क्योंकि आपके पास इन्जीनियर्स नहीं हैं जो आपकी स्कीम्स को कामयाब करते हैं, प्लाट्स बनाते हैं तो वहां पी. एम. ओ. की ज़रूरत रहती है कि जो प्लाट्स बनाये हैं वहां गन्दगी तो नहीं हैं, नालियां कैसी होनी चाहिये, सेनिटेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू से विचार करने वाला मेडिकल एन्ड हैल्थ विभाग का आदमी रखें तो वह इस कार्य में ज्यादा मददगार होगा । कोटा में मेडिकल ऑफिसर है । गुमानपुरा एरिया में कुछ सड़कें बनी हुई थीं ओवरसियर असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने बताया कि गड़बड़ नहीं है । अगर हमारे पास एक्सपर्ट

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं होते तो कौन जांच करता हमारे पास था इसलिये हमने एन्क्वायरी करवाई और एक्सेस पेमेंट हो रहा था उसको रोका । इस लिये एग्जीक्युटिव इन्जीनियर इसमें मुकर्रर करें । साधारण आदमी रखें यह मेरी समझ मे नहीं आता । सिटी इम्प्रूवमेंट का एक्सपीरियेन्स हो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रखें मैंने यह संशोधन रखा है कि चैयरमैन आर. ए. एस. केडर का हो जिसको इम्प्रूवमेंट का एक्सपीरियेंस हो । सिटी इम्प्रूवमेंट एरिया से जितने प्रतिनिधि आते हैं, उनको इसमें स्थान मिलना चाहिये, दूसरे व्यक्तियों को स्थान नहीं मिलना चाहिए, वरना चुनावों को ले कर दलबन्दी हो जायगी । नगरपालिकाओं में पैसा नहीं मिलता, निश्शुल्क सेवा करते हैं पर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में काफी पैसा देंगे और इसका वही नतीजा होगा वे ही बातें होंगी जो आज हम सत्तारूढ दल में देखते हैं । ये सब बातें सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भी देखने को मिलेंगी । इस लिये आवश्यक है कि उस एरिया के लोग जायं जिनके यहां इम्प्रूवमेंट होने वाला है । दूसरों की आवश्यकता नहीं, वहां जा कर करना क्या है कोटा में गुमानपुरा एरिया सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में है नगरपालिका वहां एक भी पैसा खर्च नहीं करती, वहां से चुने हुए मेम्बर नगरपालिका में बैठे मक्खियां मारते रहें, उनके पास कोई काम नहीं अपने एरिया के बारे में नगरपालिका से कुछ कह सकें यह नहीं होता । वे उपयोगी सिद्ध हों इसके लिये सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में उनको भेजना चाहिये ताकि वहां वे इम्प्रूवमेंट का काम कर सकें ।

तीसरा मेरा संशोधन है कि एग्जीक्युटिव इन्जीनियर और पी. एम. ओ. इसमें होने चाहिये, तीसरे रखा है कि वहां के जो एम. एल. ए. हों उनको भी इस ट्रस्ट में रखना चाहिये ।

क्लॉज़ ४, ५, और ६ डिलिट कर दिये जायं क्योंकि ये बिल्कुल बेकार सिद्ध होंगे और इनको ऑमिट कर देने से बिल्कुल साधारण तरीके से बनाया हुआ साफ नीट एन्ड क्लीन क्लॉज़ हो जायगा । किसी प्रकार का फेवरेटिज्म करने की अपॉइन्टमेंट करने की बात सरकार के हाथ में नहीं रहेगी । मनोनीत करेंगे तो फेवरेटिज्म होगा तो इसको मिटाने का तरीका है कि सिटी इम्प्रूवमेंट एरिया में से जो लोग चुने हुए हैं, उन्हीं लोगों को लेना चाहिये ।

एक संशोधन यह देता हूँ कि जैसा अभी आपके कहने से पता चला कि ऐसे एरिया को लेना चाहते हैं तो वहां के सरपंच को ले सकते हैं । रूरल एरिया में आपने स्कीम नहीं दी है, जो स्कीम है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नहीं, अर्बन एरिया के लिये है । जो नगरों में गिने जाते हैं वहां नगरपालिका एरिया होगा पंचायत एरिया नहीं होगा । इस बात को गम्भीरता से विचारें और समझें और जो बातें मैंने बताई हैं कि नगरपालिकाओं के लिये सुधार कर रहे हैं, पंचायतों या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं कर रहे तो ट्रस्ट में उन्हीं लोगों को रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए ।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे, इससे सारे डिफेक्ट मिट जायेंगे ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष

(डॉ० बहादुरसिंह)

महोदय, इसमें मेरा संशोधन है Add at the end the words 'to be nominated by the state Government.' इस प्रकार का होगा और जो आपका (सी) है इस प्रकार से होगा उसका प्रतिनिधित्व है Two members of the Municipal Board to be elected by its members from amongst themselves in the prescribed manner.' पार्ट डी है Add the end the words to be nominated by the State Government.' एक और है Omit Sub-clauses 2, 3, 4, and 6. उपाध्यक्ष महोदय, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रस्ट है उसमें मैंने विशेष परिवर्तन नहीं किये हैं और जो राज्य सरकार की मंशा है वह उसी प्रकार से रखी है। जो सब-क्लॉज़ दो और तीन हैं उसमें व्यवस्था दी गई है कि चेयरमैन एन्ड दी पर्सन्स रेफर्ड इन क्लॉज़ (डी) सरकार की तरफ से नोमीनेटेड होंगे। इसमें मैंने इस प्रकार का स्पेशल एड किया हूँ नोमीनेटेड होंगे और सरकार भी एड कर सकती है। मेरा ४ और ६ में एमेंडमेंट है। सरकार यह पॉवर चाहती है कि अगर कोई नियत तारीख तक इलेक्शन करने में फैल हो जावे तो सरकार उसको इलेक्ट कर देगी।

अगर वह बोर्ड सुपरसीड किया गया है तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको सरकार नोमीनेट करेगी। लेकिन सारा का सारा ट्रस्ट होगा वह राज्य सरकार द्वारा नामज़द होगा। लेकिन जहां पर जनता के प्रतिनिधियों का प्रश्न है यदि वे चुनाव में नही आ पाते तो सरकार उनको भी नामजद कर देगी। तो यह थोड़ा बहुत पब्लिक के प्रतिनिधियों को अधिकार रह जाता है वह (४) से समाप्त होता है और ६ है उसमें सरकार यह चाहती है कि सरकारी कर्मचारी भी नामजद किये जावें। आप चार सदस्यों में चारों को ही नामजद कर सकते हैं। इसमें कोई क्वालीफिकेशन नहीं दी है। इसलिये (६) की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बताया है कि सरकारी कर्मचारियों को नामजद किया जावेगा। मैं समझता हूं कि यह अनुपयुक्त होगा। बोर्ड आपका है आप उसको कहें कि दो सदस्यों को दे दो। मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड को इन्ट्रेस्ट किसी व्यक्ति में न हो और दो सदस्य न आ सकें या बोर्ड किसी प्रकास से चुनाव नहीं करावें या किसी कारण से बोर्ड की बैठक समय पर न बुलावे और ऐसे समय बुलावे जिसमें लोग बहुत कम हो और कोरम पूरा न हो तो इस प्रकार की अड़चनें आ सकती है है और इस प्रकार से गड़बड़ी हो सकती है। ऐसी हालत में जब बोर्ड अपना प्रतिनिधि चुनने में असमर्थ हैं तो सरकार इसके अनुसार नामजदगी कर लेगी। नामजदगी को सारे प्रान्त में हमने म्युनिसिपैलिटी में समाप्त किया। यहां जब कि सारा का सारा बोर्ड नोमिनेटेड है जहां चार या ५ व्यक्तियों में दो प्रतिनिधि चुने हुए होंगे और आप इलेक्शन नहीं करना चाहते तो आप यह कह सकते हैं कि आपका रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आया। या किसी प्रकार से एक सदस्य झगड़ा कर दे तो अयोग्यता का आरोप लगाया जा सकता है। आपने दो प्रतिनिधि नहीं चुने। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को यह अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। इसलिए मैं उप खंड ४ और ६ में विशेष जोर देता हूं। उप खंड (६) में आपको यह अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस पर आपको विचार करना चाहिये।

Page No.64

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है साहब ।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस प्रकार की क्लॉज़ ४ पर अभी बताया गया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह आपत्तिजनक क्लॉज़ है । हमने यह सिद्धान्त तय किया कि विकास के कार्यों में जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिये और इस आधार पर राज्य सरकार एक विधेयक आने वाली है । जिसके द्वारा सारा विकास योजना का कार्य के लिए एक नया गठन का निर्माण होगा और इसी बात पर ज़ोर दिया है कि जितने भी विकास के कार्य हैं उनकी योजनाएं निर्वाचित प्रतिनिधि ही बनावें और उनको एग्ज़ीक्जूटिव ऑफिसर कार्यान्वित करे । यदि हम देखें कि पंचायत परिषद् होगी उसमें भी अध्यक्ष होगा मनोनीत राज का अधिकारी नहीं होगा । हमने तो यहां तक सुना है कि ज़िला परिषद होगी वहां भी गैर सरकारी निर्वाचित प्रतिनिधि होगा जहां जिलाधीश होगा । लेकिन हमने इस प्रकार का और महता समिति की सिफारिश है कि जितने भी टैक्निकल हैन्ड हैं डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वे सलाहकार हो सकते हैं वे इन समितियों के सदस्य होंगे और विकास के कार्यों में वे लोग अपनी सलाह देंगे और जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे वे योजनाएं बनावेंगे और टैक्निकल लोग जिस प्रकार की उनकी सलाह होगी वह उनको मिलने के बाद योजना बनायेंगे और विकास का कार्य चलेगा । जब हमने एक सिद्धान्त को स्वीकार किया तो हमें उसको वहां पर लागू करना चाहिये जहां हम यह मानते हैं कि ६० प्रतिशत लोग अशिक्षित है वहां पर ऐसा करना चाहते हैं ऐसी योजना देना चाहते । जहां शहरों में इस योजना का मतलब होगा लोगों के हाथ से छीन कर सरकारी मशीनरी के हाथ में देना चाहते हैं । यदि हम बोर्ड के गठन को देखें तो यह दिखाई देगा कि सारे के सारे बोर्ड का गठन सरकार के हाथ में होगा । सभापति को मनोनीत सरकार करेगी । इसके बाद में सभापति और अन्य दूसरे सदस्य जिस प्रकार से होंगे अगर बोर्ड किसी निश्चित तारीख तक किसी व्यक्ति को चुन कर नहीं भेजेगा तो राज्य सरकार उनको निर्वाचित करेगी । मगर मैं यह कहूंगा कि जो लोग चुने जाते हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता की भावना के प्रतीक होते हैं । मगर जो लोग राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे वे लोग ऐसे प्रतिनिधि नही होंगे जो जनता की भावना के प्रतिनिधि हो । जब हम जयपुर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को देखे तो उपाध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि यहां के सभापति मनोनीत किये हुए हैं । आप पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पहले थे जिनको हाथ में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का भार सौंपा हुआ था । वही व्यक्ति जब उसका कार्यकाल वहां से समाप्त हो जाता है तो उसको वहां नहीं रखा जाता है तो उसको यहां पर ला कर रखा है । फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में ऐसे व्यक्ति आने चाहिये जो योग्य हों । और यंग हो । इस बात को देखना चाहिये कि कौन व्यक्ति किस पद के योग्य है और जो व्यक्ति यहां पर नियुक्त किया गया है वह इस पद के योग्य है या

Page No.65

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं !।यहां पर पब्लिक सर्विस कमिशन के अध्यक्ष को, अध्यक्ष बनाते हैं और दूसरी बातों के लिए यह मानते हैं कि किस तरह से निर्णय ठीक तरह रहेगा, कौनसा प्लॉट देना चाहिये। यह योग्य नहीं है और किसको देना चाहिये। इस बात को निर्धारित करने के लिये एक आदमी, जो आदमियों का चुनाव करता था, प्लॉटों का चुनाव ठीक बात में कैसे कर सका है। दोनों में अलग अलग चुनाव रहना चाहिये। हमारी सरकार दोनों बातों में एक प्रकार की कसौटी रखती है और इस प्रकार से सभापति को मनोनीत करेगी।

११ म० पू०

लेकिन अगर इस प्रकार की अवस्था उस स्थान पर हो जाती है कि वह बोर्ड राज्य सरकार के विरोध में है, जहां जन संघ, प्रजा-समाजवादी, या किसी पार्टी का बहुमत है, बोर्ड का तो राज्य सरकार गठन करेगी लेकिन वहां क्या करेगी कि सभापति किसको बनाना चाहिये? तो ऐसे व्यक्ति को भी सरकार वहां सभापति बना सकती है जो नगरपालिका के चुनावों में हारा हुआ हो। राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवा में से किसी को लिया जाता है तो ऐसा भी नहीं है। जिस पार्टी से हारा है वह और उस पार्टी का बोर्ड में बहुमत है तो राज्य सरकार उस ट्रस्ट का, उसको अध्यक्ष बना देगी। फिर नगरपालिका से कहेगी कि दो आदमियों को भेजो। क्या नगरपालिका इसको पसन्द करेगी? वह नहीं पसन्द करेगी। तो ऐसी अवस्था में राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि दो आदमियों का वह मनोनयन कर दे। इस प्रकार से चार का तो मनोनयन हो गया और अध्यक्ष, चार सदस्यों आदि को मिला कर, यह बोर्ड ७ आदमियों का नोमीनेटेड बन जावेगा। यह बोर्ड विकास योजनाओं को लेकर चलेगा तो यह कैसे न्याय संगत होगा? किसी भी प्रकार से यह न्याय संगत नहीं हो सकेगा। जो सिलेक्ट कमेटी से प्रारूप बन कर आया है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अच्छा तो यह होता कि जो नगरपालिका का अध्यक्ष है उसी को इस ट्रस्ट का भी अध्यक्ष बना दिया जाता। राज्य सरकार के जितने विभाग है उनमें से इन्जीनियर, डॉक्टर और जितने कर्मचारी हैं वे सब पंचायतों और ज़िला परिषदों में जावेंगे। इसी प्रकार से नगर से सम्बन्धित डॉक्टर हैं, इन्जीनियर हैं, इस बोर्ड के सदस्य हैं वे इसके सदस्य होंगे। शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष है वह भी इसका सदस्य है। टैक्निकल असिस्टेन्स के लिए उनका मनोनयन करेंगी। राज्य सरकार को अधिकार रखा है कि राज्य सरकार टैक्निकल हैडस को मनोनीत करे, बोर्ड का जो चैयरमैन है इसका अध्यक्ष हो। आज भी बोर्ड में विकास समितियां बनती हैं। राज्य सरकार ने सब ही जगह इस प्रकार के बोर्ड्स नहीं बनाये हैं। जहां नहीं है वहां विकास कमेटियां काम करती है। वहां पर राज्य सरकार की ओर से टैक्निकल असिस्टेन्स नहीं मिलता है। आज शहर बढ़ रहे हैं और उनके लिए मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां मास्टर प्लान बनाने का सम्बन्ध है क्लॉज़ २ के अन्तर्गत यह प्रोविज़न किया गया है कि मास्टर प्लान बोर्ड नहीं बनावेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी बनावेंगे और एक एडवाइज़री बोर्डी सरकार अपॉइन्ट करेगी। मास्टर प्लान तो बना दिया किन्तु उसको एक्ज़ीक्युट करने में किस प्रकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

की अड़चनें आ सकती है इन सारी बातों को तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे ही अच्छी प्रकार से बता सकते हैं। इसलिए इस बोर्ड का गठन, जिस प्रकार इस विधेयक द्वारा रखा है उसको हटा कर ऐसा प्रावधान रखना चाहिये कि नगरपालिका का अध्यक्ष बोर्ड का, ट्रस्ट का चेयरमैन हो। दो तीन सदस्य होंगे। उसके बाद जितने टैक्निकल हैड्स हैं, डिपार्टमेंट्स के हैड्स हैं वे इन बोडर्स के सदस्य होंगे और समय समय पर आकर वे अपनी राय देंगे और उसी पर यह बोर्ड काम करेगा। इस प्रकार का संशोधन इस धारा में आना चाहिये।

मैं इस वर्तमान क्लॉज़ का विरोध करता हूँ और माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का संशोधन करेंगे वे, इसको बनावेंगे जिससे कि इसका उचित अर्थ निकलेगा और भविष्य में बोर्ड और नगरपालिका के बीच में झगड़े नहीं होंगे और सुचारु रूप से काम चलेगा। इस प्रकार के सुझाव इस धारा में आने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में सदन के सामने दो संशोधन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो दो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उनसे एक बात का संकेत मिलता है कि जिस प्रकार का गठन सरकार इन ट्रस्ट्स का करना चाहती है उस गठन मे माननीय सदस्यों की सम्मति नहीं है। सम्मति क्यों नहीं है इसके लिए उन्होंने अलग से अपने अपने कारण बताये हैं। और उन कारणों के निराकरण के लिए अलग अलग अपने सुझाव किये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस संबन्ध में विचार करने से पहले और विचार करने के बाद इस सम्बन्ध का सुझाव देने से पहले यदि हम आज तक का इतिहास अर्बन इम्प्रूवमेंट बोडर्स का देख और देखने के बाद हमें जो अनुभव होता है इसके आधार पर यदि हम भविष्य का निर्धारण करें वह ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोरम नहीं है और कोरम के अभाव में मुझे नहीं बोलना चाहिये।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री अध्यक्ष : yes

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था कि हमें पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य का निराकरण करना है।....

फिर मेम्बर कम हो जावेंगे माननीय उप मंत्री जी जा रहे हैं।

तो ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूँ, जो शंकायें माननीय सदस्यों को स्वाभाविक रूप में उठी हैं या किसी अन्य सदस्य को उठ सकती है उनका कोई चान्स नहीं रहेगा कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के वर्किंग के बारे में उसका जो ट्रस्ट बनता है, उसके गठन के बारे में या जो काम होता है उसके बारे में किसी प्रकार संदेह हो। जयपुर में सन् १६४६ के अन्दर सबसे पहले जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड कायम हुआ था और उस समय के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री उस बोर्ड के अध्यक्ष बनाये गये थे और वाणिज्य और उद्योग सचिव उस बोर्ड के मंत्री बनाये गये थे। जिस

(श्री भैरोंसिंह)

समय यह बोर्ड बना उस बोर्ड के बनने से पहले जयपुर के सम्बन्ध में जयपुर रियासत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मिर्जा इस्माइल की कुछ स्कीमें थीं उनको किस प्रकार इम्प्ली-मेंट किया जा सके इसी एक दृष्टिकोण से जयपुर में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यह दृष्टिकोण नहीं था कि अमुक स्थान पर, या अमुक श्रेणी के लोगों को कम कीमत पर प्लॉट्स अलॉट किये जावेंगे और अलॉटमेंट के बाद में मकान बनाने के लिए कुछ शर्तें तय की जावेंगी। उस समय केवल दृष्टिकोण था, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेंट का जो एरिया है उस एरिया में उन स्कीम्स को इम्पलीमेंट किया जाय। स्कीम्स बनी हुई थी जिसको भूतपूर्व जयपुर रियासत ने एप्रूव कर करदिया था अब केवल इम्पलीमेन्टेशन का काम था जब इम्पलीमेन्टेशन का प्रश्न पैदा हुआ जयपुर में पोपूलर सरकार बनी तो यहां के अधिकारियों ने देखा आज से पहले जितने भी शासक लोग शासन करते थे वे अधिका-रियों के मुकाबले ज्यादा काबिल थे। वैसी हालत में अधिकारियों के संबन्ध में जितने भी प्रस्ताव होते थे उस समय की सरकार ने उनको स्वीकार नहीं किया। कुछ अरसे के बाद जब कि पोपूलर सरकार बनी और एक विशष्टि दल की सरकार बनी पहले जैसा कि एक्सपेक्टशन था सरकार बहुत योग्य होगी लेकिन अधिकारियों को पता चला कि इनके समय में अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है और उन्होंने उस प्रकार की चेष्टा भी की और उन्होंने नियम बनाने की हिम्मत भी की लेकिन उस समय की सरकार ने इस प्रकार के नियमों को बनाने नहीं दिया। सन् ४६ के बाद ५१ के अन्दर जो सरकार आयी उन अधिकारियों ने देखा जो कुछ लाभ हम उठा सकते हैं अब समय है वह लाभ उठाना चाहिये। अर्बन इम्प्रूवमेंट के जितने भी रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट कराया गया और उसमें एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया। उसके ऑब्जेक्टस में यह बात रखी गई जितने भी वैतनिक सरकारी अधिकारी है उनको सस्ते दामों के अन्दर रीजनेबल कीमत के ऊपर प्लॉट्स अलॉट करवाये जांय। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के सामने रखी सरकारी मंत्रियों की अयोग्यता तो जिसको नहीं कहना चाहिये उसका फायदा उठाया। उन मंत्रियों ने सावधानी नहीं बरती।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपमंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ज्यादा विस्तार में न जायें तो अच्छा है। जो अमेंडमेंट पेश हुआ है उसके संबन्ध में अगर उनके कोई सुझाव हों तो उन सुझावों से सरकार फायदा उठा सकती है। जनरल डिसकशन के वक्त जो बातें कही गई उनको वापिस रिपीट करने से फायदा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रिपीट करने का जहां तक ताल्लुक है उस संबन्ध में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ वह न संशोधन के पक्ष में बोल रहा। हूं मैं तो पूरे क्लॉज़ का विरोध कर रहा हूँ और विरोध क्यों कर रहा हूं, वह मैं माननीय मत्री महोदय को समझने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : There are no observations from the Chair except the indication that the debate may be a relevant one. You will proceed please.

Page No.68

श्री भैरोंसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था उस समय सरकारी अधिकारियों ने लाभ उठाने की कोशिश की अपने काम में सफलता भी मिली। गवर्नमेंट द्वारा सर्क्युलर इश्यु किये गये अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा जितने भी प्लॉट्स का अलॉटमेंट हो उसमें सरकार अधिकारियों को रीज़नेबल रेट्स पर प्लॉट दिये जाय और उनको तरज़ीह दी जाय। तरज़ीह किस प्रकार से दी जा सकती है जनता के चुने हुए नुमायन्दे होते हैं तो सरकारी अधिकारी या ऊचाधिकारी या कोई सचिव या उस विभाग का विभागाध्यक्ष इस प्रकार से फायदा नहीं उठा सकता जनता के चुने हुए सदस्य सरकारी अधिकारियों के मुकाबले में जनता को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने यह चेष्टा की अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड पब्लिक का नुमायन्दा बोर्ड है और जब उस बोर्ड में सरकार द्वारा नामज़द नुमायन्दे पहुंच जाय उन्होंने इस प्रकार का वातावरण तैयार किया। पब्लिक के नुमायन्दे ज्यादा होते हैं तो सरकारी अधिकारियों को इम्पोर्टेन्स नही देते। इसलिए यह सुझाव रखा गया चूंकि जनता के चुने हुए आदमी जो आते हैं उनको टेकनिकल एक्सपीरियन्स नहीं होता है। वे सरकार का जो सेनीटेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू है उसको ठीक तरह से पालन नहीं कर सकते इसलिये उन्होंने ये बातें बताकर इस प्रकार का वातावरण बनाया, इस प्रकार की मांग की गई कि जनता के नुमायन्दों के साथ साथ बोर्ड में टेकनिकल एक्सपर्टस भी हों। इस तरह से दो टेकनिकल एक्सपर्टस लिये जाने लगे। फिर भी देखा कि जनता के चुने हुए सदस्यों का बहुमत फिर भी है तो उनका काम ठीक प्रकार से चल नहीं सकेगा उन्होंने एक तरीका निकाला। अब तक नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते थे वे लाज़िमी तौर से उसके मेम्बर होते थे, उनको हटाने की कोशिश की गई। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार जब इस बारे में प्रश्न पूछा गया था तो सरकार ने यह उत्तर दिया था कि सरकार के सामने यह विचाराधीन है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट के सभी सदस्य सरकार सरकारी बना दिये जांय और गैर सरकारी सदस्य हटा दिये जांय। उनको इम्पलीमेंट वे अब तक क्यों नहीं कर पाये? अब उस पर विचार नहीं कर सके इसका क्या कारण है? यह मैं नहीं कह सकता।

फिर प्रश्न आया कि अर्बन इम्प्रूवमेंट का काम किस प्रकार से चले उधर देनीपार्क की स्कीम चालू की गई 'सी' स्कीम चालू की गई और गान्धी नगर की स्कीम चालू हुई तो सरकारी अधिकारियों ने देखा इन स्कीम्स के के खत्म होने से पहले प्लाट्स उनके नाम अलॉट हो जाते हैं तो ठीक है फिर ऐसा चान्स भी आयगा या नहीं ज़मीन मिलेगी भी या नहीं। नये बोर्ड का गठन हुआ। इस बात को कहना तो नहीं चाहिये इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जिनके मनोनीत किया गया उसके बारे में राजस्थान की जनता काफी खेद प्रगट करती है। यह पद उनके अनुरूप नहीं था फिर भी उनको मनोनीत किया गया। कहा यह जाता है कि समाज सेवा करने के लिये वे आये। लेकिन एक प्रकार से उच्च पद पर रहने के बाद जब वे ऐसे पद को स्वीकार करते हैं तो जनता उस समाज सेवा का कई अर्थ लगाती है। इस पद पर सरकार उनको क्यों लाई यह तो इस पद को स्वीकार करने वाले जाने उनका इसमें दृष्टिकोण क्या था? इस पद को स्वीकार करने के बाद जिस प्रकार की कार्यवाही उनके द्वारा हुई उसका

(श्री भैरोंसिंह)

सारा नक्शा आज मैं लाया हूं। कल तो वह मेरे पास नहीं था आज लेकर आया हूँ ताकि सदन को इनकी अध्यक्षता में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने जो जो कारनामे किये है वह सदन के सामने रख सकूं।

विधान सभा के सदस्यों ने मांग की कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के कागज़ातों की जांच की जाय कि जिन लोगों ने पहले दरख्वास्तें दी थी उनको तरज़ीहान देकर बाद में जिनकी दरख्वास्तें आयी उनको तरज़ीह क्यों दी गई। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा केवल सरकारी अधिकारियों को ही प्लाट्स क्यों अलॉट किये जाते है बाकी जनता की दरख्वास्तों पर गौर क्यों नहीं किया जाता। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के कार्य पर पूर्ण विश्वास था, अतः उन्होंने उस समय इनकी जांच करवाना आवश्यक नहीं समझा। लेकिन मैं सदन के सामने केवल गत तीन महिनों का ही जिक्र करूंगा बाकी लंबा चौड़ा हिसाब बताना नहीं चाहता....

श्री उपाध्यक्ष : इस हिसाब से भी मुझे दुःख हो रहा है। जहां तक इस क्लॉज़ के उसूल और सिद्धान्तों का सवाल है It is not helpful...

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं पहले इन सब बातों को प्रस्तुत नहीं कर सका। मैं इन सब घटनाओं की ओर सदन का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के बोर्ड का गठन इस में प्रोवाइड है। उस प्रकार के बोर्ड का गठन होता है तो पिछली बार जितनी भी गलतियां या अनियमिततायें हुई उससे कम नहीं होंगी बल्कि ज्यादा ही होंगी इसलिये मैं बता रहा हूं। हमारे पिछले बोर्ड का अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज जिस प्रकार का गठन आप करने जा रहे हैं वह गठन सुन्दर गठन नहीं होगा उसमें काफी दुविधा पैदा होगी। इसलिये थोड़ा सा पिछले बोर्ड का अनुभव माननीय सदस्यों को हो जाय तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बोर्ड के गठन को सदन स्वीकार नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार फिर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न सदन के प्रांगण में बार बार आ चुका है। इसके अलावा क्लॉज़ ४ के असूलों और सिद्धान्तों का सवाल है जिसका कि आप विरोध कर रहे हैं इसी पृष्ठ भूमि से विरोध करते रहेंगे तो अन्य माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र के बोर्ड्स के उदाहरण प्रस्तुत करते जायेंगे तो उसका कोई अन्त नहीं होगा और इसके अलावा अप्रासंगिक भी होगा। अपने भाषण को सीमित रखने हेतु आवश्यक रूप से जो उदाहरण रखने हों उन्हीं को रखते हुए अपने भाषण को सीमित रक्खें, तो समुचित होगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मेरा भाषण लम्बा होता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आती है अगर सरकार के कारनामें अच्छे होते तो शायद मैं दो ही मिनिट में यह कह देता कि बोर्ड का गठन इस प्रकार से कर दिया जाय। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और उसको सदन में रखने में भाषण लम्बा होता है तो वह होगा ही। भाषण प्रसंग के बाहर न हो आपकी इस आज्ञा की मैं तामील करूंगा

(श्री भैरोंसिंह)

और इस बात की चेष्टा करूंगा कि मेरी ओर से कोई भी शब्द अप्रासंगिक न निकले। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था इस बोर्ड की जो व्यवस्था की गई है इसमें व्यवस्था की गई है कि एक तो चैयरमेन के लिये व्यवस्था की गई है सब क्लॉज़ (२) में :

"(2) The Chairman and the persons referred to in clause (d) of sub-section (1) shall be appointed by the State Government by noti ication"

धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड डी में जिन दो व्यक्तियों को सरकार मनोनीत करेगी वे और तीसरा चैयरमैन इन सबको सरकार नोमीनेट करेगी और इसकी घोषणा गजट में की जावेगी। अब सरकार के सामने तीन विकल्प हैं। एक तो सरकारी अधिकारियों में से छांटना, दूसरा चुने हुओं को लेना और तीसरा है वे व्यक्ति जिनको नॉन आफिशियल कह सकते हैं, इन तीन में सरकार को सिलेक्शन करना है। अब सरकारी अधिकारियों को करना है या चुने हुओं को करना है या तीसरे अपने कृपा पात्रों पर महेरबानी करनी है, इन तीनों प्रसंगों में डेफीनेट होना है सरकार को। सरकार अभी तक डेफीनेट नहीं हुई। हो जाती तो धारा में ऐसा प्रावधान आ जाता। सरकार ने तीनों के लिये अपनी मर्ज़ी रक्खी। जहां सरकार यह अच्छा समझेगी कि शहर में कोई कृपा पात्र नहीं मिल रहा है तो उस जगह म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को बना देगी, सरकार पर कोई पाबन्दी नहीं, जहां बदकिस्मती से चेयरमैन गैर कांग्रेसी हुआ, वहां किसी सरकारी अधिकारी को बनादेगी। तो इसके लिये भी छूट रक्खी है। मैं कहूँ सरकार इस समय सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी व्यक्ति में किसी प्रकार का डिफरेन्स नहीं समझती है। वह एक निश्चित बात बतावे कि सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा या चेयरमैन होगा, कौन होगा। सरकार इस एक नाम को लेकर तै नहीं करती कि किसको रखना है और सभी ऑप्शन अपने हाथ में रखना चाहती है तो यह उचित नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार की मर्ज़ी पर लेजिस्लेटिव पॉवर दे दिये जावें। जब जैसा चाहें तब वैसा वह उनका उपयोग कर लिया करे।

इसके लिये सरकार यह कहेगी कि पिछला इतिहास साक्षी है कि हमने किसी सरकारी अधिकारी को चेयरमैन नहीं बनाया। पर इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि आपने सरकारी अधिकारी को नहीं बनाया पर जिनको बनाया उस चैयरमैन से जितना भी सरकारी अधिकारी नाज़ायज फायदा उठा सकते थे उनको वह नाज़ायज फायदा उठाने की महोलत देने के लिये सरकार का हर सम्भव सपोर्ट था और प्रोत्साहन था। इस प्रकार के व्यक्ति को चुनकर अध्यक्ष बना दिया और नीचे से ऊपर सभी सरकारी अधिकारी यह जान गये थे कि बोर्ड का गठन किस प्रकार हुआ। मसलन जयपुर है। जयपुर शहर काफी बड़ा है। राजधानी है। यहां नगरपालिका के इलेक्शन होते हैं और इसके बाद नगरपालिका का चेयरमैन सारे शहर का सेनीटरी आदि का इन्तज़ाम करता है। अब शहर के इन्तज़ाम करने वाले व्यक्ति को कहा जावे जो चुन कर नहीं आया उसके मुकाबले में कि वह नाकाबिल है, और वह अर्बन इम्प्रूवमेंट का काम नहीं कर सकता। यह डेमोक्रेसी को प्रजातन्त्र को या इस प्रकार के इन्स्टिट्यूशन्स को पनपाने की जो मनोवृत्ति है उसके विपरीत

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ता है । सरकार उसको मन्जूर क्यों नहीं कर सकती ? जो चेयरमैन नगरपालिका का होगा, वही अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का भी होगा इसमें सरकार को क्या दिक्कत है । पर जैसा सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से पता लगा कि म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के पास ज्यादा काम होता है इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का चेयरमैन बन गया तो फिर समय नहीं दे सकेगा उसके लिये और अपने काम के लिये जितना न्याय करना चाहिये नहीं कर सकेगा । इसलिये प्रश्न आता है कि हम इस स्थिति को भी देखें । राजधानी में एक बार नगरपालिका और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के दोनों के चेयरमैन रामकिशोरजी व्यास, जो आज के गृहमन्त्री हैं थे । वे नगरपालिका के भी चेयरमैन थे और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी साथ साथ थे । और उस समय जो काम उन्होंने किया था वह आज के काम से कम नहीं था । सर मिर्जा इस्माइल की सारी स्कीम को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया । रामकिशोरजी ने यह एक नमूना पेश किया कि दोनों के चैयरमैन होकर वे सारे काम बहुत ठीक कर सकते हैं । इस प्रकार का नमूना पेश किया है । अब यह हो सकता है कि उनके काम में मन्त्रियों को सन्देह पैदा हो गया, उनकी एफीशियेन्सी पर डाउट करने लगे और इसे उदाहरण के रूप में न लेकर आइन्दा व्यवस्था करनी चाही कि एक ही व्यक्ति दोनों का चेयरमैन नहीं हो सकते और इसलिये नहीं हो सकते कि समय का अभाव है । मल्टीफेरियस एक्टीविटीज़ में फंसे रहना पड़ता है इसलिये उत्तरदायित्व का काम नहीं कर सकते । मैं इसका नमूना पेश करूंगा कि एक आदमी कई मल्टीफेरियस एक्टीविटीज़ में फंसे रहने पर भी किस एफीशियेन्सी से काम कर सकता है । और जिसको सरकार भी मानती है । हमारे यहां कई कमेटियां हैं, बनती हैं, बनती रहती हैं । टूरिस्ट क्लब, आर. टी. ओ. स्पोर्टस क्लब, फ्लाइंग क्लब आदि बनते हैं, एक व्यक्ति के लिये २४ घंटे का समय ज्यादा है । २४ घंटे का समय है ज्यादा से ज्यादा । इसमें दुनिया भर की कमेटियों को अटेन्ड करते हैं और सबके साथ जस्टिस करते हैं । आज तक उनकी एक भी शिकायत नहीं आई । ऐसे वे रामजी काक हैं आर० टी० ए० की शिकायत नहीं आई, फ्लाँइगक्लब की शिकायत नहीं आई, स्पोर्टस क्लब तक की कभी कोई शिकायत नहीं मिली, और गवर्नमेंट की कितनी ही कमेटियां हैं उनमें भी वे काम करते हैं पर कभी कोई शिकायत उन की नहीं आई और फिर उन्होंने कोई अपना समय न देकर काम नहीं किया ऐसी बात भी नहीं है । सबके साथ न्याय किया है । और अब से अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना है उस समय से लेकर आज तक वे अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सदस्य हैं बावजूद अन्य अनेकों कमेटियों के सदस्य रहते हुए भी और मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने सबसे अधिक समय दिया । और वह प्रमाण यह है, मैंने एक प्रश्न विधान सभा में भी इस बारे में पूछा था कि सबसे ज्यादा बिल किसने ड्रा किया उससे अन्दाज लगेगा कि मल्टीफेरियस एक्टीविटीज़ में रहते हुए भी कितना न्याय वे कर सकते हैं । रेगुलर अटेन्डेन्स से लिया है डेलीबेरेशन से नहीं । उनको २६००) का अलाउन्स मिला है, बाकी किसी को ७००) किसी को ८००) किसी को ४००) मिला है । हालाँकि दो एक और भी ज्यादा ले गये हैं । पर सबसे ज्यादा अला·

(श्री भैरोंसिंह)

उन्स उनका रहा है । सबसे ज्यादा अलाउन्स उन्होंने लिया है । डेलीबेरेशन्स से लिया हो ऐसी बात नहीं । बल्कि अटेन्डेन्स से यह फायदा उठाया है । फायदा उठाया है. यह मैं कहता हूं । मन्त्रीजी नहीं करेंगे । कन्ट्रीब्यूट किया है और इसके बाद में अलाउन्स लिया है । तो मैं समझता हूं कि मल्टीफेरियस एक्टीविटीज़ में रहते हुए भी ये कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो........

श्री उपाध्यक्ष : It would have been desirable if the person should not have been discussed by name because he cannot controvert all these things. He is not a member of this House.

श्री भैरोंसिंह : I have praised him Sir.

मैंने उपाध्यक्ष महोदय, उनकी तारीफ की है । एलीगेशन्स नहीं लगाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ में मैंने भी यही समझा था कि आप के ये शब्द प्रशंसा में हैं पर तारीफ किस स्थिति में बदल गई अन्त में ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो राजस्थान के हीरो हैं साहब । मैं तो अभी भी उनकी तारीफ करता हूं और उन्होंने जो कार्यवाहियां की हैं, उनसे प्रेरणा लेता हूं और माननीय मन्त्रीजी को भी प्रेरणा लेने की सलाह देता हूं । इतने काम एक साथ करते हुए भी किसी काम के प्रति इन्जस्टिस नहीं करते । इस प्रकार के व्यक्ति इतने काम एक साथ कर सकते हैं और सब कामों के प्रति न्याय कर सकते हैं तो नगरपालिका के चैयरमैन भी दोनों का काम कर सकते हैं । तो आपके सामने जो दिक्कत पेश हो रही है कि दोनों के काम के प्रति जस्टिस नहीं हो सकेगी, वह दिक्कत इस प्रकार के नमूने को देखने के बाद दूर हो जावेगी इसीलिये मैंने उप-मन्त्रीजी से निवेदन किया है कि उनसे कम से कम वे प्रेरणा तो लें ताकि उनके सामने ऐसी दिक्कत न रहे ।

तो मेरा प्रश्न यह था कि जो इस प्रकार के नोमीनेटेड चैयरमैन का प्रावधान रखा गया है, वह अनुचित है । मेरी ऐसी मान्यता है कि नगरपालिका के चैयरमैन को ही अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का भी चैयरमैन बना दिया जाय । इसके दो कारण और हैं । जयपुर में मेरे पास इस प्रकार की भी घटनाओं की याद है कि जहां अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के आपस में झगड़े हुए । यहां पर सांगानेर दरवाजे के बाहर स्टाल्स लगे । तो लोगों ने म्युनिसिपैलिटी से लगाने की इजाजत ले ली । अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने कहा कि इसे यहां से हटाना पड़ेगा । यह हमारा एरिया है । दोनों के झगड़े में पुलिस आई, पुलिस उस स्टॉल को उठाने लगी तो मिनिस्टर साहब का स्टेआर्डर पहुँचा कि नहीं हटाया जावे । स्टे आर्डर को ओवरराइड कर दिया । पुलिस की कोतवाली में अब भी उस स्टॉल के रिमेनिंग पड़े होंगे । तो आज डबल रेस्पोन्सिबिलिटी के कारण झगड़े भी हो सकते हैं । नगरपालिका का चैयरमैन यह समझ सकता है कि मेरी कान्स्टिट्यूएन्सी है, नगरपालिका की सीमा बहुत दूर तक है । वहां तक सफाई आदि की सारी जिम्मेदारी मेरे पर है, मुझे उसे पूरा करना है । नगर-पालिका के लोग उसे अपना नगरपिता कहते हैं । पिता होने के नाते उस सारी नगरपालिका

(श्री भैरोंसिंह)

सीमा का उत्तरदायित्व पड़ता है। अब उन नगरपिता के साथ साथ एक दूसरा नोमीनेटेड आदमी पिता कहलाने की चेष्टा करे और उस नगरपालिका की सीमा में ही कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति के अधिकार में दे दिया जावे, तो किसी प्रकार से यह न्याय संगत नहीं होगा। अब प्रश्न यह आता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का जो एरिया होता है वह भी म्युनिसिपल एरिया होता है। अब सरकार के सामने दो विकल्प पैदा हो सकते हैं। एक तो वह एरिया जो कि म्युनिसिपल लिमिट में है वह तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में है लेकिन कुछ रूरल एरिया भी पंचायत का एरिया भी यदि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की दृष्टि से हम शहर में शामिल करना चाहें तो म्युनिसिपैलिटी उसको शामिल कर सकती है। अभी अभी हमने नगरपालिका विधेयक बनाया है और उसमें इस बात की व्यवस्था की है कि यदि कोई नगरपालिका अपनी सीमा को बढ़ाना चाहें अपनी सीमा के बाहर यदि एक्सटेन्शन करना चाहे तो वह उसकी सरकार से मांग करे और उसकी सरकार स्वीकृति करे, उसका गजट नोटीफिकेशन हो और उसका फाइनल डिसीज़न कर लिया जाये। नगरपालिका विधेयक में हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है तो आज यदि नगरपालिका की सीमा के एक्सटेन्शन का प्रश्न आये तो नगरपालिका अपने क्षेत्र का एक्सटेन्शन करवा सकती है। तो यह मानना पड़ेगा कि जिस एरिया में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के काम होंगे वह एरिया नगरपालिका के क्षेत्र में होगा। अब प्रश्न यह आता है उपाध्यक्ष महोदय, कि हम नगरपालिका के क्षेत्र का विकास करें और नगरपालिका के अध्यक्ष जो कि नगरपिता कहलाता है उसकी राय नहीं लें या उस पर उसका सुपरविज़न नहीं रखें तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चुनी हुई नगरपालिका को जो अधिकार दिये हैं, उसको हम छीन रहे हैं। हमने नगरपालिका विधेयक पास करके नगरपालिका के अध्यक्ष को कुछ अधिकार दिये और आज हम अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का कानून बनाकर नगरपालिका के अध्यक्ष के अधिकारों को सीमित करना चाहें और यह कहें कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का एरिया जो घोषित किया जायेगा उसमें नगरपालिका के अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय सफाई और ऐसे ही नगरपालिका के कार्यों के। तो मैं समझता हूँ कि यह उसके अधिकारों को लेने के बराबर होगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन को अपने क्षेत्र के अधिकार हैं और यदि हमने इस प्रकार के गठन की व्यवस्था नहीं रखी तो हम जिन टैक्निकल एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं उससे हम महरूम रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने व्यवस्था नहीं की तो सरकार की यह कठिनाई हमारे सामने आ सकती है लेकिन इसके लिए हम खुला प्रावधान रखें। दो सदस्यों की ज़रूरत नहीं है तो सरकार को भी शामिल कर सकती है। यदि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को कोई टैक्निकल राय देनी है तो यह ज़रूरत नहीं है कि दो व्यक्तियों को ही नियुक्त करें। बल्कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि किसी भी सरकारी एक्सपर्ट की सर्विसेज़ को सरकार से मांग ले और जब तक वह सर्विस वहां करता रहे उस समय तक के लिये सरकार उसको रिलीव कर दे। इस तरह से उसकी सर्विसेज़ म्युनिसिपल

(श्री भैरोंसिंह)

बोर्ड के काम के लिये और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के काम के लिये काम में आयेगी और जिस समय उसकी सर्विसेज़ की आवश्यकता नहीं होगी वह गवर्नमेंट को वापिस भेज दिया जायेगा। ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइज़ लेना चाहे तो सरकारी अधिकारियों को फिर को-आप्ट किया जायेगा। हां, आप एक उसमें राइडिंग क्लॉज़ रख सकते हैं कि वह सरकारी अधिकारी अपनी टैक्निकल ओपीनियन तो दे सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। जितने भी उसके टैक्निकल फंक्शन्स हों वह तो वह कर दे लेकिन वोटिंग का अधिकार आप उसका छीन लें तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की ओर से उसका नोमीनेशन हो गया। उसका नोमीनेशन हो जाये, इसका ख्याल नहीं है पर टैक्किलन एडवाइज़ मिल गई। हमें पर्सन से कोई झगड़ा नहीं है केवल टैक्निकल एडवाइज़ लेनी है वह किसी भी रूप में आये। तो बिना वोट देने का अधिकार देकर यदि टैक्निकल एडवाइज़ मिल सकती है तो डेमोक्रेसी के लिए यह बहुत सुन्दर मार्ग होगा कि इस तरह के मार्ग को अपनाया जाये। लेकिन सरकार इस मार्ग से परे जाकर टैक्निकल एक्सपर्ट का भी सरकार अपॉइन्टमेंट करेगी। (डी) के अन्दर जिन दो व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी उसका धारा (एक) में प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारी का नोमीनेशन किया जायेगा। यह इसलिए नोमीनेटेड होगा कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी के पद पर काम करे। यदि मैं गलत कहता हूं कि माननीय उप-मंत्री महोदय मुझे अभी दुरुस्त कर दें....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर सेक्रेटरी कौन होगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके अन्दर अलग प्रोविज़न रखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोविज़न आप देख लें, उसका मतलब सरकारी अधिकारी से ही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : अब दो बोर्ड के सदस्य होंगे और जिस तरह से माननीय उप-मंत्री जी ने बताया कि उसके लिए अलग प्रोविज़न रखा है तो सेक्रेटरी सरकारी ऑफिसर रहेगा तो इस तरह से बजाय दो के तीन मेम्बर घुस आयेंगे, एक सेक्रेटरी और दो मेम्बर और जो पहले से पहुँचेंगे वह तो पहुँचेंगे ही। इस तरह से बोर्ड में सरकार की मर्जी के लोगों का आधिपत्य हो जायेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ इलस्ट्रेशन्स इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस अर्बन इम्प्रूवमेंट का जो अब तक गठन किया हुआ था उसमें प्लॉट्स के बारे में किस तरह की अनियमिततायें की हैं। मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा। मैं केवल तारीखें ही बताऊंगा इसलिए कि उन तारीखों के द्वारा सदन को और माननीय उप-मंत्री जी को और खास तौर से माननीय मंत्री महोदय को इस बात

(श्री भैरोंसिंह)

की जानकारी दूंगा कि आपने कई बार इस सदन में यह कहा है कि सन् ५५ के अन्दर जिनकी दर्ख्वास्तें पेश की गई थीं वह कोई भी नहीं बची हैं जिसको प्लॉट नहीं दिया हो। सन् ५६ में कोई दर्ख्वास्त नहीं बची है और सन् ५७ की दर्ख्वास्तों में भी लोगों को प्लॉट्स दिये हैं। मैं कल ही एक लिस्ट लेकर आया हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि वह थर्ड रीडिंग पर कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा।

श्री भैरोंसिंह : हर रीडिंग में ही उपयुक्त होता है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि जब यह क्लॉज़ ही पास हो जायेगा तो फिर थर्ड रीडिंग पर इसको कहना महत्व नहीं रखता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह प्रश्न कई बार सदन के सामने आ चुका है और मैं इसका जवाब भी पहले दे चुका हूं। और यह प्रश्न तीन बार हाउस के सामने आ चुका है। मैं माननीय सदस्य से कहूँ कि किसी चीज़ के बारबार रिपिटीशन से उसका फोर्स कम हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : फोर्स कम हो या नहीं, I look to the relevancy of the debate only.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात को समझता हूं कि बार बार कहने से फोर्स कम हो जाता है। मैं भी यह कोशिश करता हूं कि एक बार कह दिया जाये और सरकार उसको मान ले और जो सरकार बार बार कहने से भी नहीं मानती तो हितकर ही यह रहता है कि हम बार बार कहें और यही आखिरी हथियार हमारे पास है ताकि उनको बुद्धि आ जाये। मैं स्वयं किसी चीज़ का कभी रिपिटीशन नहीं चाहता और न सुनना चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप जितनी भी बहस करते हैं आप रेकॉर्ड देख लीजिए। There is always repetition. Not once but 10 times, 20 times. आपकी जनरल डिबेट होगी। बजट पर होगी या राष्ट्रपति का भाषण होगा या किसी क्लाज़ पर बोलेंगे आप एक ही बात हमेशा कहते हैं वह इर्रेलेवेन्ट होता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं वह लिस्ट पेश करता हूं। मंत्रीजी कुछ एक्शन लेना चाहें तो मैं अभी लिस्ट उनको देता हूं। उनको यह भी जानकारी देता हूं कि सन् १६५५, ५६, ५७ और ५८ में कितनी एप्लीकेशन्स को सुपरसीड की जाकर ३ महीने के अन्दर सरकारी अधिकारियों को ज़मीन का अलॉटमेंट किया गया है। जिनकी एप्लीकेशन्स पहले नहीं थी उनकी एप्लीकेशन्स ली गई हैं और एप्लीकेशन्स को लेकर रजिस्टर के अन्दर बीच बीच में एन्ट्री की गई है और कइयों की तो एन्ट्री तक नहीं हुई है। अतः मैं बता रहा था कि इस लिस्ट में सन् ५२ के व्यक्तियों का ज़मीन देने का संकेत है....

श्री उपाध्यक्ष : यह ऐसा प्रश्न है कि माननीय सदस्य स्वयं मंत्री महोदय से मिलकर उनसे सम्पर्क रख सकते हैं ताकि सदन का समय व्यय न हो तो अच्छा है।

Page No.76

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि सदन का समय लूं और मंत्री जी चाहे सदन में इन्कार करते हैं पर मन में यह जानते हैं कि अनियमितताएँ हुई हैं और उन्होंने उसका प्रकटीकरण भी किया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका विशेष गुण है कि आप उनकी मन की बात भी जान लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मन की बात नहीं है। उन्होंने अपनी मन की बात का प्रकटीकरण किया है और इस आशय से कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अधिकार छीन लिये जायें क्योंकि वह नियमों के आधार पर जमीन का अलॉटमेंट नहीं करता। तो मैं कह रहा था कि वह तो सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनियमितताएँ हुई हैं। लेकिन भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो इसको स्वीकार कर लें लेकिन जहां जिन्होंने गलतियां की हैं उनको दण्ड दिया जाये इसको स्वीकार नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बार बार कहना पड़ता है कि जिन लोगों को गलत तरीके पर प्लॉट्स मिले हैं बाकी के लोगों की एप्लीकेशन्स इसलिए बरखास्त कर दीं कि यह एरिया डाइरेक्टोरेट की बिल्डिंग के लिए रिज़र्व है और उसी एरिया के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : I now feel myself within the purview of my rights to refuse this part of irrelevancy so far as the debate is concerned.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का तो पालन करूंगा, इसके अलावा कतई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण यदि आप चाहें तो उदयपुर नगरपालिका का यदि प्रस्तुत कर दूं तो आपको आपत्ति नहीं होगी।

(हंसी)

सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं कि एक जगह सरकारी अधिकारी प्रिविलेज्ड रेट्स के आधार पर प्लाट्स ले सकते हैं। उन रेट्स पर यदि कोई जयपुर में प्लॉट लेना चाहे, उदयपुर में प्लॉट लेना चाहे, या बीकानेर में प्लॉट लेना चाहे, यदि कहीं भी वह प्लॉट लेता है प्रिविलेज्ड रेट्स के आधार पर तो केवल एक जगह ले सकता है। मैं समझता हूँ कि फिर मैं नाम लूंगा तो आपको आपत्ति होगी कि जिन अधिकारियों का नाम बताना चाहता हूँ वे मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने उदयपुर में प्लॉट ले रखा है और यहां पर भी प्रिविलेज्ड रेट्स पर प्लॉट ले रखा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो पंचवटी स्थान है उस पंचवटी के स्थान पर सरकारी अधिकारियों की इमारतें बनी हुई हैं, और उन्हीं अधिकारियों की इमारतें यहां सी स्कीम में और सैक्रेटेरियेट के पीछे बन रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know the name of the officer concerned.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह अधिकारी यहां पर हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : If at all you choose to clarify the position, you have the option.

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि पोज़ीशन क्लिअर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के नाम बताने के लिए मज़बूर होना पड़ता है कि कुछ अधिकारियों के नाम बताऊं । पर मैं समझता हूँ और उपाध्यक्ष महोदय, भी जानते होंगे कि पंचवटी स्थान है तो पंचवटी के दाहिने तरफ सिनेमा से आते हुए दाहिनी तरफ की ओर...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचवटी तो वह जगह है जहां भगवान रामचन्द्रजी रहे थे बनवास के दिनों में।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करूंगा कि उनकी जो धारणा है वह जहां तक उस स्थान का सम्बन्ध वह माननीय सदस्य की धारणा गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : उस स्थान पर पंचवटी और सिनेमा के बीच में जो रोड है उसके दाहनी तरफ बंगला बना हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : उस क्षेत्र में विभिन्न हैं। आप आगे बढ़िये ।

श्री भैरोंसिंह : पंचवटी वृक्षों की डालियों से छाई हुई पुराने ज़माने में होती थी। आज की पंचवटी पेलेशियल टाइप की पंचवटी बनती हैं । इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं सरकार से खास तौर से कि माननीय मंत्रीजी जांच करें. उदयपुर के कुछ सरकारी अधिकारियों के बारे में । उनके नाम यदि सदन में चाहे तो सदन में दे सकता हूं और यदि अकेले में चाहें तो अकेले में दे सकता हूं। नाम इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने दूसरे स्थानों पर भी प्लॉट्स ले रखे हैं । उन्होंने जयपुर नगर विकास मंडल से अपने नाम अलॉट करवा रखे है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां तक इस विवाद का, इस तमाम विवाद के अंश से सम्बन्ध होता, वह नहीं हैं । यह मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आप प्लॉट्स के वितरण के सम्बन्ध में बहस नहीं करने लग जांय । उसके अतिरिक्त जो सामान्य सिद्धान्त हैं कि बाहर के व्यक्तियों को नामांकित नहीं किये जायं, उसका माननीय सदस्य पालन करेंगें ।

श्री भैरोंसिंह : उसके बारे में काफी सवाल हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

अब प्रश्न इसमें आता है ।

"(3) The members of the Municipal Board referred to in clause (c) of sub-section (1) shall be elected by the said Board." यह एक इस प्रकार का प्रश्न है कि यदि इसी रूप से हम इस क्लॉज़ को रखते हैं तो उसके ऐसे कई कॉन्सीक्वेन्सेज़ हो सकते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसका इलेक्शन होता है । वह इलेक्शन इस दृष्टि से नहीं होता है कि कौन आदमी किसी बात के लिए उपयुक्त है, बल्कि बहुमत के आधार पर होता है कि कौन आदमी कितने वोट प्राप्त कर सकता है। वह आदमी चुनकर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का सदस्य होगा । वह आदमी अगर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का सदस्य होता है

(श्री भैरोंसिंह)

तो शायद ऐसा भी सदस्य हो सकता है कि जिस एरिया से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हो। यदि इसमें खास तौर से इस बात को रखा जाता है अथवा उस कानून में इस बात को लाया जायगा जो कानून लागू हो आता है तो वह चाहे २ हों चाहे ३ हों, चाहे ४ हों, इस बात की कमी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सब मम्बर्स उस बोर्ड के सदस्य बनने चाहिएं। यदि वे सदस्य बनते हैं तो वह अपने अपने क्षेत्र के लिए विकास सम्बन्धी कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में अपनी ओपीनियन दे सकते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह फण्डामेन्टल क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है इलेक्शन की थ्योरी से सम्बन्धित होकर। इलेक्शन के अन्दर एक पार्टी का कोई विशेष प्रोग्राम होता है, और पार्टी का विशेष प्रोग्राम होता है शहर के डवेलपमेंट के दृष्टिकोण को लेकर। शहर के डेवेलपमेंट के दृष्टिकोण को लेकर एक पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया कि इतने क्षेत्र के अन्दर हम इस प्रकार से डवेलपमेंट करेंगे। अगर नगरपालिका ने उस डवेलपमेंट की थ्योरी को स्वीकार कर लिया और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड उस प्रकार के डवेलपमेंट को करना नहीं चाहे तो एक व्यक्ति ने पब्लिक के सामने जो कमिटमेंट किया है, और कमिटमेंट वाज़िब है, जिसके वाज़िब होने का सुबूत नगरपालिका के द्वारा उसकी स्वीकृति है, उसके होने के बावजूद भी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो एक व्यक्ति ने इलेक्टोरेट के सामने एक पब्लिक कमिटमेंट होता है उस कमिटमेंट के अगेन्स्ट में पब्लिक के सामने खड़ा रहने के लिए मज़बूर होना पड़ता है। इससे उस सदस्य के अन्दर जो इलेक्टोरेट्स हैं जिनसे चुनवाकर वह आता है उनकी उसके प्रति एक श्रद्धा होती है वह श्रद्धा नहीं रहती है, जिस श्रद्धा का निर्माण करने का प्रयत्न उस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जो चुने हुए सदस्य वहां जायं उनमें उनका विश्वास रहे और उस विश्वास के सम्पादन के लिए सही प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करें, और उस व्यवस्था के आधार पर इस प्रकार से लोगों को मार्ग दर्शन दें जिसमें किसी प्रकार की कोई कोताई नहीं हो सके। लेकिन हमने यह व्यवस्था कर दी कि दो व्यक्ति चुने जायेंगे। नगरपालिका चुनकर भेजेगी। तो वह व्यक्ति उसके सदस्य नहीं होंगे जो उस क्षेत्र के है बल्कि कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता हैं। तो इन सब को एडजस्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

अब प्रश्न यह आता है कि मैंने जो बातें सदन में रखी हैं उनकी लाइट के अन्दर इस प्रस्तावित कानून के अन्दर जो प्रावधान किया है वह मेल खाता है या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो इलेक्टोरेट होंगें उनका गठन होगा और दूसरी तरफ सरकार का बिल्कुल नोमीनेटेड गठन। तो मैं समझता हूँ कि इस नोमीनेशन की प्रथा को समाप्त करने के लिए, इस नोमीनेशन की प्रणाली को समाप्त करने के लिए केवल इस बात की आड़ नहीं ले सकते हैं कि उसमें टैकिनकल एक्सपटर्स नहीं हो सकेगें। हम इस बात की आड़ नहीं ले सकते कि लोग इसमें ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। हम इस बात को लेकर आड़ नहीं ले सकते

(श्री भैरोंसिंह)

कि लोगों को प्लान करने का तजुर्बा नहीं होता है। इसके लिए इन सब चीजों को छोड़कर जितने इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव हैं उनको आगे तरज़ीह देने के लिए, इस बात का अधिकार देने के लिए एक शहर में से इज़ीली रेस्पोंन्सिबल आदमी मिल सकते हैं। उसमें बहुत सा संघर्ष होता है उसको समाप्त करने लिए, इलेक्टोरेट से कमिटमेंट हुआ है उसको पूरा करने की सुविधा देने के लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का यदि गठन करते हैं इस प्रकार का कानून बनाते हैं तो कानून के अन्दर नगरपालिका के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा गठन किया जाता है तो इस प्रकार के बोर्ड के गठन किये जाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वह दूर हों। सरकारी अधिकारियों का आवश्यकता के अनुसार सहयोग लियां जा सकता है। उस सहयोग में आपके में मुझे किसी प्रकार से मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इन सब बातें को इसीलिये सामने रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपैलिटीज़ ने जितनी ज़मीन अलॉट की है उसके बारे में तो कोई शिकायत नहीं है आपको ? अभी तक जो इलेक्टेड बोर्ड्स हैं उनके संबंध में राजस्थान भर में कोई शिकायत नहीं है कि उन्हें यह दिलाना चाहते हैं।

श्रीभैरोंसिंह : शिकायत है। मैं अब भी कहता हूँ कि शिकायत है। मुझे तो आपसे भी शिकायत है कि मैंने शिकायत की है और आपने एक्शन नहीं लिया है। मुझे तो यहभी शिकायत है, लेकिन यह सवाल नहीं है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको आप दिलाना चाहते हैं...

श्री भैरोंसिंह : सवाल है प्रन्सिपल का। आज आप यह कहते हैं कि एम०एल०एज० गलती करते हैं तो क्या असेम्बली भंग कर दी और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर एपॉइन्ट किया जाय, तो क्या आप इस चीजों को स्वीकार कर लेंगे। मैं समझता हुं कि आप नहीं करने वाले हैं। उस स्थिति में यह डेमोक्रेसी नहीं होगी। अगर आपको उसको पनपाना है तो फिर आप नहीं कह सकते हैं कि वे सब नाकाबिल होंगे और नाकाबिल होने के नाते किसी प्रकार का वर्क नहीं करते हैं। वे ही लोग पंचायतों में पंच, सरपंच और मौका लग गया तो असेम्बली के मेम्बर बनते हैं और पार्लियामेंट के अन्दर भी बनते हैं, लेकिन बुद्धि तो वह की वह है। बुद्धि का विकास ज़रूर थोड़ा बहुत होता है। तो विकास के लिए चुने हुए लोगों को काम करना चाहिए तो उनको काम करने की छूट देना पड़ेगी छुट के द्वारा वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सकें यह सरकार की व्यवस्था का प्रश्न हैं। सरकार को व्यवस्था इस प्रकार की करनी चाहिये कि नगरपालिकाओं में जो अनियमितताएं प्लॉट्स के बेचने में हुई हैं वह नहीं हो सकें। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इलेक्टेड पर्सोनरल को प्रिफरेन्स दिया जाय और नोमीनेटेड पर्सोनल्स जो हैं उन्हें किसी प्रकार से इन कामों के अन्दर खास तौर से अधिकारियों को इसमें किसी प्रकार का प्रिफरेन्स नहीं दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस धारा के अन्दर जो सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्तावित की है उस धारा में इस प्रकार से नोमीनेटेड मेम्बर्स को रखा गया है तो नोमीनेटेड मेम्बर्स केवल सरकारी अधिकारी होंगे

(श्री भैरोंसिंह)

वे सरकार की कठपुतली होकर एक इलेक्टेड बोडी के ऊपर सुपरफिशियल बनेंगे और सारे काम का सफाया करने वाली इस प्रकार की बोडी होगी। तो मैं इसका विरोध करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इसका डटकर विरोध करें। अगर यह क्लॉज़ इसी रूप में पास हो गई तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों के लिए, इलेक्टेड मेम्बर्स के अधिकारों के लिये ठीक नहीं होगा और इलेक्टेड बोडी की इज्जत कम कर देगा। जनता के ऊपर डयूअल टैक्सेशन का अधिकार इसमें पैदा कर दिया है तो कभी भी सरकार मौका पाकर टैक्सेज़ इम्पोज़ कर देगी और जनता विरोध करती ही रहेगी।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह क्लॉज़ ४ है जिसमें बोर्ड या ट्रस्ट शब्द है, उसके गठन का जहां तक प्रश्न है, मैं इस सिद्धान्त के खिलाफ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो पार्टी रात दिन जनता को प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्र में विश्वास रखो इस प्रकार का पाठ पढ़ाती है, वह पार्टी कभी कभी अपने हाथ से ऐसे कार्य करती है जिनको हम पूर्णत: अप्रजातान्त्रिक कह सकते हैं। ऐसे लगता है कि ये सारे के सारे पाठ पढ़ाना केवल विरोधी पार्टी के सदस्यों के लिए या जनता के लिये है, आपके खुद के लिये नहीं। यदि आपको जनतन्त्र के अन्दर कोई काम पूरा कराना है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें मेरी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित धारणा है कि आपको जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। यदि आप जनता का सहयोग नहीं लेते हैं तो प्रजातन्त्रिक प्रणाली में काम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का ही अधिकार हो उस वख्त यह ठीक हो सकता है, डन्डे के ज़ोर से वह काम करवा सकता है। प्रजातन्त्र प्रणाली में डन्डे के ज़ोर से काम नहीं करवा सकते। यह प्रजातन्त्र का दोष है। एक ही व्यक्ति के अधिकार की प्रणाली से आप जनता से किसी भी प्रकार का काम ले सकते हैं लेकिन प्रजातन्त्रिक प्रणाली में एक कलेक्टर या एक अधिकारी जो ऊपर थोपा हुआ है वह जनता से उतना काम या सहयोग नहीं प्राप्त कर सकता जितना एक जनता का प्रतिनिधि ले सकता है। ऐसी मेरी मान्यता है। इस सिद्धान्त के अनुसार जो भी सरकार चलेगी वह एक तरह से प्रजातन्त्र का गला घोटेगी और दूसरी ओर सफल नहीं हो सकती जब तक कि जनता का सहयोग नहीं लेंगे।

आपने जो बिल पेश किया है उसमें यह प्रावधान किया है कि हम टैक्स लगायेंगे। आप जनता पर टैक्स लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मास्टर प्लान बनाना चाहते हैं, नयी नयी सिटीज़ बनाना चाहते हैं प्रोग्रेस करना चाहते हैं और साथ में यह कहते है कि हम एक अधिकारी नियुक्त करेंगे वह जैसा चाहेगा या जैसा प्लान देगा उस तरह से रुपये खर्च करेंगे और जनता की राय नहीं ली जायगी। मैं कहता हूं कि यह किसी प्रकार से प्रजातन्त्रिक नहीं कहा जा सकता। इसकी जितनी भी आलोचना की जाय उतनी थोड़ी है। मैं समझता हूं सदन को पॉवर्स नहीं देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, उप मन्त्री महोदय ने कहा कि मास्टर प्लान की स्कीम मुश्किल है, आप लोग उसको जितनी आसान समझते हैं उतनी आसान नहीं है बल्कि काफी मुश्किल

(श्री गिरधारीलाल)

है । मैं समझता हूं एक मुश्किल काम को करने के लिये काफी सबल व्यक्ति होना चाहिये न कि ऐरा गैरा...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मास्टर प्लान दूसरी चीज़ है और बोर्ड का गठन दूसरी चीज़ है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ पर बोलें और मुझे रास्ता बतावें तो ज्यादा अच्छी चीज़ होगी ।

श्री गिरधारीलाल : मास्टर प्लान बनायेगा कौन ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बोर्ड नहीं बनावेगा, डिपार्टमेंट बनावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Master in subject. You will please continue.

श्री गिरधारीलाल : मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम करने के लिये और उसको पूरा करने के लिये हमें जो ट्रस्ट का गठन करना है वह इस तरह से करना चाहिये जिससे हम काम को उचित तरीके से कर सकें और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग ले सकें और जो आज तक भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न संस्थाओं से सरकार नोमिनेशन करती आई है, माननीय सदस्यों ने उसके लिये काफी शिकायत की है । चाहे रामजी काक का मामला हो चाहे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को ले लीजिये सब में जनता यह महसूस करती है कि सरकार की तरफ से पक्षपात होता है, मनमाने व्यक्ति को नोमिनेट कर देती है चाहे उनकी पार्टी का व्यक्ति हो चाहे और प्रकार का व्यक्ति हो उनको नोमीनेट कर देते हैं । मैं नोमीनेशन की प्रणाली के खिलाफ हूं । जैसा कि हमने अभी म्युनिसिपल बिल पास किया है उससे नोमीनेशन प्रणाली के खिलाफ सारे सदन ने राय दी थी । मैं उस चेप्टर को इससे बहुत छोटी चीज़ मानता हूँ । इतनी बड़ी चीज़ में आप सोचते हैं कि २ के अलावा बाकी सब लोगों को नोमीनेट करेंगे । आप समझते हैं कि नोमनेटेड ५ आदमी अच्छी तरह से काम चला सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं वे उचित तरीके से काम नहीं चला सकते ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने वक्तव्य में कहा कि आज तक जो नोमिनेशन की प्रणाली रही है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और उन्होंने यह बताने की कोशिश की सदन के सामने कि सरकार को चाहिये कि वह अपने हाथ में पॉवर्स नहीं ले जिसके कारण सरकार को बदनाम होने का मौका मिले और लोग उसे ज्यादा बदनाम करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ आप का जो ट्रस्ट है उसमें यदि आप किसी व्यक्ति को नोमिनेट करेंगे एज चेयरमैन, आपने इसमें सबसे बड़ी कमी यह रखी है कि इसकी योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होगी ? वह किसी का व्यक्ति होगा और कहां का होगा, इस प्रकार का कोई प्रावधान प्रकार नहीं रखा है । इतनी बड़ी स्कीम को चलाने के लिये एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिये । यदि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनना नहीं चाहते हैं तो इतना तो आप करिये कि उसके क्वालिफिकेशन इस तरह के होंगे और इस तरह के आदमी को चैयरमैन नियुक्त करेंगें ।

इसके साथ ही एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें जो प्लॉट देने में ज़मीन देने या और प्रकार की स्कीम को सफल बनाने

(श्री गिरधारीलाल)

में भ्रष्टाचार फैलेगा वह तो फैलेगा ही लेकिन और प्रकार का भ्रष्टाचार भी फैल सकता है क्योंकि जिन व्यक्तियों को आप नियुक्त करेंगे वे जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे और वे अपने ऊपर ऑफिसर मानेंगे सरकार को न कि जनता को क्योंकि सरकार ही किसी व्यक्ति को चार पांच साल के लिये नियुक्त कर सकती है। यह चीज़ प्रजातन्त्र का गला घोंटनेवाली है।

आज देश में आवश्यकता इस बात की है कि देश नौकरशाही के शिकंजे में जकड़ा हुआ है उससे उसे छुड़ाया जाय और प्रजा-तान्त्रिक संस्थाओं के हाथ में ज्यादा पॉवर्स दी जांय। चाहे वे पंचायत्स हों, चाहे म्युनि-सिपेलिटीज हों या और कोई बोडिज़ हों, या और किसी चीज़ को ले लीजिये सबसे बड़ा खतरा नौकरशाही से है। आप नौकरशाही को पनाह देना चाहते हैं तो इस प्रकार के बड़े बिल को रख कर सदन का टाइम समाप्त करने की क्या आवश्यकता थी एक इन्जी-नियर रखते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह बनाते और प्लान और स्कीम को बनाने का ध्यान रखते। मैं समझता हूं इस पर सदन ध्यान देगा। सरकार पॉवर लेना चाहती है मैं उसको अनुपयुक्त मानता हूँ। इस प्रकार के पॉवर्स का दुरुपयोग किया है अब तक और आगे भी करेंगे ऐसा मेरा मत है।

एक माननीय सदस्य : No Quorum. There is no quorum Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I think it is present.

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप-मंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के बारे में विचार चल रहा है और इसके बारे में यह दुहाई दी गई कि नोमीनेशन का तरीका सरकार अपनाकर जनतन्त्र का गला घोंट रही है। जनतन्त्र की परिभाषा माननीय सदस्यों ने बहुत संकुचित रखी है। आप चुनाव से जनन्त्र की शुरुआत और आखिर मानते हैं लेकिन चुनाव से ही जन-तंत्र की शुरुआत और आखिर नहीं हो जाती है। चुनाव प्रणाली के और भी हिस्से हैं। हाईकोर्ट, पी. एस. सी. भी इसके हिस्से हैं जो कमेटियां बनती हैं वे भी इसके हिस्से हैं, युनिवर्सिटी, प्रेस आदि बहुतसी ऐसी चीजें हैं जो जनतन्त्र तक अंग हैं। चुने हुए लोगों और चुनाव प्रणाली तक ही जनतन्त्र की शुरुआत और आखिर है यह गलत बात है।

१२ मध्यान्ह

तो यह बिल्कुल गलत चीज़ होगी। श्रीमाधो-पुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी लम्बा चौड़ा भाषण दिया और वे हमेशा भाषण देते हैं उसमें वे करप्सन, फेवरिटिज्म की बातें कहा करते हैं, चाहे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल हो, चाहे टिनेन्सी का बिल हो, चाहे बहस किसी दूसरे मामले में चल रही हो, इनका भाषण एक बात पर ही चलता है और वह भाषण इसलिए नहीं होता है कि जिससे संशोधन को समझा जा सके या जिसमें से कोई रास्ता निकल सके, वे भाषण इसलिए दिये जाते हैं कि जनता उनको सुने। मैं उनकी और उनकी पार्टी की इस भावना का आदर करता हूं और बधाई देता हूँ कि इसमें उन्हें काफी सफलता मिली है। उनके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे कानून के सम्बन्ध में ध्यान देकर कुछ सुझाव देते

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और किस प्रकार बोर्ड का गठन करना चाहिए। इस तरह से बोर्ड का गठन करने के बाद किसी को करप्शन की शिकायत नहीं रहेगी, तो मैं निश्चित रूप से उस सुझाव को मानने के लिए तैयार हूं···

श्री भैरोंसिंह : आप केबीनेट में करप्शन दूर कीजिये, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन दूर हो जायगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप एक विशेष सर्किल की बात कहते हैं कि इधर हो जाता है तो उधर हो जायगा। जब इलेक्ट्रिकसिटी की चीज़ चल रही थी, उस समय उसमें करप्शन आपको मालूम होता था, जब म्युनिसिपल बिल चल रहा था, उस समय करप्शन उसमें मालूम होता था, अब अर्बन इम्प्रूवमेन्ट में नोमीनेटेड मेम्बर्स का सवाल है तो आप समझते हैं यहां करप्शन चलेगा आपका ख्याल एक है, मसला कोई भी हो विचार के लिए। इसलिए मुझे दुःख हुआ। उन्होंने इस क्लॉज़ के बारे में राय नहीं दी, वे कोई रास्ता बता देवें जिससे उनको या उनकी पार्टी को करप्शन की शिकायत नहीं होगी, करप्शन होगा ही नहीं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं····

श्री भैरोंसिंह : आपको इन्टरफियरेन्स बिल्कुल न हो और उसे इन्डीपिडेन्टली काम करने दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि आज कल के मुकाबले में काफी करप्शन कम होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनतन्त्रवाद है, आज हम है तो कल आप हो सकते हैं, उस वक्त के लिए गारन्टी दे दें तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं इस तरह का पॉवर्स दे देंगे, जिससे किसी को कुछ कहने का मौका नहीं रहेगा। लेकिन जनतन्त्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती, देश में इस तरह का स्वराज्य नहीं बन सकता जिस पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लग सकें। इस भावना को लेकर सबको बोलने का अधिकर दिया है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी भी मनुष्य की बनाई हुई सस्थायें हैं, उनमें कोई न कोई कमियां रहती हैं। इस भावना को लेकर, इस विचार से, इस मन्शा से रखा है कि जो भी कमियां हैं उनकी और ध्यान आकर्षित किया जाय। यहां पर जो बात हैं, उसके बारे में आप सुझाव देते कि यह नहीं करके यह करो, यह अच्छी चीज़ होगी तो उसको मैं ज़रूर मानता मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नही हूं कि सबमें किसी न किसी तरह की कमी है, इसलिए चाहे भाखरा डेम की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकसिटी का बात हो, चाहे ऑपरेशन की बात हो, चाहे शफाखाने की बात हो, सबमें इलेक्टेड मेम्बर हों तो काम अच्छा कर सकते हैं। मैं यह नहीं मानता, मैंने निवेदन किया था कि कोई कमी होती है तो वह इलेक्टेड बोर्ड अच्छी तरह दूर कर सकता है या कोई कमी होती है तो वह नोमीनेटेड बोर्ड हो कर सकता है, यह नहीं मानता। अलग अलग पॉवर्स होती हैं, अपनी अपनी कार्य क्षमता है, उसी के अनुसार कार्य हो सकता है। अब माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया है, उसके बारे में कुछ बातें कहूंगा। पहला अमेंडमेंट है कि जो बोर्ड का इन्चार्ज हो, उसको तीन साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स हो, या सिविल इन्जीनियरिंग के वर्क को

Page No.84

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

एक्ज़ीक्यूट करने का एक्सपीरियेन्स हो। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परिस्थिति से आप और हम सब वाकिफ हैं। राजस्थान में कई छोटी म्युनिसिपेलिटी हैं, नापासर, रामगंज मंडी हैं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या राजस्थान में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सारी म्युनिसिपैलिटी एरिया में बनायेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां। जहां कहीं ठीक समझेंगे, वहां बनाये जा सकते हैं। यह मान कर चल सकते हैं कि जितने म्युनिसिपैलिटी एरिया हैं वहां अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाये जा सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Are you going to make Improvement Trusts for Napasar, Sangeri mandi or Dhanmandi etc.?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Yes. We think it is necessary and we shall constitute Boards ..जब कानून बनता है तो एक दो साल के लिए नहीं बनता है। सब चीजों को देख कर हमने बहुत गौर किया, हमारे बोर्ड किस तरह से होने चाहिए, यह सब सोच विचारने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि इन परिस्थितियों में अच्छे अच्छे बोर्ड का गठन हो सकता है तो जो प्रावधान हमने दिये हैं, उनके आधार पर हो सकता है। आपने तीन साल के एक्सपीरियेन्स की बात कही। मैं निवेदन करूं कि छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनमें न एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर मिल सकते हैं, न सिविल इन्जीनियर मिल सकते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव हैड मिल सकता है। फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स की बात कही, यह ऐसी चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स किसको मानें। इस अमेंडमेंट के साथ यह क्लेरीफिकेशन देना चाहिए। अब यह मुमकिन नहीं है कि तीन साल का

१२. ५ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन)

एक्सपीरियेन्स वाला व्यक्ति ले सकें। मैं तो यह कहूंगा कि जहां बोर्ड का गठन करना चाहते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा।

दूसरा अमेंडमेंट है कि दो की जगह म्युनिसिपेलिटी के तीन सदस्य होने चाहिए। एक बोर्ड में, जिसमें पांच से लेकर सात मेम्बर होंगे, उसमें हमने दो म्युनिसिपैलिटी के सदस्य रखे हैं। दो सदस्यों को रखने के पीछे भावना यह थी कि म्युनिसिपल का पॉइन्ट ऑफ व्यू बोर्ड के सामने आ जाना चाहिए, यह काम दो सदस्य कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, तीन से ज्यादा और ज्यादा कर सकते हैं तो पूरा बोर्ड म्युनिसिपेलिटी का बना दें। इसलिए जो बोर्ड पांच से लेकर सात सदस्यों के हैं, उनके लिए दो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर के लिए प्रावधान रख दिया है, वे म्युनिसिपल बोर्ड का पॉइन्ट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इसके साथ अलग एडीशनल वेटेज़ दे कर, तीन सदस्य कर देते हैं, चार कर देते है तो किसी मामले पर म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों को इत्तफाक न हुआ तो वह वीटो कर देगा और यह बोर्ड डिफन्क्ट हो जायगा। यह बात अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए म्युनिसिपैलिटी का जो पाइन्ट ऑफ व्यू है, उसको दो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सदस्य अच्छी तरह से रिप्रजेन्ट कर सकते हैं बोर्ड के सामने ।

इसके बाद तीसरा अमेंडमेंट है कि अगर म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट जो तारीख मुकर्रर करे, उसके ऊपर अपने दो सदस्य इलेक्ट करके नहीं भेजे तो राज्य सरकार दो सदस्यों को नियुक्त कर सकेंगी । आपने यह अमेंडमेंट पेश किया है 'Provided that the State Government shall before making any such appointment, obtain in writing from the Municipal Board concerned its refusal or inability to do so'. सभापति महोदय, राज्य सरकार ने एक तारीख दे दी, उस तारीख तक भेजने का उनका कर्तव्य है । उसके बाद न आये. तो उनका रिफ्यूजल मंगवायें रिफ्यूजल टाइम पर आये या नहीं आये तो जब आपने इतने बड़े बड़े काम विश्वास करके सरकार के ऊपर रख दिये हैं, सरकार में जनता विश्वास करके चलती है, तो क्या सरकार पर इस छोटी सी बात के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता । जो तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उस तारीख पर अगर म्युनिसिपल बोर्ड सदस्यों को चुन कर के नहीं भेजे तो उस हालत में सरकार दो सदस्यों को नियुक्त कर देगी, फिर भी म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स में से करेगी नोमीनेट । तो इसका मिसयूज होने की गुंजाइश नहीं है । लेकिन इस तरह से कानून में बांधना, पग पग पर कानून में बांधना, एक अच्छा कानून बनाने वालों की बात नहीं होती है । कानून में एक लिमिटेशन डाल देनी चाहिए, जिसके परे नहीं जा सके । लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कदम के ऊपर, पग पग पर उसको बांध दिया जाय, यह अच्छी परम्परा नहीं है ।

इसके बाद यह अमेंडमेंट है: 'All those member of the Municipal Board having authority in the urban areas elected from the area which has been declared as a City Improvement Area by the State Government, by notification in the official gazette.' इसका मतलब यह है कि इम्प्रूवमेंट एरिया के अन्दर से सदस्य आवें और जितने सदस्य होंगे म्यूनिसिपैलिटी के वे अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया के होंगे, तो यह नतीजा होगा कि म्युनिसिपैलिटी के वार्ड किस तरह के बने हुए हैं और अर्बन इम्प्रूवमेंट के किस तरह के बने हुए हैं, अब इस संशोधन को मान लें तो यह अर्थ होगा कि एक खराब बस्ती है, उसका मेम्बर इलेक्शन लड़ कर आये और अच्छी बस्ती है उसका प्रतिनिधि आये, मैं यह समझता हूं कि अच्छी और खराब बस्ती दोनों के प्रतिनिधि एक साथ आयें तो अच्छा काम हो सकता है, अच्छी और खराब बस्ती दोनों के सदस्य आने चाहिए । एक को ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन देना यह मुमकिन नहीं हो सकता । दूसरी बात इस बोर्ड के गठन के पीछे और म्युनिसिपैलिटी के दो सदस्य रखने के पीछे यह है कि बोर्ड का पॉइन्ट ऑफ व्यू सामने आवे । आप मान लीजिये कि बोर्ड में ३० मेम्बर हैं, उनमें से २६ सदस्यों की राय अलग है और एक की राय अलग है, अगर इम्प्रूवमेंट स्कीम बनाते समय म्युनिसिपैलिटी के सदस्य ३० मेम्बरों की तरफ से राय पेश करेंगे । तो बोर्ड को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं तो जिनको चुन कर भेजना चाहिये, वे ऐसे हों जो उनकी राय को रिप्रेजेन्ट कर सकें, न कि ऐसे व्यक्ति जो राय को रिप्रेजेन्ट नहीं करता है और

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी को रिप्रेजेन्ट करता है, वहां उसका व्यक्तिगत रूप से बैठना अच्छी चीज़ नहीं होगी। इसलिए जो अमेंडमेंट है, इसको मंजूर करने में मैं मज़बूर हूं....

इसके बाद में है : 'Two other persons having experience as a medical and health officer and as an executive Engineer B. &. R. respectively सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट को पढ़ कर ऐसा मालूम होता है, जो कानून बनाया जाय वह इस देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनना चाहिये और उसके लिये लागू होना चाहिये, ठीक है अमेरिका इंग्लैंड के लिए करते और छोटी से छोटी कमेटी में एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर और मेडिकल ऑफिसर रखते तो मान लेते पर हमारे यहां यह मानने के लायक नहीं है। एक एक ज़िले में सात २ आठ २ बोर्ड होते हैं और एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर एक है तो फिर कैसे उनको रख सकेंगे। और बहुत से केसेज़ में तो इस तरह अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बन ही नहीं सकेंगे। इसलिए इस अमेंडमेंट को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके बाद है डिलीट सब-क्लॉज़ (३) एन्ड (४)। सब-क्लॉज़ ३ और ४ इसमें चैयरमैन महोदय यह है : In Section 4 (2) and (3)...

(2) The chairman and the persons referred to inclause (d) of sub-Section (1) shall be appointed by the State Government. by notification.

(3) The members of the Municipal Board referred to in clause (c) of sub-sec. tion (1) shall be elected by the said Board...

यह इसका कॉन्सिक्वेन्शियल है इसलिये पहले मैंने अमेंडमेंट के बारे में कहा वही इसके बारे में है। इसके बाद आता है : Insert 'or dissolved' after 'superseded' in sub-Clause (5). Add 'or dissolution' after 'supersession' in sub-.clause (5).

यह बात ठीक है और शायद ओवर साइट से रह गया है इसलिये इस अमेंडमेंट को मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद में संशोधन है क्लॉज़ ६ का : Delete sub-clause (6).

सभापति महोदय, इस गठन में इस बात का ख़्याल रखा गया है कि स्टेट के रिप्रेजेन्टेटिव भी हों, म्युनिसिपैलिटीज के रिप्रेजेन्टेटिव भी इसमें आ जायं ताकि राज्य सरकार भी अपनी राय दे सके, म्युनिसिपल बोर्ड भी अपनी राय दे सके और दो तीन मेम्बर्स अलग रूप से रखें जो एक्सपर्ट्स हों। तो यह आवश्यक है इसलिए यह अमेंडमेंट मंजूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद है : Delete 'or elected' in sub-clause (7) यह शुरू में माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट किया है उसका कॉन्सिक्वेन्शियल है इसको स्वीकार नहीं किया तो इसको भी स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके बाद है राजस्थान विधान सभा के सदस्य जो उस एरिया के हों, उनको भी इस ट्रस्ट का सदस्य बनाया जाय। तो इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि जो उधर के एम. पी. हों उनको भी इसका सदस्य बनाना

Page No.87

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चाहिये। राजस्थान विधान सभा के जो सदस्य हैं उनका सेवा करने का दायरा बहुत विस्तृत है, इसलिये इसमें राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का होना आवश्यक नहीं है।

इसके बाद है :

"Provided that the Chairman shall be a person from R.A.S. Cadre having previous experience of any improvment operation."

इम्प्रूवमेंट ऑपरेशन्स का पांच, छः शहरों का अनुभव हो ऐसा आर०ए०एस० के केडर का अधिकारी रखा जाय, इस तरह का आर०ए०एस० अधिकारी हर जगह मिल जाय यह संभव नहीं है। १९५ म्युनिसिपैलिटीज़ हैं और भाखरा नांगल, राजस्थान केनाल और चम्बल प्रोजेक्ट के कारण इनकी संख्या और बढ़ेगी तो सब जगह आर०ए०एस० और मेडिकल ऑफिसर्स नहीं भेजे जा सकते। और इस तरह अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस का गठन ही नहीं हो सकेगा। आर० ए० एस० अधिकारी पहले से ही अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको समय नहीं मिलता।

इसके बाद धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किए हैं पर उनमें इतनी ही बात कही है कि चेअरमेन....

To be nominated by the State Government.

यह सब साथ में आना चाहिये. २, ३, ४ और ६ क्लॉज ओमिट हो जाने चाहिये।

४ में शुरू में दिया हुआ है :

Constitution of the Trust.

The Trust shall consist of...

कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि किस किस को लिया जायगा, प्रणाली बाद में दी है। अरेंजमेंट का प्रश्न है एक्ट में रख दिया है वह ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उसके। ६ के बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि डिलीट नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन मैंने स्वीकार नहीं किए हैं, उनको वे विथड्रा करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my amendment

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उन्हें वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो संशोधन प्रस्ताव मैंने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ के सब-क्लॉज ५ में माननीय सदस्य श्री दयाकृष्ण विजय ने जो संशोधन रखा है जो इस तरह से है :

Insert 'or dissolved' after 'superseded' in sub-clause (5).

Add 'or dissolution' after 'supersession' in sub-clause (5).

उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि इस संशोधन के अलावा बाकी संशोधन जो श्री दयाकृष्ण विजय ने क्लॉज ४ में रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

क्लॉज ४ में सब-क्लॉज ५ के संशोधन के अलावा और सब संशोधन अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

श्री पी० के० चौधरी ।

क्लॉज ५

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : My amendment is that 'Replace the word 'Trust' by the word 'State Govt.'

सभापति महोदय यह रेजिग्नेशन का प्रोविजन है :

Resignation of Trustee—Any trustee, may at any time resign his office, provided that his resignation shall not take effect until accepted by the Trust.

मैं समझता हूं ट्रस्ट के उस सदस्य का रेजिग्नेशन स्वीकार करना अनोमोलस है । अपॉइन्टमेंट गवर्नमेंट करती है, रिमूवल गवर्नमेंट करती है और यह रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का अधिकार ट्रस्ट को दे दिया जाय, इसको मैं अनोमोलस मानता हूं ।

मान लीजिये एक ट्रस्टी...

He becomes removable under clause 10.

क्लॉज १० में रिमूवेबल होता है, ऐसा ट्रस्टी अपनी रिमूवल से बचने के लिए रेजिग्नेशन देकर बच सकता है । यह ठीक नहीं है ।

It is neither in a good taste nor in a good law also.

मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह अमेंडमेंट मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में जो अमेंडमेंट श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

Page No.89

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६, ७ और ८ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६, ७ और ८ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज ९

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, क्लॉज ९ है वह इस प्रकार का है कि जो ट्रस्टी वगैरह होंगे उनमें सभापति और दूसरे व्यक्ति होंगे उनको सेलेरी और खर्चा दिया जावेगा और इसके सम्बन्ध में सरकार चाहती है कि वह गवर्नमेंट फिक्स करेगी। मेरा संशोधन इस प्रकार से है :

Substitute "proposed by the Trust and approved" for the word 'fixed'.

प्रपोज़ तो ट्रस्टी करें और सरकार उसको मंजूर करें। क्योंकि किसी ट्रस्ट के पास इतना पैसा देने को नहीं होगा जितना स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज़ करेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि प्रपोज़ तो ट्रस्टी करें और सरकार उसको स्वीकार करे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ९ में डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ संशोधित रूप से स्वीकार की जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

क्लॉज १०

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, In Clause 10, my amendment is that 1. Delete the words 'other than an ex-officio Trustee' 2. Part e—Delete the words 'clause (e)', 3. Sub-clause (2), Delete parts (b) and (e), 4. Sub clause 4-Add the following words at the end : 'and communicated to him in writing,'

सभापति महोदय, क्लॉज १० में रिमूवल ऑफ ट्रस्टीज़ क्लॉज १० सब-क्लॉज (१) में It is for the removal of trustees, मैंने जो अमेंडमेंट रखा है उसमें एक्स ओफि-

Page No.90

(श्री पी. के. चौधरी)

शियो ट्रस्टी को गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि गवर्नमेंट उन पर यह लागू नहीं करना चाहती जो दूसरे ट्रस्टीज़ पर लागू करती है। मेरी मंशा यह है कि All the trustees should be treated similarly. एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी गवर्नमेंट एम्पलॉय करती है और उसके बाद मेंमें भी कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाई करते हैं और उसमें हम उसको छूट देते हैं तो मैं यह कहूँगा कि यह उचित और न्याय संगत नहीं है There should be no discrimination in favour of the government employee जिसको एक्स ऑफिशियो वहां रखा गया है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस एमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे और इसी तरह से They are equal before law and therefore this amendment should be accepted.

सभापति महोदय, सब-क्लॉज (२) इन सब-क्लॉज (१) (५ई), In sub-clause 2 in sub-clause 1 part (e) this clause 2 should be deleted.

सभापति महोदय सब-क्लॉज (१) में जो डिस्क्वालिफिकेशन्स ट्रस्टीज़ को रिमूव के लिये रखी गई है (e)--

'has knowingly acted as a Trustee in a matter other than a matter referred to in clause (d) or clause (e) of sub-section (2) in which he or a partner had, directly or indirectly a personal interest, or in which he was professionaly interested on behalf of a client, principal or other person or...'.

अब क्लॉज २ (ई) है उसमें being retained by the Trust as a legal practitioner, or.... यह एक्सटेन्शन रखा है। ट्रस्ट की तरफ से लीगल प्रेक्टीश्नर होगा उसको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित होगा। अगर वह लीगल प्रेक्टीश्नर की हैसियत से काम करे तो उसको दूसरों में इन्ट्रेस्ट He has an interest in the contract. जिस प्रकार किसी कॉन्ट्रेक्ट में इन्ट्रेस्ट होता है या किसी को इन्ट्रेस्ट हो उसको जब हम डिस्क्वालीफाई करते हैं He directly takes interest in the affairs... इसलिये मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल अनुचित है लेकिन लीगल प्रेक्टीश्नर को ट्रस्ट ने रीटेन किया है उसको डिलेट करना चाहिये। इस-लिये मेरा यह संशोधन है कि यह जो प्रेज है Clause 2 should be deleted.

दूसरा सभापति महोदय, क्लॉज १० के सब-क्लॉज १ में सारी डिस्क्वालिफिकेशन बताये गये हैं कि इन इनडिस्क्वालिफिकेशन्स से ट्रस्टीज़ को हटाया लेकिन सब-क्लॉज (२) में exemption .. दिया जाता है 'A person shall not be deemed for the purpose of sub-sec. 1 to acquire, or continue to have, any share or interest in a contract or employment by reason only of his इसमें यह एग्जेम्पशन देते कि किसी व्यक्ति को यह नहीं माना जावे लेकिन किसी को इन्ट्रेस्ट (b) having a share in a joint stock company which shall contract with, or be employed by or on behalf of the trust, or In clause (e)—being retained by the Trust as a legal practitioner, or ट्रस्ट उसको लीगल प्रेक्टीश्नर की हैसियत से रीटेन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये दोनों एग्जेम्पशन नहीं रहने चाहिये। यह जो दूसरा डिस्क्वालि-

(श्री पी. के. चौधरी)

फिकेशन है इतना ही हार्मफुल है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसा किसी कॉन्ट्रेक्ट या फर्म में इन्ट्रेस्टेड हो वह जितना हार्मफुल है इसी तरह से लीगल प्रेक्टीशनर को रीटेन करते हैं वह हार्मफुल है ।

This is a bribe so to say. रीटेन का मतलब यह होता है सभापति He is allowed to take a brief against the Trust इसको एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिये । आज मानलें कोई किसी जोइन्ट कम्पनी की तरफ से ट्रस्टी है । आपने जाकर कम्पनी बना दिया । आपने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया तो आप डिफाइन कर देते ।

श्री सभापति : (मंत्री महोदय की तरफ संबोधित करते हुए) क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं इन तमाम संशोधनों को स्वीकार करता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० में जो अमेंडमेंट्स श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जावें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, मेरा भी अमेंडमेंट था ।

श्री सभापति : आपने मूव नहीं किया, आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० में जो एमेंडमेंट्स श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० को संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज ११

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, My amendment is that in Sub clause (1) Add the words at the end "except when removed for continued absence.'

सभापति महोदय, क्लॉज़ ११ में दिया हुआ है : 'Disabilities of Trustees removed under section 10- (1) A Trustee removed under Clause (a) or clause (c) of sub-section (1) of Section 10, or under sub-section (3) of that section, shall not be eligible for further appointment or election for a period of three years from the date of his removal.

क्लॉज़ 'ए' और क्लॉज़ 'सी' ओफ सब-सेक्शन (१) ऑफ सैक्शन १० में दिया हुआ है :

(a)-refuses to act, or becomes incapable of acting or absents himself for more than three consecutive months from the meetings of the Trust or of any Committee of which he is a member and is unable to explain such absence to the satisfaction of the

(श्री पी. के. चौधरी)

Trust, or ...... सभापति महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट है उसमें सिर्फ जो एबसेन्ट रहता है उसको फर्दर तीन साल के लिए डिस्क्वालिफाई कर देना उसको डिलीट कर देने के लिए है। क्योंकि क्लॉज़ १० का बाकी का है They are of immoral character. इम्मोरल आता है। जानबूझ कर He gets an interest in a Contract or anything, or he acts knowingly in a manner which is harmful to the Trust. यह सारा का सारा मैं समझता हूं एक नेग्लीजेन्स टू ड्युटी होता है जो या कुछ में मोरल एप्टीटयूड आता है। लेकिन कन्टीन्यूअस डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मैं मोरल एप्टीटयूड नहीं मानता हूँ और उसको नेग्ली-जैन्स मानता हूं। किसी व्यक्ति को ट्रस्ट में अपोइन्ट किया। किसी वजह से नहीं आ सका या बाहर चला गया हो। क्लॉज़ (ए) के अन्दर में डिसेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मैं यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ में जो अमेन्डमेन्ट श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) माननीय सभापति जी, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ ११ के में सब-क्लॉज ३ को हटाने के सम्बन्ध में है। क्लॉज़ ३ में बताया गया है कि जो डिसएबिलिटीज़ रखी गई है, या अयोग्यतायें रखी गई उनको राज्य सरकार एक ऑर्डर से से खत्म कर सकती है और उस आदमी को चुनने के योग्य बना सकती है। यदि इस प्रकार की शक्ति सरकार के हाथ में दे दी तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वह जिस व्यक्ति को चाहे वह कितना ही अपराधी हो, कितना ही अयोग्य क्यों न हो, वह एक कलम से लिख देगी कि यह योग्य है और जिस व्यक्ति को चाहे वह ट्रस्टी बना सकती है इस प्रकार की पॉवर्स राज्य सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। क्यों राज्य सरकार उन्हीं आदमियों को चुनना चाहती है जो कि आयोग्य है। दुनियां बहुत बड़ी है, एक से एक काबिल आदमी मिल जावेंगे। जो कुछ व्यक्ति सरकार के कृपा पात्र हैं। सरकार उन्हीं को रखे चाहे वे उसके लिए अयोग्य हों इसकी कोई बात नहीं सरकार तो उनको योग्य समझता है जबकि वे योग्य हैं नहीं, लेकिन सरकार उनको ही रखेगी। उनको इस प्रकार से रखना और रिमूव न करना आज के इस डेमोक्रेटिक सेट अप में किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चैयरमैन महोदय, कृपा पात्र होंगे तो हटायेंगे कैसे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जब चुनाव के योग्य ही नहीं है तो फिर क्यों उनको लेते हैं ? जब योग्य नहीं हैं तो फिर समझिये कि वे अयोग्य है। लेकिन उनको तो समाप्त नहीं करना चाहते और चाहते हैं और चाहेंगे कि उनको किसी जगह अपॉइन्ट किया जाय। किसी अयोग्य आदमी को योग्य अपनी कलम से, एक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ऑर्डर से साबित करदें यह प्रजातन्त्र के अनुकूल नहीं माना जा सकता। कोई इस जनतन्त्र में यह नहीं चाहेगा कि जो अयोग्य है, उनको राज्य सरकार अपनी ताकत के बल पर योग्य बना दे। किसी आदमी का इन्ट्रेस्ट है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। कॉन्ट्रैक्टर को अयोग्य घोषित कर दिया तो वह तो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट लेता रहेगा और दूसरी तरफ कहेंगे कि हमने अयोग्यता में घोषित कर दिया है इसलिए उसको भी चुनने का अधिकार है। एक कॉन्ट्रैक्टर को इस प्रकार अयोग्य को योग्य बताकर बना देंगे। जो पॉवर इसके द्वारा आप ले रहे हैं वह उचित नहीं कही जा सकती और यह प्रजातंत्र के खिलाफ है। ऐसी पॉवर सरकार को नहीं रखनी चाहिये और न ही लेनी चाहिये। इसलिए इस क्लॉज़ का हटा दीजिये और योग्य आदमियों को रखिये। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात कहते तो सोच सकते थे कि वहां पर कोई पढ़ लिखा नहीं मिलेगा, समाज सेवक नहीं मिलेगा लेकिन जहां इतने बड़े बड़े शहरों का विकास करने जा रहे हैं, जहां पर लाखों की आबादी है, हर एक पढ़ा लिखा और समझदार मिल सकते हैं। आप क्यों अयोग्य के पीछे पड़े हुए है? सरकार तो जो सरकार से लाभ प्राप्त है, सरकार के कृपा पात्र हैं, पार्टी के लोग हैं और कई कारण हैं जिनके कारण उनको अपॉइन्ट करती है। दुनियां भर के अन्दर समझदार और एक से एक अक्लमन्द आदमी हैं। दुनियां भर की समझदारी और अक्लबन्दी का सरकार के लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है। यहां दूसरे लोग भी रहते हैं लेकिन वे सरकार कृपा के पात्र नहीं। हैं। एक तरफ अयोग्य घोषित करते हैं और दूसरी तरफ अपनी कलम से उनको योग्य साबित कर दे यह कोई उचित नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से कुनबापरस्ती, भ्रष्टाचार दिन रात चलते रहते है। आप चाहते हैं कि राजस्थान में व्यवस्था अच्छी हो, करप्शन रूट आउट हो तो अपनी कलम से इस प्रकार करने के पॉवर्स नहीं रखिये। मैं सरकार को इस प्रकार की सत्ता देने का पूरजोर से विरोध करता हूं। आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और विकेन्द्रीकरण पर आप विश्वास करते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं होता है कि मर्जी चाहे जिसको अपॉइन्ट करें। इस प्रकार के पॉवर ले लिये जांय यह कोई उचित नहीं कहा जा सकता। आप अधिक लोगों तक पहुंचिये और लोगों को काम करने का मौका दीजिये। अयोग्य आदमियों के पीछे न पड़ कर सबक्लॉज़ ११ में जो संशोधन मैंने रखा है उसको स्वीकार लीजिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चेयरमैन महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि क्लॉज़ १० और ११ को माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं और यों ही अमेन्डमेन्ट रख दिया। जो लोग काम नहीं करें, रिफ्यूज़ करें, उसको जेल हो जाय, इन्सोल्वेन्ट हो जाय वे तो तीन साल में बरी हो जावेंगे लेकिन मामूली मामले हैं, वकालत कर ली ट्रस्ट के खिलाफ, छोटे मोटे मामले हैं और जैसा है।

12 (2) "When the place of a Trustee elected under clause (c) of sub-sec. (i) of Sec. 4 becomes vacant by his resignation removal, death or otherwise the vacancy shall be filled within two months of the existence

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

of such vncancy being notif ied soon after the occurrance thereof to the Municipal Board by the Trust in the manner provided by sub-sec. (3) of the said section "

यानी जेल जाने वाला, इन्सोल्वेन्ट होने वाला और काम नहीं करने वाला तो तीन साल बाद वापिस आ सकता है लेकिन छोटे गुनाह जिन्होंने किये हैं वे कतई आने नहीं चाहिये न ही होने चाहिये यह आपका मकसद है। इलेक्शन के बारे में जितने एक्ट्स पार्लियामेंट के हैं उनमें रीमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिकली प्रोविज़न रहता है। आपको जेल गया हुआ है उसके लिए कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो माइनर गलतियां हैं सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रीमूवल के खिलाफ हैं आप । मैं इस राय से सहमत नहीं हो सकता और इस अमेन्डमेन्ट को अस्वीकार करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने जो जवाब दिया उससे में संतुष्ट नहीं हूं। अगर अयोग्यता से जो व्यक्ति खत्म होना चाहता है तो उस धन्धे को ही छोड़ दे। लीगल प्रेक्टिस न करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चेयरमैन महोदय, जो व्यक्ति डिस्क्वालिफिकेशन पर्टेन करता है वह सफाई का सर्टिफिकेट लेगा उस दिन वह डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जायगी। तीन साल या दो साल पहले किसी ने ऐसी गलती की हो उसको माफ किया जा सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वकालात जो करता है वह आखिरी दिन तक वकालत करेगा अधिकांश में जाकर वहां बड़े हो जायेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या आप यह चाहते हैं कि जो आदमी बड़ा अपराध करे उसको तो कम सज़ा मिले और जो छोटा अपराध जैसे चोरी आदि करता है उसको सज़ा कड़ी मिले। यह पास कराना चाहते हैं क्या ? जिस दिन मेम्बर होगा १० ई के तहत वह कार्यवाही उसी दिन नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफेन्स उसके लिये सज़ा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ में जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १२ व १३

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :
[(1) Substitute sub-clause (2) as follows:—

(2) When the place of a Trustee

(श्री दयाकृष्ण विजय)

coming from the Municipal Board under clause (c) of sub-section (1) of section 4 becomes vacant, by his resignation, removal, death or otherwise the vacancy shall be filled as soon as possible by the member temporarily deputed by the Board or by the member elected to the Board in re-election of that particular ward.'

(2) Delete 'or elected' in sub-clause (3).

(3) Delete 'elected or' from the proviso to sub-clause (3)]

माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १२ के अन्दर जिस प्रकार से कोई जगह रिक्त होगी उस जगह को भरने के लिये नगर-पालिका के कुछ मेम्बर आये हुए हैं अगर उनका स्थान खाली होता है तो वह स्थान दो महिने के भीतर भर दिया जायगा। अगर उसमें किसी प्रकार की देरी वगैरह हो जाय तो गवर्नमेंट नोमीनेट कर सकती है। मेरा इस में संशोधन है किसी वार्ड्स का व्यक्ति हो इलेक्टेड होकर आयगा जिस पर्टिकुलर वार्ड के लिये वह व्यक्ति है गवर्नमेन्ट दूसरा आदमी उस जगह चुनाव करके भेज सकती है। अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरिया के इलाके में रहने वाला वह व्यक्ति आ सकता है इसमें किसी प्रकार के चुनाव की आवश्यकता नहीं दूसरे आदमी को भेज सकते हैं। दो महिने तक कोई एन्तज़ारी की आवश्यकता नहीं वह स्थान तुरन्त भरा जा सकता है उसकी जगह खाली हुई है तो म्युनिसिपल बोर्ड दूसरा ...

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ में जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ और १३ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ व १३ विधेयक का अंग बने।

क्लॉज़ १४

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १४ में इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है न्यास किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी मंत्रणा या सहायता वह इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में चाहता हो तो ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए जो धारा ५१ के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित हो, अपने में शामिल कर सकेगा। इसके साथ साथ यह भी लिखा हुआ है कि चर्चाओं में भाग ले सकेगा किन्तु उसे न्याय की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

एक ओर तो ऐसा व्यक्ति जो प्रभाव-शाली है या किसी विषय का एक्सपर्ट है उससे जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिये आप उसको बोर्ड की मिटिंग में बुलाते हैं और विशेष

Page No.96

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अनुभव के आधार पर सदस्य बनाते हैं। सदस्य बनने के बाद में बोर्ड के अन्दर आमन्त्रित किया जाता है, वैसी हालत में जब उस संबन्ध में मत लेने का सवाल होगा तो उस व्यक्ति की राय उसमें नहीं ली जायगी सारे सदस्यों की तो राय ली जायगी लेकिन उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उससे यह कहा जायगा कि आपको मत देने का अधिकार नहीं है । किसी व्यक्ति को ओपीनियन सीक करने के लिये आप बुलाते हैं । यहां तक तो बात समझ में आ सकती है। किसी विशेषज्ञ की राय लेना तो कोई अपराध नहीं लेकिन उसकी राय लेकर उसमें उसका मत नहीं लेना मैं समझता हूं यह एक तरह से उसकी इनसल्ट करना है। कोई व्यक्ति जो विशेषज्ञ की तौर पर राय देता है वह किसी प्रकार का मुनरेशन नहीं लेता है और अपनी इच्छा से आकर बोर्ड के सामने राय देता हैं और उस पर उसका मत नहीं लेते हैं तो यह एक प्रकार से उसका अपमान करते हैं। आदमी भेज सकती हैं । इसलिए मैंने रखा था "When the place of a Trustee coming from the Municipal Board under clause (c) of sub-section (1) of Sec. 4 become vacant, by his resignation, removal, death or otherwise the vacancy shall be filled as soon as possible by the member, temporarily deputed by the Board or by the member elected to the Board in reelection of that particular ward". यानि जब तक वार्ड से चुनकर न आय दूसरे आदमी को डिपूट किया जा सकता है यह मेरी भावना है। मैं समझता हूं इसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इलेक्शन होकर आजाय तब तक दूसरा आदमी डिपूट करके भेजा जा सकता है। यही मेरा निवेदन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : I don't want to move my amendment.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, इसमें प्रोविज़न रखा है वह बिल्कुल ठीक है। वेकेन्सी हो जाती है तो दो महिने के अन्दर अन्दर उस वेसेन्सी को भरी जानी चाहिये। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया बोर्ड के दो आदमी रहेंगे वे बोर्ड को रिप्रेजेन्ट करने के लिये है वे बोर्ड के पॉइन्ट ऑफ व्यू को ट्रस्ट के अन्दर रखेंगे। उन पर बोर्ड विश्वास करता है । मान लीजिये किसी ने रिजाइन कर दिया उसकी जगह दूसरा आ गया वह बोर्ड का कान्फीडेन्स नहीं रखता वैसी हालत में क्या होगा । दो व्यक्ति जो रखे गये हैं इसी मन्शा को पूरा करने के लिए रखे गये हैं । इसलिए मैं आपके संशोधन को स्वीकार करने में मजबूर हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, किसी व्यक्ति की जगह खाली हो गई उस जगह चुनाव नहीं कराते हैं तो डिपूटेशन पर किसी आदमी को भेजा जा सकता है। लेकिन आप तो यह चाहते हैं कि कोई आदमी हट जाय और नोमीनेट करने का अवसर मिले । इस प्रकार की जो भावना है, वह गलत है। जगह कोई खाली होती है बोर्ड दूसरे आदमी को फौरन भेज देगा यही मेरी मन्शा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह भी तो फौरन ही है दो महिने की लिमिट है। उसके पहले इलेक्ट करके भेज देता है हमें एतराज थोड़े ही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : राय तो वैसे भी कोई आदमी दे सकता है। हमने जो नगरपालिका के विधेयक में ऐसे लोगों को बुलाकर राय लेने का प्रोविज़न रक्खा था, वहां तक तो किसी की असहमति नहीं है पर उसे बोर्ड का सदस्य बनाना और फिर उसकी राय तो ले लेना पर मत से वंचित रखना यह उसका एक अपमान होगा और इस दृष्टि से यह क्लाज़ आपत्ति-जनक है। आप उसे सदस्य बना सकते हैं, बनावें पर साथ ही मत देने का अधिकार भी दें। नहीं तो सदस्य भी न बनावें, राय ले लें, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा। पर सदस्य बनाकर राय देने से वंचित रखेंगे तो भले आदमी अपनी राय आपको नहीं देंगे, अपमानित होना अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए इस क्लॉज़ का मैं विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि या तो इसे अमेन्ड कर दें या डिलीट कर दें तब ही अच्छी बात रहेगी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं इस क्लाज़ का विरोध करता हूँ, क्लॉज़ १४ का। इसकी सभापति महोदय मंशा क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता है। हम ट्रस्ट बनाते हैं। अब ट्रस्ट में एसोसियेट मेम्बर क्या चीज़ हैं? ट्रस्ट को किसी एक्सपर्ट की एविडेन्स लेनी है उसकी राय लेनी है, एक्सपर्ट ओपीनियन लेनी है इस पर किसी ट्रस्ट को या किसी बोडी को ऐतराज नहीं हो सकता। पर इसके लिये एसोसियेट मेम्बर बनाना यह क्या बात है क्या उसको कोई स्टेट्स देना है? He becomes a part and parcel of the trust. अब पार्ट और पार्शल जब ट्रस्ट का वह बन जाता है तो उसके लिये भी वे ही सारी क्वालिफिकेशन्स और डिसक्वालिफिकेशन्स जो दूसरे मेम्बरों की है, उसकी भी होगी। दूसरी बात हम इस ट्रस्ट में इलेक्टेड मेम्बर को....

श्री सभापति : This is temporary assessment.

श्री पी. के. चौधरी : पर इसको भी सुपरफ्लस मानता हूं। इसमें सस्पीशियश मालूम होता है। इसकी पोसीबिलिटी मेरी समझ में नहीं आती या क्या हम इस को इसलिये बना रहे हैं कि उनको एक्सपेन्डीचर के लिए ऑनरेरियम देना चाहते हैं। यदि ओनरेरियम देने की आपकी मंशा है तो ऐसा ट्रस्ट के रूल्स और रेगुलेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम किसी को विटनैस, इविडेन्स या राय देने के लिये बुलावेंगे तो उन्हें इतना रेमूनेरेशन देंगे। Then the Trust can pay for the advice. तो यह भी नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या है। आप क्यों एसोसियेट मेम्बर बनाना चाहते हैं। आप उससे राय लेंगे, बहस करेंगे सब कुछ करेंगे इसके लिये उसे एसोसियेटेड मेम्बर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी यह मेरी समझ में नहीं आया। यह काम तो सारा आप यों ही कर सकते हैं बिना एसोसियेट मेम्बर बनाये भी। सोशल वर्कर की भी राय लेना चाहें तो वैसे ही ले सकते हैं, इस के लिये भी एसोसियेटेड मेम्बर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

किसी चीज़ की मंशा जब समझ में नहीं आती है तो एप्रीहेन्शन नेचुरली रेज होता है। There might be some other thing behind it and then it appears apparently from the face of it.

(श्री पी. के. चौधरी)

तो इसलिये मैं यह कहता हूं कि इसको बिल्कुल न रक्खा जावे । अगर रखते हैं तो आपके सामने ऐसी कौनसी सिचुएशन है, कौनसी डिफिकल्टी है कौनसी ऐसी परिस्थिति है जिससे उसको बुलाकर सलाह नहीं ले सकते और सदस्य बनना ही जरूरी समझते है। That the Hon'ble Minister will certainly explain what is the nenessity of it ? कौनसी सिचुएशन को मीट करने के लिये यह रक्खा है। इसलिये अपने कम्प्रीहेन्शन में तो नहीं आता है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह सुपरफ्लुअस है और इसका सीधा मतलब अपनी समझ में नहीं आता इसलिये इसको डिलीट कर दिया जावे ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं यह कहता हूँ कि पर्पज सर्व हो जावेगा और प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी अगर यह किया जाय कि वह किसी अन्य प्रयोजन के लिये सदस्य न होगा।

आपका ट्रस्ट गवर्नमेंट नोमीनेटेड है। पब्लिक इलेक्टेड है नहीं। वहां किसी व्यक्ति को अगर एसोसियेट मेम्बर बना लेते हैं तो क्या दिक्कत है । और फिर गवर्नमेंट के विभाग हैं उनमें जन प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं होता। इसी तरह यह भी नोमीनेटेड बाडी है सरकार की तो विभाग ही समझना चाहियें और इसमें कोई मत दे दे तो कोई मुसीबत भी पड़ने वाली नहीं है। आप एसोसियेटेड मेम्बर बनावेंगे तो किसी एक्सपर्ट को ही बनावेंगे । कोई साधारण व्यक्ति को करने से रहे । अब जिस व्यक्ति की योग्यता को आपने मान्यता दी और जिसे आप योग्यतम समझते हैं उस व्यक्ति को आप कहें कि आप राय ही दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते, तो यह है तो थोड़ा उसका अपमान ही इसलिये या तो आप उसको वोट देने का भी अधिकार दे दें, नहीं तो इसको डिलीड ही कर दें तो अच्छा होगा आपका पर्पज सर्व हो जाता है ।

एक माननीय सदस्य : टाइम हो गया है साहब ।

डॉ० बहादुर सिंह : वोट देने का राइट हो गया तो टेम्प्रोरी नहीं रहा । जब तक मेम्बर है वोट ऑफ राइट रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी : इसको डिलीट करिये ।

श्री भैरोंसिंह : इनकी आॅर्युमेंट कल रक्खी जावे। आज टाइम हो गया साहब ।

डॉ० बहादुर सिंह : यह स्वीकार करने वाली बात है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह टाइम हो गया साहब। बोलना है मुझे ।

श्री सभापति : आप बोल रहे हैं, टाइम बता कर बोलना चाहते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन अभी जो सुझाव सदन में क्लॉज १४ पर रखा मैं उसकी सहमति में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इसमें जो एक्सपर्ट का बताया कि उनको राइट ऑफ वोट न हो और जो

(श्री श्रीमानसिंह)

लोगों ने कहा कि हो मैं इस में डिफर करता हूं क्योंकि हमको एक स्थिति में....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : कल पर रख दिया दियां जावे साहब क्योंकि आप तो बहुत लम्बे बोलने वाले हैं ।

(घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज दिन को म० १० बुद्धवार दिनांक १३. ५. ५६ के प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

———

Page No.100

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, १२ मई, १९५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्न १०८६४

राजकीय महिला सदन ।

मामोद के निवासियों को बाजरी की सप्लाई ।

रिखबदेवजी मन्दिर के सामान की जांच ।

लूणकरणसर में तहसील भवन ।

तहसील शेरगढ़ व फलौदी के काश्तकारों को पर्चे गिरदावरी न बांटे जाने के सम्बन्ध में ।

सरकार के मोटर ड्राइवर्स का ग्रेड ।

समाज कल्याण विभाग, भरतपुर द्वारा नियुक्तियां ।

राजकीय हाई स्कूल, चाकसू ।

दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर की ज़मीन की खरीदी ।

बीमा विभाग के कर्मचारियों द्वारा खेले गये नाटक ।

एमरी स्टोन मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी कुचामन रोड को लोन ।

लैण्ड रेकॉर्डस् ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील करने में असुविधा ।

कोलायत में खड़ियां मिट्टी की फेक्ट्री ।

प्रताप कोलोनी, उदयपुर ।

स्कम्भ

राजस्थान कॉलेज में शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों के सुरक्षित स्थान ।

तहसील आसिंद और उप-तहसील बदनोर के कर्मचारी ।

ग्राम भादसोड़ा का स्कूल भवन ।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में हिन्दी विषय के छात्रों तथा प्राध्यापकों की संख्या ।

उनियारा व देवली तहसील में तकावी वितरण ।

अकलेरा तहसील के सामने का सार्वजनिक चौक ।

ग्राम च्यावदा के किसानों को तकावी ।

स्थगित प्रश्न । १०८७४

अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन ।

बी. ए. पास अध्यापकों के ग्रेड ।

ज़िला भरतपुर व धौलपुर में लोहे का लघु उद्योग ।

डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन के नाम अलॉटेड सरकारी ज़मीन ।

विधायी कार्य ।

पुनःस्थापित किये गये विधेयक । १०८७३

निम्नांकित विधेयक सभा की

स्कम्भ स्कम्भ

आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुनःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९।

(२) राजस्थान सरकारी विद्युत-उपक्रम (बाकी राशियों की वसूली) विधेयक, १९५९।

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७।

आज विधेयक पर खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड २ ई, ४, ५, ६, १० एवं ११ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए।

खण्ड २, २ ए, २ बी, २ सी, २ डी, ३, ६, ७, ८, १२ एवं १३ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड १४ पर विचार हो रहा था कि सदन की बैठक ठीक १ बजे बुधवार, दिनांक १३ मई, १९५९ को प्रातः ८.०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

१०७४५ **बुधवार दिनांक १३ मई, १९५९ की कार्य सूची।**

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, ५७,

(अग्रेतर-विचार-विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ का उत्तर देखिये)

सूची

महिला सदन व आश्रयगृहों में अब तक जो महिलायें व लड़कियां प्रवेश पा चुकी हैं और अब तक जो मौजूद हैं उनकी सूची।

क्रमांक	नाम	महिलायें व लड़कियां जो प्रवेश पा चुकी	वर्तमान संख्या
१.	महिला सदन, जयपुर	१८१	५०
२.	आश्रयगृह, अजमेर	४४	१६
३.	,, जोधपुर	११	३
४.	,, कोटा	२५	१
५.	,, धौलपुर	१४	१
६.	,, बीकानेर	१०	४
७.	,, चूरू	२	२
८.	,, गंगानगर	—	—

———

प्रशासन व प्रशिक्षण हेतु किये गये खर्चे की सूची.

क्रमांक	नाम	प्रशासन निमित्त रु० में	प्रशिक्षण रु० में
१.	महिला सदन, जयपुर	६७४५	१६५३
२.	महिला आश्रयगृह, अजमेर	६६५०	३७७
३.	,, जोधपुर	१५८२	४६१३
४.	,, बीकानेर	८५६७	७५६
५.	,, चूरू	२३००	३००

कोटा और धौलपुर आश्रयगृहों पर प्रशासन एवं प्रशिक्षण निमित्त २०,००० रु० खर्च किये गये हैं। गंगानगर आश्रयगृह पर अभी कोई खर्चा नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसमें कोई इनमेट नहीं है।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६४ का उत्तर देखिये)

LIST SHOW ING THE VISITS OF ASSISTANT DIRECTOR SOCIAL WELFARE DEPARTMENT BHARATPUR DURING THE YEAR 1957-58 & 58-59.

1	Kota
2	Bundi
3	Ramnagar
4	Bundi
5	Nainwa
6	Bundi
7	Dbhi
8	Bundi
9	Bapuram
10	Bundi
11	Kota
12	Hindun
13	Vazirpur
14	Hindaun
15	Delpur
16	Rajkhera
17	Dholpur
18	Jaipur
19	Kota
20	Deeg
21	Kota
22	Rangwari
23	Kota
24	Ramnagar
25	Kota
26	Bayana
27	Hindaun

28 Bayan
29 Ikran
30 Kota
31 Kelwara
32 Bargapura
33 Kelwara
34 Kota
35 Blinchatpur
36 Jaipur

38 Hindaun
39 Sawai Madhopur
40 Kota
41 Shahbad
42 Kelwara
43 Baran
44 Kota
45 Iikran
46 Ikran
47 Ikran
48 Jaipur
49 Ikran
50 Kota
51 Kelwara
52 Kota
53 Bundi
54 Ramnagar
55 Bundi
56 Kota
57 Ikran
58 Ikran

Year 58-59

4 Deeg
5 Nagar via Ravidaspura
6 Uchhain
7 Bilanchetpura
8 Pichuna
9 Deeg
10 Ikran
Jaipur
12 Ikran
13 Ikran
14 Ikran
15 Jaipur
16 Ikran
17 Ikran
18 Ikran
19 Ikran
20 Ikaan
21 Kota
22 Rangwadi
23 Kota
24 Kelwara
25 Shahbad
26 Antah
27 Kota
28 Ikran
29 Dholpur
30 Kherpur
31 Dholpur
32 Jaipur

33	Hindaun
34	Barkapura
35	Hindaun
36	Kota
37	Ramnagar
3 8	Kota
39	Kota
40	Bundi
41	Ramnagar
42	Rangwadi
43	Kota
44	Jaipur
45	Ikran
46	Dholpur
47	Baseri
48	Dholpur
49	Rajakhera
50	Dholpur
51	Ikran
52	Jaipur
53	Ikran
54	Bilanchatpura
55	Ikran
56	Handaun
57	Sawai Madhopur
58	Jaipur
59	Ikran
60	Kota
61	Jaipur
62	Ikran
63	Ikran
64	Deeg
65	Dholdur
66	Uchhain

67	Bayana
68	Bhusawar
69	Hiras
70	Bhusawar
71	Ballabgarh
72	Bhusawar
73	Ikran
74	Ikran
75	Dholpur
76	Bhusawar
77	Jaipur
78	Ikran
79	Dholpur
80	Ikran
81	Jaipur
82	Bhusawar
83	Bhusawar
84	Bhusawar
85	Ikran
86	Ikran
87	Bilanchetpura
88	Deeg
89	Jaipur
90	Udaipur
91	Jaipur

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE UTILIZATION OF THE DIFFERENT GRANTS SANCTIONED FOR GOVERNMENT HIGH SCHOOL, CHAKSU FOR THE SESSION 1958-59

S. No.	Name of the gront	Amount Sanctioned	Amount Utilized	Balance left
1	Special Pilot Scheme	Rs. 5000.00	Rs. 4999.98Np.	Rs. 0.02 Np.
2	Library Grant	1000.00	1000.00	Nil
3	Recurring Service Stamp	100.00	100.00	Nil
4	,, Light & water Charges	70.00	70.00	Nil
5	,, Books & Periodicals	250.00	250.00	Nil
6	,, Likvies	140.00	140.00	Nil
7	,, Games Sports, Tournaments	250.00	250.00	Nil
8	,, Library	250.00	249.00	0.01

1		2	3	4	5
9	,,	Prizes	50.00	49.99	0.08 nP.
10	,,	Renewal of Furnitures	200.00	200.00	Nil
11	,,	Science	250.00	250.00	Nil
12	,,	Geography	45.00	44.96	0.04 Np
13	,,	History	60.00	60.00	Nil
14	,,	Other teaching appliance	200.00	200.00	Nil
15	,,	Other Petty Items.	70.00	70.00	Nil
		Total	7935.00	7934.85 Np.	00.15 Np.

LIST OF ARTICLES PURCHASE BY THE HEAD MASTER, GOVERNMENT HIGH SCHOOL, CHAKSU FOR THE YEAR 1598-59,

Sl: No.	Name of articles.	Qty.	Specification as per order placed.	Name of Suppliers.	Rate	Total Rs.	Amount N. P.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Time pices	2	Approved smith	Barat & Co., Jaipur	34.96	69	92
2	Almirah for office Use	2	6: : 3: : 1½	Surendra Cottage Industries Jaipur	110.00	220	00
3.	Staff Pizion Hale	2	Approved	Do	190.00	380	00
4.	Trunks Iron	2	Approved	Do	20.75	41	50
5.	Almirah Small	2	Approved	Do	35.00	70.00	
6.	Attendence Board	1	Approved	Do	28.00	28	00
7.	Teacher Chairs	10	armless	The Jaipur Handi Crafts produces co-operative society Ltd. Jaipur.	10.60	106	00

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Table for offce use	2	4': : 3': : 2½	Do	54.25	108	50
9.	Office Chairs cane seated	10	Can seated comp. leathor	Do	12.95	129	50
10.	Fleat tables for students	30	2': : 1½': : 2½'	Do	11.87	356	10
11.	Newspaper Stand	2	4'7' for full news paper	Do	30.00	60	00
12.	Godraj Store well cuplevard with a locks.	1	78' 36" 19"	Rajasthan Central Store Ltd.	302.0	302	00
13.	Godraj timeless lock.	24	1½-5 levers	Do	39 Duz.	78	00
14.	Loudspeakers with full Material	One set.	—	Jaipur Grema Phone, House & Vindd Trd.	—	896	59
15.	Hockey stick	24	Sumber	Librty sport, Jaipur	8.00	192	00
16.	Hockey Ball	12	Tournament	Do	2.00	24	00
17.	Trniketrings	6	—	Do	1.00	6	00

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Lude	6	—	Do	00.55	3	30
19.	Snake lader	6	—	Do	00.55	3	30
20.	Shuttle cock	48	Best	Do	7.00	28	00
21.	Basketball cover	1	7 spare	Do	8.75	8	75
22.	Bolley ball Net	2	Stand Size	Do	8.40	16	80
23.	Tagari	12	Weigh 24 seer all	Regal Sports Jaipur	1.44 Seer	34	56
24.	Tea sets 15 peaces	6	Approve	Sakrma Brother Jaipur	7.24	43	44
25.	Faribattier	100	E. O. R. Marked	Education equipment & App. Co. Jaipur.	3.63	363	00
26.	Caram Board	2	Complete	Regal Sports Jaipur	17.00	34	
27	Enema Cap	2	Approve	Regial Sports Jaipur		1.87	3.74
28.	Volley ball covers	6	India	...Do...		8.50	0
29	Wistle English	3	Thunder	...Do...		3.42	10.26
30.	Shipping Rope	6	Thunder	...Do...		60.48	2.88
31.	Pards (Curterede hclot) ...	22 yards	...	Rajasthan Buker Sangh Ltd.		2.06	

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Bed sheet	1	...	...Do ..	5.24	93.98	
33.	Parda Dasuti	36 yards	...	...Do...	1.31		
34.	Dasuti Blue	456 yards	...	...Do...	1.31	561.54	
35.	Usha Tailor Model Fett Machine.	1	Complete with A/S & convers.	M. N. Bhalla & Co. Jaipur	244.40	244.40	
36.	Plastic Block building	2	...	Liberty Sports.	3.00	6.00	
37.	Genthi	3	No. 14.	Basant & Co.	7.45	22.35	
38.	Chairs for students	30	...	Surendra Cottage Industries.	11.00	2320.00.	
39.	Service stamps	...	Service	Treasury Jaipur	...	100.00	
40.	Volley ball Covers.	12	...	Regal Sports Jaipur	8.50	102.00	
41.	Volley Ball Nets.	6	...	...Do...	8.50	51.00	
42.	Foot ball Covers	6	...	...Do...	10.50	53.00	
43.	Foot ball Covers	2	...	...Do...	4.24	9.38	
44.	Foot ball Bladers	2	...	...Do...	1.00	2.00.	

1	2	3	4	5	6	7
45.	Balder No. 4	12	...	Liberty Sports, Jaipur	1.00	12.00
46.	Blader No. 5	6	...	...Do...	1.22	7.32
47.	Lather less	4 Dozen	...	Julka Sports, Jaipur.	02.00	1.44.
48.	Laching	6	...		00.12	00.72.
49.	Repairs of Games articles Library grants.	...		Daluram chaksu,		
50.	Books.	...	Approved.	Rajasthan Pustak Mandir, Jaipur.	209.92	209.92
51.	Library cards	...	...	Rastogi & Co , Jaipur.	31.98	31.98
52.	Other Charges Light & Water charges.	...	...	Alladin Khan Luhar	8.09	8.09.
53.	Lanterns	2	...	Jaipur Trunk House, Jaipur.	3.00	6.00.
54.	Table Lamp.	2	...	Tehal Ram, Jaipur	2 25	4.50
55.	Caresin Oil	4 Tin	...	Harinarain Ghasilal, Chaksu	...	25.49.
56.	Tinns Emtpy.	6	...	...Do...	1.00.	6.00.

Page No.116

1	2	3	5	5	6	7
57.	Globe and Than Batti.	16 & One Than.	...	Ramnarain, Chaksu, Adarsh Chemical, Jaipur Nemichand Chaksu.	5.06	5.06.
58.	Matkiyes.	32	...	Dhuramamal Kumhar.	10.00	10 00.
59.	Rassi	3½ Seer.	...	Babulal Virendra Kumar.Jain	2.00 per seer	7.00.
60.	Balti	2	...	Milap chand Chaksu	2.50	5.00.
61.	Other charges Prizes.	...	...	...Do ...	...	20.00
62.	Regal Pens (Sup)	1 doz.	...	Hansraj Jain.	5.00	5.00
63.	Rezal Pens (Ord.)	1 doz.	...	Hansraj Jain.	2.25	2.25
64.	Tewal	1 Doz.	...	Agarwal General Stores.	4.00	4.00
65.	Baniyan	½ Doz.	...	Agarwal General Stores.	2.25	4.62
66.	Muffler	½ Doz.	...	Agarwal General Stores.	...	3.94
					14.75	7.38
67	Secks	½ Doz.	...	Agarwal General Stores.		3.94

1	2	3	4	5	6	7
68.	Books.	...	...	Rajasthan Pustak Mandir Jaipur.	22.73	22.73
69.	Coats	6	...	Rajasthan Khadi Sangh, Chaksu	8.25	11.00
70.	Shirts.	6	...	...Do...	5.62	8.25
71.	Pent	6	...	...Do...	5.62	
72.	Cap	6	...	...Do	3.25	136.84
73.	Kabja	1	...	...Do...		
74.	Odni	1	...	...Do...	11.50.	
75.	Ghaghra	1	...	...Do...	11.60	
76.	Schoks. History grant.	6	...	Mohan Lal Chaksu		3.16
77.	Historical Leaders Photo Geographical grants.	12	Framed with Plowhod back	Ram Chandra Chhugamal Jaipur.	5.00	60.00
78.	Geographtcal Charts.	1 set.	Approved.	Cliften & Co., New Delhi.	8.00	8.00
79.	Project Map of India.	One	Approved	Malripur Branch Press. Shaharanpur.	2.35	2.35

1	2	3	4	5	6	7
80.	Charts	6	Approved.	...Do...	1.24	7.44
81.	Estime	1	Approved.	...Do...	1.32	1.32
82.	Clinete Register of world	1	Approved.	...Do...		3.40
83.	Geographical Seenary		Painted framed	Ram Chandra Chhajumal,	5.50	22.00
84.	Other charges.		—	—Do—Jaipur	—	60.45
85.	Books, Charts and Periodicals					
	Books		—	Ajmera Book co.	—	46 15
86.	Books		—	Vidya Bhawan	—	31.00
87.	Kilen		—	Kapoor Chand Carpenter	—	00.81
88.	News Paper & Magasine		—	—	132.04	132.04
89.	Gazette Rajasthan			Govt.-Press, Jaipur.	40.00	40.00
90.	Repairs and Renewal of Furniture.					
	Repairs of Furniture and materials		—	By local Carpenter, Jaipur.	—	134.44

1	2	3	4	5	6	7
91.	Cloth material for office (Table cloth, Curtain etc.) Other teaching appliances		—	Rajasthan Rajya Bunker Khadi Asaram, Chaksu	65.56	65.56
92.	Rubber stamps	—	4	Idel cottage Industries	—	7.75
93.	Teachers Register	16	—	Rastogi & Co.,	2.00	32.00
94.	Teachers Register arrangement	—	—	Do	4.05	4.05
95.	Classified Abstract	—	—	Do	6.25	6.25
96.	Sale Tax	—	—	Do	3.87	3.87
97.	Boys Attendence	10	—	Do	2.50	25 60
98.	Lecturer Attendence	4	—	Do	0.69	2.76
90.	Receipt Book big	10	—	Do	1.37	13 70
100.	Receipt Book Small	10	—	Do	00 69	6.20
101.	Dater	1	—	Do	2.25	2.25
102.	Stapler	1	—	Do	4.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	Boys Stangon	1	—		Do	1.12	1.12
104.	Drawing Board	6	—		Kalyan-Mal & Sons Jaipur.	1.89	11.33
105.	Dasin	1	—		Kalyan Mal & Sons Jaipur.	2.99	2.99
106.	Lota	4	Murabadadi.		Regal Sports, Jaipur	4.25	17.00
107.	Knives	4	Approved		Do	0.36	1.44
108.	Stove	2	Prabrest		Do	26.94	26.94
109.	Tegaris	1	2 Seers		Do	1.44	2.88
100.	Hot water Bottle	2	Approved		Do	3.44	6.88
111.	Iron Press	1	Approved			6.44	6.44
112.	Paide	3			Mangilal Pardewala, Jaipur	4.00	12.00
113.	Namda	One pice	—		Vijai & Company, Jaipur.	3.00	3.00
114.	Other Expenses Science Grant.	—	—		Vijai & Company, Jaipur.		0.19

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	Science Material	21 apticles.	Approved	Capital Scientific Stores. Ajmer		—	73.50
116.	Science Material	3 articles.	Approved	Laboratory Equipment Traders, Ambala.		—	86.66
117.	Science Material	10 articles.	Approved	Scientific Apparatus & Chemical works.		87 88	87.88
118.	M. O. fee and other charge. Other petty items.	—	—			1.96	
119.	Transportation	—	—		—	5.12	5.12
120.	Card Board Material	—	—	Rama Bag Co. & Basic Primary School Chaksu		41.94	41.94
121.	Cloth Material and the chargese	—	—			22.94	22.94
122.	Books.	—	Approved	Rajasthan Pustak Mandir, Jaipur			500.47

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	Almirah	3	6.31		Surendra Cottage Industry, Jaipur	105.00	35.00
124.	Library Card Chest	1	Approved		Do	150.00	150.00
125.	News paper stand	1	Approved		Jaipur Handicraft Producer Co. Jaipur	30.00	30.00
126.	Library charts	108	—		Rastogi and Co. Jaipur.	2.25	2.43
127.	Sales Tax and Transportaion Charges.	...	—		Do	2.10	2.10

परिशिष्ट ४

(कृपया तांराकितप्रश्नोत्तर संख्य १५०६ को देखिये)

प्रश्न संख्या ३७६ से सम्बन्धित सूचि ।

नाम कर्मचारी	ओहदा	तैनाती की तिथि
१ श्री सोहनलाल कानावट	रेवेन्यू अकाऊटेट त० आसींद	२४–११–५२
२ श्री बालकृष्ण शर्मा	अकाऊन्टेंट कम नाजिर ,,	२०–६–५७
३ श्री अमरसिंह नेनावटी	रीडर ,,	२३–८–५८
४ श्री नाथूलाल महता	केशियर ,,	१८–७–५१
५ श्री माधवलाल वर्मा	रेवेन्यू व्रतर्क ,,	२१–११–५५
६ श्री भूरसिंह	जु० क्लर्क ,,	१०–७–५८
७ श्री मोहनलाल वर्मा	सब ट्रेंजरी क्लर्क ,,	२०–२–५६
८ श्री कन्हैयालाल काल्या	मिसलेनियस क्लर्क ,,	४-३–५३
९ श्री कदनलाल पारासर	रोजनामचा नवीस ,,	१६–८–५६
१० श्री मांगीलाल खत्री	केशियर बदनोर उप त० बदनोर	१–५–४९
११ श्री मांगीलाल सुराना	क्लर्क रेवेन्यू ,,	३१–५–५६
१२ श्री सोहनलाल श्रोती	रीडर ना०व० बदनोर ,,	१०–५–५७
१३ श्री भंवरलाल विजयवर्गीय	जा० अकाऊ टेंट सा० ,,	५–५–५६
१४ श्री केशरीलाल चौधरी	पटवारी बदनोर त० आसींद	१–५–४९
१५ श्री नारायणसिंह भाटी	,, पाटण	,,
१६ श्री लक्ष्मीनारायण	,, संग्रामगढ़	,,
१७ श्री राजसिंह सख्तावत	बदनोर	,,
१८ श्री चतुर्भुज पारासर	सा० बदनोर	,,
१९ श्री सुखलाल चौधरी	सा० बदनोर	,,
२० श्री रामचन्द्र वर्मा	सा० मान्डलगढ़	२२–६–४९
२१ श्री रामबिलास पारीक	कोटडी पटवारी	५–९–४९

१	२	३
२२ श्री रामनिवास पारासर	बदनोर ,,	२४–६–४६
२३ श्री रणजीतसिंह	मसुदा ,,	१–२–५०
२४ श्री शुभकरण	सूलवाड़ा	२२–६–५१
२५ श्री रामनारायण वर्मा	बदनोर	२४–६–५१
२६ श्री गणेशलाल चौधरी	बदनोर पटवारी	२६–६–५१
२७ श्री गौरीशंकर	,, ,,	२८–६–५१
२८ श्री रामदयाल वैष्णव	आसीन्द ,,	१–१–५२
२९ श्री सोहनलाल गुप्ता	भीलवाड़ा ,,	१–५–५२
३० श्री उदयसिंह राठौड	भौमडिवास ,,	१–७–५२
३१ श्री मदनलाल धापया	इन्सपेक्टर	१७–१२–५२
३२ श्री डूंगरसिंह सोदा	पटवारी	२२–१–५३
३३ श्री फतेहसिंह राठौर	इन्सपेक्टर	२१–१०–५३
३४ श्री रामनिवास त्रिपाठी	पटवारी	१–१–५५
३५ श्री भंवरलाल स्थला	पटवारी	१–८–५५
३६ श्री शकूर अहमद शेख	,,	१–१०–५५
३७ श्री मदनसिंह चन्डावल	,,	१–१०–५५
३८ श्री भंवरलाल आनाल	,,	१–१०–५५
३९ श्री मदनसिंह राव	,,	१–१–५६
४० श्री माधवलाल शर्मा	,,	४–७–५६
४१ श्री रूपसिंह चन्डावत	,,	१–८–५६
४२ श्री मगनसिंह राठौड	,,	१–८–५६
४३ श्री सोहनलाल पुरोहित	,,	२६–१२–५६
४४ श्री भगवानसिंह	,,	१–१०–५६
४५ श्री लादूराम पुरोहित	,,	१२–१–५७
४६ श्री शकूरअहमद शेख	,,	१–२–५७
४७ श्री मांगीलाल चौधरी	,,	२४–७–५७

२	३	४
४८ श्री दुर्गालाल	,,	१–६–५७
४९ श्री शेर अहमद शेख	,,	२१–७–५७
५० श्री अब्दुल कातर शेख	,,	३०–८–५७
५१ श्री लादूराम व्यास	,,	२१–७–५७
५२ श्री कन्हैयालाल	,,	१–११–५५
५३ श्री रघूबीरसिंह चन्डावत	,,	२८–११–५७
५४ श्री प्रतापसिंह सख्तावत	,,	१–६–५८
५५ श्री नारायणलाल सिन्धी	,,	३१–१–५८
५६ श्री गोकुलचन्द जी शर्मा	,,	२७–१–५६
५७ श्री मोहनलाल भंवर आफिस	कानूनों	१–५–५०

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५१० का उत्तर देखिये)

LIST REFERRFD TO IN ASSEMBLY QUESTION NO 403/RM

Tehsil Uniara

Year :	Sanctioned allotment :	Amount actually distributed :	Amount surrendered:	Amount lapsed
1956-57 Ordinary Tacavi	2,900/-	2,900/-	Nil	Nil
G. M. F.	9,000/-	1,850/-		7,150/-
1958-59 Ord. Taccavi	8,000/-	7,950/-	Nil	50/-
G. M. F.	12,000/-	6,350/-	5,450/-	200/-

VILLAGE-WISE DISTRIBUTION

1956-57

ORDINARY

Village :	Amount :
1. Nagar.	750/-
2. Kundair	250/-
3. Khaldli	850/-
4. Anwar Nagar	400/-
5. Churun	250/-
6. Aligarh	200/-
7. Nawabpura	200/-
	2,900/-

G. M. F.

Village	Amount
1. Maharaj Kumarpura	200/-
2. Bilota	1,000/-
3. Aligarh	650/-
	1,850/-

1	2	3	4

1958-59

1. Uniara	250/-	1. Aligarh	3,050/-
2. Aligarh	1,000/-	I. Soap	300/-
3. Khatoli	250/-	3. Khailuia	500/-
4, Soap	2,950/-	4. Sadat Nagari	1,500/-
5. Ratanpura	750/-	5. Suthenra	500/-
6. Khailuia	250/-	6. Uniara	500/-
7. Bilaspur	250/-		
8. Pachala	2,000/-		6,350/-
9. Asalgaon	250/-		
	7,950/-		

TEHSIL DEOLI

1056-57				
Ord. Taccavi	3,000/-	550/-	2,450/-	...
G. M. F.	8,000/-	4,600/-	3,400/-	...
1 958-59				
Ord Taccavi	9,000/-	9,000/-	...	...
G. M. F.	13,000/-	13,000/-	...	...

VILLAGE-WISE DISTRIBUTION

1956-57

ORDINARY		G. M. F.	
Name of village :	Amount:	Name of village	Amount
1. Dooni	250/-	1. Nagaur	300
2. Kharot	300/-	2. Spawta	1,300/-
		3. Dooni	250/-
	550/-	4. Saroli	750/-
		5. Gothra	1,600/-
		6. Khasehi	400/-

परिशिष्ट

1	2	3	4
1958-59			
1. Indoda	1,300/-	1. Charnet	3,200/-
2. Dhowan	800/-	2. Deoli	400/-
3. Dooni	1,000/-	3. Thanwla	1,000/-
4. Botoonda	600/-	4. Nagar.	1,800/-
5. Banthali	1,000/-	5. Deopura	500/-
6. Titaraia	200/-	6. Sarsari	400/-
7. Kashir	500/-	7. Dooni	800/-
8. Nagar	300/-	9. Panwar	1,000/-
9. Deoli	600/-	10. Bijwar	2,300/-
10. Deppura	400/-	11. Dcorawas	500/-
11. Deorabas	200/-	12. Jalsina	300/-
12. Junia	400/-	13. Gaori	800/-
13. Bijawara	300/-		
14. Garri	400/-		1,300/-
	9,000/-		

Sd/-
Collector, Tonk.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५१३ का उत्तर देखिये)

ग्राम च्यावदा सम्बन्धी कृषकों को तकाबी देने बाबत सूचना

क्रम सं०	नाम कृषक	तकाबी जो मांग की	दिनांक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने	राशि जो स्वीकृत की गई	दिनांक राशि चुकाने की	कार्य जिस हेतु तकाबी दी गई	कितना समय लगा
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	श्रीनारायन पुत्र भवानी माली	२००)	२.७.५८	५०)	१२.६.५८	बैल खरीदने हेतु	२ माह १० दिन
२.	श्री रघुनाथ पुत्र किशना माली	२५०)	८.७.५८	५०)	,,	,,	२ माह ८ दिन
३.	श्री भगिया पुत्र पीरिया चमार	२००)	२.७.५८	५०)	,,	,,	२ माह १० दिन
४.	श्री रामचन्द्र पुत्र ओंकार	२००)	२.७.५८	५०)	,,	,,	२ माह १० दिन
५.	श्री भूरा पुत्र मथुरालाल	३००)	८.७.५८	कुछ नहीं	खाता नहीं होने से तकाबी स्वीकृत नहीं की गई।		
६.	श्री भंवरलाल पुत्र मथुरालाल मीना	३००)	५.७.५८	२००)	२६.६.५८	बन्धा लगाने हेतु	२ माह १५ दिन
७.	श्री दौल्या पुत्र भूरा माली	४००)	३.७.५८	२००)	रकम लेने नहीं आया	बैल खरीदने हेतु	

१०६६४]

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ का उत्तर दीखिये)

DATE ON WHICH THE SANICRITY LISTS WERE ISSUED IS GIVEN DISTRICTWISE.

Sl. No.	Inspectorate		Date on which Seniority list issued.
1.	Inspectorate	Bikaner	14.3.58
2.	,,	Churu	July 58
3.	,,	Ganganagar	20.2.59
4.	,,	Sikar	25.2.58
5.	,,	Jhunjhunu	26.3.58
6.	,,	Jodhpur	31.12.57
7.	,,	Barmer	6.2.59
8.	,,	Nagaur	20.10.57
9.	,,	Pali	Not published.
10.	,,	Sirohi	23.1.57
11.	,,	Jalore	1.4.59
12.	,,	Jaisalmer	2.6.58
13.	,,	Jaipur East	31.3.58
14.	,,	Jaipur West	6.6.58
15.	,,	Alwar	1.7.58
16.	,,	Ajmer	2.6.58
17.	,,	Udaipur	1.4.58
18.	,,	Banswara	12.3.59
19.	,,	Bhilwara	25.4.59
20.	,,	Chittorgarh	17.6.58
21.	,,	Dungarpur	31.6.58
22.	,,	Kota	3.3.59
23.	,,	Tonk	13.2.59

1	2	3	4
24.	„	Karauli	Dec. 58
25.	„	Bharatpur	Oct. 58
26.	„	Bundi	Shortly to be issued.
27.	„	Jhalawar	13.4.59
28.	Dy I. G. S.	Jaipur	29.12.58
29.	„	Bikaner	25.1.59
30.	„	Jodhpur	28.3.59
31.	„	Udaipur	26.2.59
32.	„	Kota	30.6.58
33.	„	Bharatpur	4.2.59
34.	„	Ajmer	30.3.59
35.	„	Chittor	25.2.59

शुद्धि-पत्र

(१२ मई, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१०६६६	१२	लड़कियों	लड़कियें
१०६७३	१४	leaese	lease
१०६७७	२१	प्रजेन्ट	प्रेजेन्ट
१०६७९	११	प्रीपेअर	प्रिपेयर
१०६८०	३	यहां तक भी	यहां तक भी कहना
१०६८२	प्रथमतः	श्री (मूलचन्प डागा)	(श्री मूलचन्द डागा)
१०६८२	४	क्य उस	(३) क्या उस
१०६८२	२१	गजा	गया
१०६८५	५	बिल्डिगस	बिल्डिंग्स
१०६८७	२१	अनसेल्ड	अनसेटिल्ड
१०६९०	अन्तिम से २	उटपटांग	ऊटपटांग
१०६९१	७	रेकॉड	रेकॉर्डस
१०६९९	४	दो सौ	दो सौ
१०७०१	२१	यह सह कि	यह सही है कि
१०७०१	अन्तिम से ३	विलाफ	खिलाफ
१०७०३	५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१०७०३	अन्तिम से ४	से ला गई है	से ली गई है
१०७०५	२	कुचमन रोड	कुचामन रोड़
१०७०६	२०	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१०७०७	१७	इस बार से	इस बारे में
१०७०७	अन्तिम से ७	इन्फोर्मेशन	इन्फोर्मेशन
१०७०८	१९	श्री	श्री

(२)

१	२	३	४
१०७०८	२२	बनाती	बनती
१०७०९	२१	पालियामेन्ट	पार्लियामेन्ट
१०७१०	अन्तिम से २	जिन्मेदारी	जिम्मेदारी
१०७११	४	रेकॉड्स	रेकॉर्ड्स
१०७१३	१०	इस प्रकार एग्रीमेंट	इस प्रकार का एग्रीमेन्ट
१०७१३	११	इस बात	इस बात की
१०७१३	१६	इकोनॉमिक्ल	इकोनॉमिकल
१०७१४	४	सरकार की	सरकार का
१०७२०	१४	कितने सालों के	कितने सालों को
१०७२४	१०	ड्राइब्स	ट्राइब्स
१०७३५	१३	Jaiput	Jaipur
१०७३६	७	ऑलटेड	अलॉटेड
१०७३६	१६	उन्हों चक	उन्होंने चक
१०७४१	६	माननी	माननीय
१०७४२	अन्तिम से ७	इन्फोमेंशन	इन्फोर्मेशन
१०७४३	६	पुन :स्थापित	पुरःस्थापित
१०७४३	अन्तिम से ८	(पुर :स्थापन)	(पुरःस्थापन)
१०७४४	,, ,, ७	प्रदान की	प्रदान
१०७४५	अन्तिम	विन्डिक्टिव	विन्डिकेटिव
१०७४७	७	किस डंग	किस ढग
१०७५०	२०	उटपटांग	ऊटपटांग
१०७५०	२३	असेप्ट	एक्सेप्ट
१०७५१	६	दष्टि	दृष्टि
१०७५२	४	दष्टी	दृष्टि
१०७५२	७	सशोन	संशोधन
१०७६१	१४	मजलब	मतलब
१०७६१	अन्तिम से ७	iocal	local
१०७६२	शीर्षक	रायस्थान	राजस्थान
१०७६३	२३	ढंगे	दंगे

(३)

१	२	३	४
१०७६५	५	Substituie	substitute
१०७६५	अन्तिम से ५ व ६	अवर्स	आवर्स
१०७६६	शीर्षक	१०६६६	१०७६६
१०७६६	११	पव्लिग	पब्लिश
१०७६७	१२	उन्हों	उन्हें
१०७६७	अन्तिम	इम्प्र	इम्प्र
१०७६८	अन्तिम से ४	प्रश्न यह कि	प्रश्न यह है कि
१०७६९	१७	respct	respect
१०७७०	२२	उसना	उसका
१०७७३	अन्तिम से १०	exeution of eivil ingeniaring	execution of civil engineering
१०७७५	८	then	than
१०७७५	११-१२	इस तरह से आदमियों	इस तरह से ७ आदमियों
१०७७५	अन्तिम से ८	चाहता है	चाहता हूं
१०७७५	,, ,, ६	की हो	की चाहते हो
१०७७७	,, ,, ९	आदभी	आदमी
१०६७८	४	non-grata	non-grate
१०७८०	२१	improv	improve
१०७८१	शीर्षक	१९५६	१९५७
१०७८२	१०	विवेद	विभेद
१०७८६	४	पेम्मेंट	पेमेंट
१०७८६	१७	निश्शुल्क	निःशुल्क
१०७८८	अन्तिम से ८	एडमिनिस्ट्रेटर	एडमिनिस्ट्रेटर
१०७८९	१३	प्रकास	प्रकार
१०७८९	अन्तिम से २	मैं	में
१०७९०	१२	आने	लाने

(४)

१	२	३	४
१०७६२	२	सविस	सर्विस
१०८६२	२५	नहों	नहीं
१०७६५	शीर्षक	१६५६	१६५७
१०७६६	१७ व १८	एप्रूव कर कर	एप्रूव कर
१०७६६	अन्तिम से ८	विशि्ट	विशिष्ट
१०७६६	,, ,, ७	एक्सपेक्टशन	एक्सपेक्टेशन
१०७६७	४	इम्प्रवमेंट	इम्प्रूवमेंट
१०७६८	८	सरकार	सरकारी
१०७६६	७	सरकार	विलोपित कीजिये
१०७६६	२३	जिनके	जिनको